

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. I, First Session, 2019/1941 (Saka)
No. 8, Wednesday, June 26, 2019, / Ashadha 5, 1941 (Saka)**

<u>SUBJECT</u>	<u>PAGES</u>
 ORAL ANSWER TO QUESTION	
* Starred Question No. 61 to 64	9-53
 WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.65 to 80	54-101
Unstarred Question Nos. 652 to 881	102-631

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	633
COMMITTEE ON PETITIONS	634
68 th Report (16 th Lok Sabha)	
STATEMENT BY MINISTER	
Status of implementation of the recommendations contained in the 23rd Report of the Standing Committee on Railways on 'Maintenance of Bridges in Indian Railways: A Review' pertaining to the Ministry of Railways.	
Shri Suresh C. Angadi	635
ELECTIONS TO COMMITTEES	
(i) National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (NIMHANS), Bangalore	636-638
(ii) Rubber Board	637
(iii) Tobacco Board	638
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	
1 st Report	639
NOMINATION TO PANEL OF CHAIRPERSONS	640
MATTERS UNDER RULE 377	710-719
(i) Need to eradicate Japanese Encephalitis in Muzaffarpur and its adjoining districts in Bihar. Shrimati Rama Devi	710
(ii) Need to provide assistance for Swajal Scheme and National Rural Drinking Water Programme in Dindori Parliamentary Constituency, Maharashtra. Dr. Bharati Pravin Pawar	712

- (iii) Regarding payment of compensation to people affected by construction of N.H. 58E in Rajasthan.
Shri Arjun Lal Meena 713
- (iv) Need to erect stone wall along coastal areas of Chellanam, Vypin and Kuzhipilly in Kerala.
Shri Hibi Eden 714
- (v) Need to provide adequate compensation to flood affected victims of Idukki district of Kerala.
Adv. Dean Kuriakose 715
- (vi) Need to provide adequate funds for construction of Railway Bridge in Naguar district, Rajasthan.
Shri Hanuman Beniwal 716
- (vii) Need to provide rail services in Mangaldoi Parliamentary Constituency, Assam.
Shri Dilip Saikia 717
- (viii) Need to acquire defence land to complete two NHAI projects on National Highway-222 in Ahmednagar city of Maharashtra.
Dr. Sujay Vikhe Patil 718
- (ix) Need for housing scheme for homeless people.
Dr. Dhal Singh Bisen 719

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF
SPECIAL ECONOMIC ZONES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2019**

AND

SPECIAL ECONOMIC ZONES (AMENDMENT) BILL, 2019

720-803

Motion to Consider

720-726

Shri N.K. Premachandran

727-733,

794-796

Shri Piyush Goyal	720-726, 788-796
Shri Rajiv Pratap Rudy	734-742
Dr. Shashi Tharoor	743-749
Shri Sudip Bandyopadhyay	750-752
Shri Dnv. Senthilkumar S.	753-757
Shrimati Vanga Geetha Viswanath	758-761
Shri Vinayak Bhaurao Raut	762-764
Shri Kaushalendra Kumar	765-766
Shri Bhartruhari Mahtab	767-773
Shrimati Supriya Sadanand Sule	774-778
Shri Jayadev Galla	779-781
Shri E.T. Mohammed Basheer	782-784
Shrimati Anupriya Patel	785-787
Clauses 2,3 and 1	801
Motion to Pass	803

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	804
Member-wise Index to Unstarred Questions	805-807

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	808
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	809

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, June 26, 2019, / Ashadha 5, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(Q.61)

श्रीमती रमा देवी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि देश के दूरसंचार क्षेत्रों में कार्यरत एमटीएनएल एवं बीएसएनएल टेलीफोन उपभोक्ताओं को सभी उपकरण उपलब्ध होने, योग्य एवं उच्च प्रशिक्षण प्राप्त उच्च अधिकारियों के होने के बावजूद भी अच्छी सेवा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। जबकि कम मानव शक्ति एवं कम उपकरण वाले प्राइवेट क्षेत्रों की दूरसंचार कम्पनियाँ देश की सरकारी कम्पनियों एमटीएनएल एवं बीएसएनएल को पछाड़ रही हैं। असंतोषजनक सेवा और खराब टेलीफोन सेवा के कारण लोग एमटीएनएल एवं बीएसएनएल की सेवाओं को छोड़कर प्राइवेट कम्पनियों की सेवाएँ ले रहे हैं, जिससे एमटीएनएल एवं बीएसएनएल को लगातार घाटा हो रहा है और प्राइवेट कम्पनियों को लाभ मिल रहा है, जिसमें वोडाफोन और एयरटेल आदि कम्पनियाँ हैं।

ऐसी परिस्थिति में, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने एमटीएनएल एवं बीएसएनएल के उच्च अधिकारियों की वर्तमान और खराब व्यवस्था की जिम्मेदारी की समीक्षा की है? अगर हाँ, तो दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, माननीय सदस्या ने एक गंभीर और बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाया है। मैं सदन की समझदारी के लिए इसको थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूँगा। एक बात मैं कहूँगा कि कॉम्पिटिशन आया है। प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं। लेकिन फिर भी, बीएसएनएल का मार्केट शेयर 31 मार्च, 2017 को 9.63 प्रतिशत था, अब 31.03.2019 को वह बढ़कर 10.72 प्रतिशत हुआ है। एमटीएनएल में थोड़ी-सी कमजोरी आई है। एक बात इस सदन को बताना बहुत जरूरी है कि बीएसएनएल के पास अधिकारी समेत 1,65,169 एम्प्लॉइज हैं। एमटीएनएल में 21,679 एम्प्लॉइज हैं। बीएसएनएल की जो एम्प्लॉई कॉस्ट है, वह इनकम का 75.06 पर्सेंट है और एमटीएनएल का 87.15 पर्सेंट है। बाकी कम्पनियों में, किसी का 2.94 पर्सेंट है, किसी का 5.59 पर्सेंट है।

हमारे पास कर्मचारी ज्यादा हैं। हमारा काम है उनकी चिन्ता करना क्योंकि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वह कश्मीर की बाढ़ हो, नेपाल का भूकम्प हो, अभी ओडिशा में जो

आपदा आई, तमिलनाडु की बाढ़ हो, उनमें बीएसएनएल ही आगे बढ़कर फ्री सेवा देता है ताकि लोगों को सुविधा मिले।

अब हम क्या कर रहे हैं, मंत्री बनने के बाद मैंने स्वयं छह-सात मीटिंग्स ली हैं। मैं इनको और प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बारे में सभी संभावनाओं की तलाश कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि बीएसएनएल ने अपने समय में कई प्रकार के कार्यक्रम किये हैं, इस दिशा में और भी कार्यक्रम करने की आवश्यकता है, जिसमें मैं लगा हुआ हूँ।

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूँगी कि वर्तमान समय में एमटीएनएल एवं बीएसएनएल की जो दयनीय हालत हो गई है, उसका मंत्री जी ने पूरा जवाब दिया है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो परिस्थिति है, वह उसको वॉच करने की है या उसके मूल कारणों का पता लगाने की है? वह पता नहीं लग पा रहा है। हम मीटिंग बुलाते हैं या आप जो मीटिंग बुलाते हैं, उसमें इन चीजों पर ध्यान दिया जाए। जैसे एक कमेटी बनाई जाती थी और कमेटी में निर्देश दिया जाता था कि ये-ये दिक्कतें आ रही हैं, उनमें सुधार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। वह मीटिंग कभी छः महीने में या एक साल में बुलाते हैं, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं निकलता। जो आदमी क्वेश्चन उठाता है या जहां से भी विभाग को खबरें देता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगी कि वे इस तरह की कमेटियों को टाइट कर के बनाने का काम करें, जिससे हमारा और आपका नाम हो। आप बहुत मेहनत करने वाले मंत्री हैं। आपने बहुत अच्छे से जवाब लिखा है, लेकिन थोड़ी सी कमी दिख रही है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के टावर नहीं मिलते हैं, जिसके कारण लोग प्राइवेट नेटवर्क लेते हैं, क्योंकि उन्हें दिक्कतें होती हैं। धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, श्रद्धामना रमा देवी जी का सुझाव एक एक्शन के लिए है। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें और इनवॉल्वमेंट हो, ताकि उनके सुझावों पर हम और प्रभावी रूप से विकास के कार्य कर सकें।

श्री मनोज कोटक : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि क्या एमटीएनएल और बीएसएनएल ने अपनी इक्विटी के एवज में 4जी स्पेक्ट्रम के आबंटन

के लिए सरकार से गुज़ारिश की है? आने वाले दिनों में 5जी और 6जी का पूरे विश्व में जाल फैलेगा, तब एमटीएनएल और बीएसएनएल इसके साथ कम्पीट कर सकें और अच्छे तरीके से ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सकें, जिससे सरकार की ये दोनों कंपनियां अच्छे मुनाफे तक जाएं। मंत्री जी ने मार्केट शेयर बढ़ा है, यह तो बताया, लेकिन टोटल मार्केट शेयर कितना बढ़ा है और उसमें इन दोनों कंपनियों का क्या प्रतिशत है, यह भी मंत्री जी बताएं। धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, हमें एक बात समझनी चाहिए। इस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां बहुत आई हैं। इससे कॉम्पटिशन भी होता है, प्रतिस्पर्धा होती है और कुछ डिसर्पशंस भी होते हैं, लेकिन इसका जनता को फायदा भी मिलता है। आज भारत में मोबाइल रेट और डेटा रेट दुनिया में लोएस्ट है, यह हमें समझना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वह कॉम्पटिशन फेयर होना चाहिए।

माननीय सदस्य ने 4जी की बात कही है। पूर्व में एक विचार हुआ था, चूंकि बीएसएनएल और एमटीएनएल सरकारी पीएसयूज हैं, अगर हम इनको स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में भाग नहीं लेने देंगे, तो संभवतः लगेगा कि सरकार इनके पीछे खड़ी है। हां, माननीय सदस्य का एक बहुत ही उचित विचार है कि 4जी की उपलब्धता इन दोनों कंपनियों को हो। मैं इसके बारे में पूरी संभावना तलाशूंगा।

SHRI KALYAN BANERJEE: Hon. Speaker, Sir, I express my thanks for giving me the chance to put this supplementary question.

Data is there and I am not disputing that data at all. But the point remains somewhere else. Today even in the rural areas, there would be net banking, and net system. There is a need for providing access to the net. Today, in the rural areas or anywhere else including cities, 3G is not sufficient for any net banking and net system and there is a need for 4G. Will you wait for the things to improve or, you will do something about it?

The intention of the Government is to make digital India. It is very good and we appreciate it. But for making an effective digital India, you have to

improve the quality of towers and you require enhancement up to 4G. I have a very specific question to ask from the hon. Minister. Are we in a position to enhance it up to 4G? Are we in a position to improve the efficiency of mobile towers? Everybody has his experience about it. I think all the MPs would want to speak about it. We had raised this matter in the Committee of 16th Lok Sabha. With the MTNL telephone which has been given to us, we do not get anything.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Hon. Speaker, Sir, the question which hon. Kalyan Babu has asked has two components. The first component is whether we are improving towers and network system. The answer is, 'yes' and 50,000 towers have been installed. If I can give you very specific numbers, in the last five years itself, the number of BTS installed by BSNL is 25200 and total BTS working in the country including BSNL and MTNL are 20 lakhs. Therefore, this has been done and I can give you further details of the other steps that have been taken.

Regarding availability of 4G, I would like to very humbly clarify to you that 4G gives good digital connect. That point is well taken, but as far as the banking system of India is concerned, you may recall, whether it is 2G or 3G, the banks have been operating on that. Therefore, to say that in the absence of 4G, banking system has completely got derailed is a little tall claim. But I do take your point that these public sector bodies need to be supplemented with 4G. As I said on the first day when I took over, I will explore all the options to make them viable and to make them competitive. I have also conveyed it to them and I have conveyed today to the employees of MTNL and BSNL that they also need to work together in a more professional capacity because I always feel very strongly to ensure a fair competition and to ensure equilibrium in the sector, we need to have

a public sector undertaking also. When it comes to Tsunami or earthquakes or Tamil Nadu floods or when it came to recent cyclone in Odisha, it is only entities like BSNL which give free service and bring succour. This is how we have to work.

श्री राजीव प्रताप रूडी: यह बिल्कुल सही है कि बी.एस.एन.एल. जैसी कंपनियां जब भारत में होती हैं तो प्रतिस्पर्धा देती हैं, लेकिन मेरा एक सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना उचित होगा कि जब आपदा आती है तो सिर्फ बी.एस.एन.एल. लगती है और बाकी कंपनियां ध्यान नहीं देती हैं। यह उचित नहीं होगा क्योंकि जब हजार मिलियन सबस्क्राइबर्स हैं तो सबके टावर्स होते हैं, सब चलते हैं।

माननीय मंत्री महोदय, आपने कहा और कोटेक इक्विटी की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बी.एस.एन.एल. का जो घाटा है, लगभग 90 हजार करोड़ है। यह उसी प्रकार से है, जैसे एयर इण्डिया का है। यह हमारी कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है। हमारा दायित्व बनता है इनके कर्मचारियों को बचाना और इसको प्रॉफिट में लाना। महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अभी जवाब दिया है और इनके ही बी.एस.एन.एल. की बैलेंस शीट है, इन्होंने कहा है कि कंज्यूमर्स का प्रतिशत बढ़ा है। इन्होंने कहा है कि वह 9 प्रतिशत से 10 प्रतिशत हो गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि वर्ष 2017 में इनकी आय 31,53,344 लाख थी और जब 1 प्रतिशत बढ़ गया है तो इनकी वर्ष 2018 में 31 मार्च तक आय 6 लाख 46 हजार लाख कम हो गई, जो 25,07,064 लाख हो गई है। अगर इस प्रकार के आंकड़े पब्लिक डोमेन में हों और हम फिर भी उसके बाद यह कहते रहें, आज भी हम जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, वह बी.एस.एन.एल. का करते हैं, पार्लियामेंट के सभी सदस्य। हमारा कमिटमेंट है। जब कोई टेलीफोन नहीं था तो बड़े-बड़े सेट इसी पार्लियामेंट में 1996 में दिये गए थे, जो बी.एस.एन.एल. के थे। आज भी हम लोग लॉयल हैं, लेकिन हमारे लिए कठिनाई है कि जब हम फोन करते हैं और फोन कटता है तो उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है। जब उधर से बिलिंग होती रहती है तो देश में सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। हर आदमी जिसके पास बी.एस.एन.एल. है, वह सरकार पर अंगुली उठाता है, जब वह उस फोन को उपयोग करता है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। महोदय यह विषय बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से एयर इण्डिया का संकट पूरे भारतवर्ष में है और हम अपना पैसा, सरकार का

खजाना लगाकर चला रहे हैं उसी प्रकार से बी.एस.एन.एल. को भी सरकार का खजाना लगाकर चला रहे हैं। यह कब तक चलता रहेगा? माननीय मंत्री जी इसका दूरगामी रास्ता क्या होगा, उसके बारे अगर टिप्पणी करना चाहें तो कीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आरम्भ में ही कहा कि इस विभाग के एक महीने पूर्व मंत्री बनने के साथ ही मैंने कहा था कि इसकी और तेज गति हो, इस कंपनी का स्वास्थ्य बढ़े। इसके लिए मैं सारी संभावनाओं की तलाश करूंगा और तलाश हो रही है। आपने जो एक बात बैलेंस शीट की कही, उसको मैं स्वयं एग्जामिन करूंगा और उसके बारे में टिप्पणी करूंगा। माननीय रूडी जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस विभाग को मैंने पहले भी देखा था। कई बार प्राइवेट कंपनियां नेचुरल कैलामिटी में दो दिन के लिए फ्री करती हैं और बी.एस.एन.एल., एम.टी.एन.एल. जब तक कैलामिटी खत्म नहीं होती है तब तक फ्री करती है। इस दृष्टिकोण से मैंने कहा था। इसलिए यह देशहित में है कि यह कंपनियां स्वस्थ हों।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला : माननीय अध्यक्ष जी, शुक्रिया जो आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। मेरा स्पेसिफिक सवाल मंत्री जी से है कि हमारे बॉर्डर इलाकों में आपकी यह सुविधा बहुत कमजोर है। हमारे लोग और जो वहां फौजी हैं, वे घर से बात नहीं कर सकते हैं। श्रीनगर के आपके केन्द्र में मशीनें पड़ी हुई हैं, मगर उनको लिफ्ट करने के लिए बड़ा हेलीकॉप्टर चाहिए, जो एयरफोर्स से चाहिए। अगर यह सुविधा इनको मिल जाएगी तो इन मशीनों को वहां तक पहुंचा सकेंगे और हमारे बॉर्डर इलाकों में आपके बी.एस.एन.एल. की सुविधा ठीक हो जाएगी। उसके बारे में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। शुक्रिया।

श्री रवि शंकर प्रसाद : आपने श्रीनगर की जो स्पेसिफिक समस्या बताई है, उसको मैं स्वयं देखूंगा, लेकिन हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हमारी सेना के जवान, जो बॉर्डर पर हैं, वह अपने परिवार से बात कर सकें, इसके लिए बीएसएनएल ने कई कार्यक्रम चलाए हैं। मैं इसकी स्वयं समीक्षा करूंगा कि इसको और मजबूत किया जाए। श्रीनगर का विषय मैं स्वयं देखूंगा।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती संगीता आजाद।

श्रीमती संगीता आजाद : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 17वीं लोक सभा में प्रथम बार बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को भी धन्यवाद देती हूँ और हमारे क्षेत्र लालगंज की जनता की भी बहुत-बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाकर मुझे यहाँ भेजा है। माननीय मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में बी.एस.एन.एल. की कुल कितनी लैण्डलाइन व मोबाइल कनेक्शन वर्तमान में उपलब्ध हैं? यदि इन कनेक्शनों में लगातार गिरावट हुई है तो इस प्रतिस्पर्धा के युग में बी.एस.एन.एल. को अपना वजूद कायम रखने के लिए कौन-कौन से सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि किन कारणों के चलते बी.एस.एन.एल. की सेवाएँ शाम होने के बाद से ही बाधित हो जाती हैं? कहीं इनकी सेवाओं को बाधित करने के लिए दूसरी निजी कंपनियों को लाभ पहुँचाने का मकसद तो नहीं है? धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने आजमगढ़ जिले के बारे में एक संख्या जानने की बात कही है, जो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। आजमगढ़ में कितने टावर्स हैं, कितने मोबाइल्स हैं, उनका डिटेल लेकर मैं आपको जरूर भेज दूँगा, लेकिन जहाँ तक आपने बाकी गुणवत्ता की कमी का सवाल किया है, उसका मैंने विस्तार से उत्तर अवश्य दिया है। फ्री रोमिंग की सुविधाएँ हमने दी हैं, जो केबल कनेक्टिविटी कॉपर की है, उसको फाइबर से कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की बात है, उसमें आज एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी हो गई है, यह सारा काम सफलता से बी.एस.एन.एल. ने किया है। जो हमारे नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम, जो पूरी सेना के लिए हम काम कर रहे हैं, वह काम बी.एस.एन.एल. कर रही है। जो नक्सलाइट इलाके हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी बैठे हैं, जो पूर्व में गृह मंत्री थे, उनके उस समय के विभाग से को-ऑर्डिनेशन करके जितने लेफ्ट-विंग एक्स्ट्रीमिस्ट एरियाज़ हैं, उसमें लगभग तीन हजार टॉवर लगाकर इसी बी.एस.एन.एल. ने काम किया है। ऐसे कई काम हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करने की जरूरत है, लेकिन हाँ, एक प्रतिस्पर्धा का युग है, प्रतिस्पर्धा में ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा हो, यह हमारी कोशिश होगी।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रक्षा खाडसे।

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि अभी आपने बताया कि बी.एस.एन.एल. में सुधार हेतु सरकार के माध्यम से काफी कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा आपसे यह सवाल है कि प्राइवेट कंपनी को भी हम आग्रह कर सकते हैं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में और आ.दिवासी क्षेत्रों में जाकर काम करे, क्योंकि अभी सभी योजनाएँ इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, बैंकिंग व्यवस्था इंटरनेट से जुड़ी हुई है, लेकिन यह व्यवस्था न होने के कारण आदिवासी क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दिक्कत आती है, धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, जो निजी कंपनियाँ हैं, उनका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा, उस बात को मैंने स्वयं संज्ञान में लिया है कि कई ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं, जहाँ पर निजी कंपनियों का प्रभाव कम है। उनका सुझाव बहुत सही है। इस बात की मैं कोशिश करूँगा कि बी.एस.एन.एल. के साथ-साथ बाकी निजी कंपनियाँ भी सुदूर जंगल के क्षेत्रों में जाएँ। यहीं पर, इस सदन को यह भी जानने की जरूरत है कि बी.एस.एन.एल. और प्राइवेट कंपनियों में क्या अंतर है? बी.एस.एन.एल. आदिवासी इलाकों में कमिटमेंट के साथ जाती है, भले ही प्रॉफिट हो या नहीं हो, क्योंकि वहाँ जाना जरूरी है। यह दृष्टिकोण प्राइवेट कंपनियों का भी हो, यह हमारी कोशिश होगी।

(Q. 62)

SHRI M.K. RAGHAVAN : Hon. Speaker Sir, thank you for giving me this opportunity.

The US Government has recently announced that it would end the privileges that India enjoys under the Generalised System of Preferences (GSP) starting from 5th June, 2019. The GSP was implemented in 1974 and it is the largest and the oldest US trade preferences scheme and it allows duty free import for thousands of products from designated countries like India.

Sir, out of the total exports of 48 billion US dollars, we export worth of around 6.3 billion US dollars to US under GSP. Unfortunately, the withdrawal decision of GSP will have a reasonable impact on our exports. This action under GSP is an indicator of tough trade position by the US against India.

I think India's loss of GSP status is a diplomatic setback and not an economic setback.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to how the Government proposes to address the trade related discontent which will definitely grow into a bilateral trade dispute in the near future and how India will negotiate to restore the GSP benefits.

SHRI PIYUSH GOYAL: Hon. Speaker Sir, it is important for the House and the people of India to know that the channelized system of preferences have been offered by the United States of America, of course, for the last almost 45 years. It may be probably, from 1975 which was also referred to yesterday. But it was largely a non-discriminatory and unilateral concession that the United States started giving to the less developed or the least developed countries to the

developing countries which, at that point of time, were in great deal of difficulty. Over a period of time, that has certainly helped India also to export more products to the United States. But as we have seen in the last few years, Indian industry is standing on its own feet, is becoming competitive and is able to compete with the rest of the world on its own terms, on the strength of its competitiveness and comparative advantages.

Today, in the overall context of things, we have an export of over 50 billion dollars to the US alone which in rupee terms comes to Rs. 4 lakh crore. The GSP that we were enjoying was being enjoyed in a very few products all of which totalled only Rs. 40,000 crore out of the larger basket of Rs. 42,000 crore.

Another thing to be noted is, even within this Rs. 42,000 crore export basket, nearly two-third of the products were getting benefit under four per cent. Our Indian industry is not so weak that they will not be able to compete on the withdrawal of GSP benefit which amounted to such a small amount.

At the outset, I would like to state that US has taken a unilateral position. We believe that it is not exactly as per the norms of WTO and GATT which have been mutually agreed and which are multilateral trade agreements. But, having said that, obviously, these are issues that come up in international trade. From time to time, countries have to engage with each other. There are always trade discussions and negotiations going on.

But one thing is very clear. This Government led by Prime Minister, Shri Narendra Modi will never ever compromise on national security and national sovereignty and at no point of time will trade negotiations be allowed to overtake what is in the national interests and the interests of the people of India.

Obviously, trade negotiations are going on. This particular step happened during the midst of the elections when obviously the Model Code of Conduct was in place and we were all, in this House also, busy with the election process. Soon after the new Government was sworn on the 30th of May, the United States took the decision on the 31st May to withdraw the GSP concessions from 5th June. We are in dialogue with the United States. We have a very very strong and healthy relationship with the United States of America, the world's oldest democracy. We are the world's largest democracy. Two large democracies engage with each other on very strong people-to-people ties, leader-to-leader ties and nation-to-nation ties.

I have no doubt in my mind that while going forward, the diplomatic engagement and the trade engagement with the United States will only get stronger and better in the years to come.

I can assure the entire House, through you Sir, and the people of India on this point. India engages with the United States on a number of diplomatic strategic trade issues all of which are on the basis of sovereign interests of the country. Both the countries protect their mutual trade and business interests.

Both the countries protect their strategic interest, and given the relationship that has been developed in the last five years with the United States, we have, today, a strong strategic partnership with the United States of America.

SHRI M. K. RAGHAVAN : Speaker Sir, we also know that the US has been pressurising India to extend patent protection to chemical and pharmaceutical products by giving this olive branch of GSP. We should understand that the

matters like GSP are a double-edged sword. India is already facing several cases in the WTO Dispute Settlement Body.

My second point is this. Will the hon. Minister be pleased to say as to what steps will be taken to recalibrate the approach which could enhance the competitiveness of Indian Exports and also will this subject be discussed in the upcoming meeting between the hon. Prime Minister and the President Trump on the side-lines of the G20 Meeting?

SHRI PIYUSH GOYAL: Hon. Speaker Sir, as far as engaging with different countries on different matters of trade, patents and services is concerned, these are all matters which are mutually discussed between different Governments. The decisions are taken in national interest, protecting the overall interests of trade and business in the country. I can assure the hon. Members, through you, Sir, as I said earlier, India will always ensure that Indian industry, business and trade are protected and given due consideration when matters like these are discussed. I do not know where the hon. Member got this information from that we are trying to trade off the GSP revival with the patent laws. There is nothing like that on the Table. I have had discussions. The Government of India is continuously in a dialogue with the United States also, and never once has this issue cropped up. So, I would urge the hon. Members not to bring in issues based on hearsay or newspaper reports, especially when they are related to very delicate issues like international negotiations and international discussions because that only serves to harm the interests of India and the interests of negotiations. While you have been in Government for many years before we came in, I am sure, you will also appreciate that any such international disputes, any such international

engagement and negotiations are best left to the people in the room rather than being discussed in the open house. Having said that, Sir, the hon. Member also raised the issue of supporting export. ...(*Interruptions*) I can assure the hon. Member that the Government of India, throughout the last five years, has continuously given more and more concessions, has continuously sat and worked with the exporter community to see as to how we can strengthen their competitiveness. I had very detailed discussions with different sectors of export industry over the last 25 days that we have been in Government in our second term, and since I took charge of this department, we have had extensive discussions with small traders, *Kirana* store owners, and the MSME/ industry associations, to understand as to how we can help them become more competitive. I have had discussions with bankers, financial institutions and the Export Credit Guarantee Corporation which supports exports through insurance. All of these engagements are helping us to further improvise the methodology and the delivery of support to make Indian exports more and more competitive.

श्री दीपक बैज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि अमेरिका से आने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने के कारण क्या सस्ती दर पर भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तुएं मिलेंगी? इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है तथा जीएसपी हटाने के कारण भारतीय व्यापारियों तथा उत्पादकों पर इसका क्या असर होगा?

श्री पीयूष गोयल : महोदय, अमेरिका ने कन्सेशन विदड्रा किया है। भारत का जो निर्यात होता है, उसके ऊपर जो कन्सेशन था, उसे विदड्रा किया है। उससे भारत के उपभोक्ताओं के ऊपर वास्तव में कुछ असर पड़ने की संभावना नहीं है। भारत के अंदर जो सामान आता है, उसके साथ इस जीएसपी विदड्राल का कोई संबंध नहीं है। हमारा जो कन्जूमर डिपार्टमेंट है, जो पूरे समय प्राइजेज को मॉनीटर करता रहता है और वाणिज्य विभाग भी, ये दोनों विभाग संतुलन के साथ काम करते हैं। देश में

कीमतों के ऊपर हम लगातार निगरानी करते रहते हैं। वास्तव में, इस देश में पहली बार इतनी कम मंहगाई की दर बढ़ने का जो दौर देखा है, वह अपने आपमें ऐतिहासिक रहा है।

कहां हम डबल डिजिट मंहगाई, जैसे कभी 12 पर्सेंट तो कभी 14 पर्सेंट पर होते थे। सन् 1974-75 में तो मंहगाई की ग्रोथ 34 पर्सेंट हुई थी। ...(व्यवधान) तो वहां से ले कर कहाँ सन् 2014 से 2019 के बीच मंहगाई की दर पांच सालों में एवरेज सिर्फ चार-साढ़े चार प्रतिशत के करीब रही है। ...(व्यवधान) और आजकल की मंहगाई की दर तो शायद तीन प्रतिशत से भी कम हो गई है। ...(व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI : Hon. Speaker, Sir, I heard the rather long filibustering answer which the hon. Commerce Minister gave. I would just like to tell him that this GSP situation did not manifest itself while the Model Code of Conduct was in place. This is something which has been festering ever since President Trump took office in 2016.

My specific question to the hon. Commerce Minister is that when this had been festering since 2016 and you had a number of rounds of negotiations with the USTR, why was your Government not able to handle the situation and why did things come to such a pass that these GSPs had to be invoked.

My second question, if you would allow me, is to the hon. Prime Minister and to the Foreign Minister since they are here. The US Secretary of State Pompeo is in town today. I would like to ask the hon. Prime Minister whether he would tell the US Secretary of State, when he meets him, that this bullying and arm twisting by the United States of America will not be tolerated by India.

माननीय अध्यक्ष : आप अभी माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछिए। यह डबल क्वेश्चन हो गया।

...(व्यवधान)

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, the hon. Member has been a member of the Union Cabinet before this Government came in and I am sure he jolly well understands that when a Minister gives a detailed reply, I think the House appreciates it. If he calls it filibustering, I think it is an insult to the Member of his own Party who raised the question in the first place whom I am trying to address with a very detailed answer. Moreover, filibustering, I would like to tell the hon. Member, is done in the United States Senate and not in India.

Secondly, I do not know whether the hon. Member gets his information that the United States was considering withdrawal of GSP since 2016. I have not read any news article; I have not read any information which gave us this clue that the United States was considering removing it since 2016. It is something which he may be privy to; maybe he has better contacts which keeps giving him information about what is happening. But I must say that if at all I was to grant the hon. Member that the United States was considering to withdraw this from 2016, I think it is only a recognition of the growing strength of India as an economy, because the GSP was originally intended, as I explained to the Member earlier, for the Least Developed Countries and for the Under Developed Countries. It had a benchmark that will only be for countries which are not in the definition of High Income Countries and, therefore, if at all the United States has started looking at India from India's position of strength as a country which is developing rapidly, particularly in the last five years, I think it is a matter of pride for all the people of India.

(Q.63)

श्री संतोख सिंह चौधरी: स्पीकर महोदय, बड़ा डीटेल्ड आंसर मंत्री जी ने दिया है। मैं यह भी समझता हूँ कि जो परमाणु शक्ति है, उस फील्ड में भारतवर्ष ने अपना बहुत बड़ा स्थान कायम किया है। मैं यह भी जानता हूँ कि आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, वह क्लाइमेट चेंज है। परमाणु शक्ति इसका एक सॉल्यूशन है। परंतु यह भी सही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से न्यूक्लियर प्लांट्स को भी खतरा बढ़ा है। समुद्री तूफान, सुनामी, पानी के तापमान का बढ़ना आदि इन सबकी वजह से न्यूक्लियर प्लांट्स को नुकसान पहुंचने का खतरा बहुत बढ़ा है। न्यूक्लियर डिजास्टर का रिस्क भी बहुत बढ़ा है।

उदाहरण के तौर पर सन् 2011 में जपान में फूकूशिमा न्यूक्लियर पॉवर प्लांट को भूकंप के बाद बंद करना पड़ा था। इसी तरह सन् 2014 में भारतवर्ष में कलपक्कम प्लांट को भी कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा था।

स्पीकर महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर पॉवर प्लांट्स से ऊर्जा बनने का जो खर्च आता है, वह बिजली के दूसरों स्रोतों से बहुत अधिक आता है। यह खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है, जबकि सोलर और विंड जैसे स्रोतों से बिजली पैदा करने की लागत लगातार कम हो रही है। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें इन्होंने कहा है कि सोलर से एक मेगावॉट का जो खर्च आता है, वह चार से पांच करोड़ रुपये आता है और न्यूक्लियर पॉवर से जो खर्च आता है, वह 15 करोड़ रुपये आता है। मैं यह समझता हूँ कि सोलर, विंड और दूसरे स्रोतों से जो रोजगार की संभावनाएं हैं, वे भी ज्यादा हैं। जो रिटर्न ऑन इनवेस्टमेंट है, वह भी बढ़ जाती है। साथ में जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, उसको सफली डिस्पोज करना भी इतना आसान नहीं है। इन्हीं कुछ कारणों से यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा और जापान जैसे देश अपने बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स डीकमीशन कर रहे हैं। एक प्लांट को डीकमीशन करने में भी कई साल लगते हैं और उस पर बहुत भारी रकम लगती है। इस ट्रेंड के उलट हम भारत में एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स स्थापित कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में जब बिजली पैदा करने के अन्य स्वच्छ और सस्ते स्रोत मौजूद हैं

तो क्या नए न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करना जस्टिफाइड है, वाजिब है? इन सब बातों पर मैं भारत सरकार की राय जानना चाहता हूँ।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें दो-तीन प्रश्न आ गए हैं। पहला तो सेफ्टी को ले कर है। सदस्य जी का यह कहना है कि यदि उसमें कुछ सेफ्टी रिलेटेड कोई आकांक्षाएं हैं तो शायद प्लांट और लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए। दूसरा, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है और तीसरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस को ले कर है।

जहां तक सेफ्टी का संबंध है, इन्होंने फूकूशिमा का उदाहरण दिया है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम में पूरी तरह से सेफ्टी का ध्यान रखते हुए एक मंत्र का पालन किया जाता है कि 'safety first production next', उस पर कभी कोई समझौता अथवा कम्प्रोमाइज़ नहीं रहता है। जब कोई नया प्लांट प्लान किया जाता है तो कंस्ट्रक्शन से पहले ही प्लानिंग के दौरान उसका हर तीन महीने में जायज़ा लिया जाता है। फिर जब उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, हर छह महीने बाद लिया जाता है। जब वह काम करना शुरू कर देता है तो हर पांच वर्ष के बाद और फिर दस वर्ष के बाद उसका पुनः लाइसेंस रिन्यु करने का रहता है। जहां तक सुनामी की इन्होंने बात की है, हमारे अधिकतर प्लांट्स ईस्टर्न कोस्ट और वैस्टर्न कोस्ट पर हैं। ईस्टर्न कोस्ट पर जहां बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है और सबसे नज़दीक सुनामिक ज़ोन जो वहां पड़ता है, वह इंडोनेशिया में लगभग 1500 किलोमीटर दूर पड़ता है। वह भी सेफ्टी की दृष्टि से बड़ा सिक्योर है। वैस्टर्न कोस्ट, जहां हमारे तारापुर इत्यादि के प्लांट्स हैं, उनका नियरेस्ट सुनामिक ज़ोन पड़ता है कराची के आगे वैस्ट पाकिस्तान में, जो पहले वैस्ट पाकिस्तान था और अब पाकिस्तान है, वह भी लगभग 900 किलोमीटर है। उस दृष्टि से हमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक कॉस्ट इफेक्टिवनेस का सवाल है, महोदय, इन्होंने ठीक कहा है कि इसमें दो बातें हैं। यह कहना शायद पूरी तरह उचित न हो कि न्यूक्लियर एनर्जी का कोई औचित्य है भी कि नहीं। क्योंकि वास्तविकता यह है कि nuclear energy is going to be the main source of energy for India's rising energy requirements in the years to come, और साथ ही साथ यह क्लीन

सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। यह भी इन्होंने ठीक कहा है कि उसकी लागत वर्तमान में लगभग 15 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट है, जबकि दूसरे सोर्स की लागत लगभग 5-10 करोड़ रुपये के लगभग है। अपने-अपने मैरिट्स रहते हैं। सोलर एनर्जी यद्यपि क्लीन सोर्स है, लेकिन वह स्टेबल नहीं रहता है।

इसी तरह थर्मल पावर का क्लाइमैटिक और पॉल्यूशन वाला भी एंगल है और लागत भी ज्यादा रहती है। इसके साथ-साथ मैं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आपके माध्यम से यह भी हाउस के साथ साझा करूँ कि पिछले 4-5 वर्षों में प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी गाइडेंस में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जिससे कि हमारे एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को बल मिले, प्रोत्साहन मिले, हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास की हौसला अफजाई हो और आर्थिक सहयोग भी मिले। उदाहरण के तौर पर एक मिनट में मैं आपको यह बता दूँ, एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते मंत्रिमण्डल ने यह फैसला किया है कि हर वर्ष एक नया रिएक्टर लगाया जाएगा, देश में आने वाले कुछ वर्षों के लिए, ताकि हमारे एटॉमिक एनर्जी प्लांट की एक्सपेंशन भी हो और उसकी जनरेशन भी बढ़े। पहली बार मंत्रिमंडल के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दस करोड़ रुपये प्रति वर्ष अगले दस वर्ष के लिए इस बजट में निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ है ज्वाइंट वेंचर्स को लेकर। पहले चूँकि एटॉमिक एनर्जी में हमें धनराशि और बजट की दिक्कतें और दुविधाएँ रहती थीं, क्योंकि यह पूरी तरह गवर्नमेंट सेक्टर में था। अब यह निर्णय लिया गया और उसको संसद में भी लाया गया कि पीएसयूज की भागीदारी रहेगी, जिसमें हमें आर्थिक सहयोग मिलेगा। एफडीआई का निवेश, जहाँ तक एक्विपमेंट्स बनाने का संबंध है, इसी तरह एक फैसला करके 12 रिएक्टर एक ही निर्णय के द्वारा किए गए, which in itself is a history. कहने का तात्पर्य यह है और एक महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले 50-60 वर्ष तक ये एटॉमिक एनर्जी के प्लांट्स देश के कुछ हिस्सों में सीमित थे, दक्षिण में अधिकतर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम में महाराष्ट्र। पहली बार इनको उत्तर भारत की तरफ एक्सपैंड किया गया है। दिल्ली राजधानी से ही लगभग 150 किलोमीटर दूर हरियाणा में गोरखपुर नाम के स्थान पर काम जारी है। दो-तीन वर्ष में वह फंक्शनल हो जाएगा।

श्री संतोख सिंह चौधरी : सर, मेरा सैकेंड सप्लीमेंट्री है कि परमाणु ऊर्जा नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक परपज को पूरा करने का भी साधन है। उदाहरण के लिए इस क्षेत्र में यूएसए ने अपने

डोमिनेंस के कारण ग्लोबल न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को स्थापित करने में अहम रोल निभाया है। इसलिए परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा और जियो पॉलिटिक्स दोनों में इनवेस्टमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। स्पेस रिसर्च भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है और भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन (इसरो) ने सैटेलाइट लॉन्च में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। इसरो ने करीब 30 देशों में 200 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसके साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकार्ड भी शामिल है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास अन्य देशों को परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए कैपिटल एंड एक्सपर्टीज से मदद करने की कोई योजना है ताकि इस क्षेत्र में भी हमारे क्षेत्र का जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज और डोमिनेंस है, वह बढ़ सके?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय 22 रिएक्टर फंक्शनल हैं और वर्तमान सरकार ने एक निर्णय लेते हुए 9 न्यूक्लियर पावर और 12 एडिशनल रिएक्टर 2024-25 तक लगाने का फैसला किया है। इसमें कुछ दूसरे देशों की कॉलेबोरेशन भी रहेगी और पाँच-पाँच भिन्न-भिन्न वेन्यूज पर ये लगाए जाएँगे। इसके अतिरिक्त जापान के साथ प्रधान मंत्री जी का जब दौरा था, एक अलग से एमओयू और उनके साथ एक समझौता साइन किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि बड़ी मात्रा में और जैसा मैंने कहा कि अब एफडीआई के निवेश का रास्ता भी खोला गया, though in a limited manner, in the sense that they cannot setup an atomic plant, but they can manufacture equipment and supply. निश्चय ही इसमें राशि उपलब्ध हो, बजट की दिक्कतें न हों और फॉरेन कॉलेबोरेशन हो। जहाँ तक आपने दूसरे देशों के कुछ एक उनके प्रावधान हैं, उनकी बात की। एक सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज ट्रीटी रहती है जो अंतर्राष्ट्रीय है। भारत उसका हिस्सा है और हमने उससे बढ़ कर एक कदम आगे जाकर एक इन्श्योरेंस पूल काम किया है, जिसका आपके पहले वाले प्रश्न से भी संबंध है और अंतर्राष्ट्रीय जो बाहर से हमारे साथ कॉलेबोरेशन होगी, उनको किसी प्रकार की शंका न रहे, उसको भी एड्रेस किया गया है। उसमें लगभग 2600 करोड़ रुपये की कॉम्पनसेशन का रहता है।

अगर कोई हादसा या दुर्घटना हो जाए। अगर मैं बहुत आंकड़ों में जाऊँगा तो पहले 1200 फिर 1500 और यदि न हो तो चूँकि हम कम्पेन्सेटरी कन्वेन्शन के हस्ताक्षरकर्ता हैं, तो उसमें भी भारत इस समय निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा है।

डॉ. संजय जायसवाल: महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज कैगा न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन के यूनिट 1 ने दिसम्बर, 2018 में लगातार 941 दिन चलकर ब्रिटेन के हैशम प्लांट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का और सभी वैज्ञानिकों का इस देश की तरफ से बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही मैं यह बताता हूँ कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में कितने संबल हैं। अभी माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे थे तो मुझे 2011 की लोक सभा याद आ गई। उस समय गुजरात को केवल इसलिए सजा दी गई थी कि नेशनल प्रोग्राम सोलर एनर्जी बनाने से पहले आपने काम क्यों शुरू कर दिया, इसलिए आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी।

मेरा प्रश्न यह है कि थर्ड फेज में माननीय मंत्री जी ने यह फैसला किया था कि हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स की बात करेंगे और हम लोग थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स को बनाएंगे। यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स में आज भी हमें यूरेनियम के इम्पोर्ट की जरूरत पड़ती है। आज न्यूक्लियर रिएक्टर्स में विश्व न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी की तरफ चला गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से यही प्रश्न है कि थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स का भविष्य में देश का क्या प्रोग्राम है? न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी सबसे क्लीन टेक्नोलॉजी होगी और फिर हमें कोई इम्पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इस पर हमारे देश ने काम करना शुरू किया है या नहीं?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदय, आदरणीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दी और हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, जो इन्होंने 962 दिन के एक रिकॉर्ड का उल्लेख किया है। उसमें साथ में मैं यह भी जोड़ देता हूँ कि हमारा तारापुर का जो प्लांट महाराष्ट्र में है, उसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह भी विश्व में अपने में एक रिकॉर्ड है। विश्व में ऐसा बहुत कम बार होता है कि एक साल तक लगातार 365 दिन कोई रिएक्टर चलता रहे। हमारे यहाँ ऐसा 28 मर्तबा हो चुका है। इस दृष्टि से भी हमारा रिकॉर्ड रहा है।

जहाँ तक थोरियम का संबंध है, आदरणीय सदस्य का कहना ठीक है। We are one of the richest store houses of Thorium in the world and Thorium is going to be the main source of nuclear energy in the years to come. इसमें आरम्भ में कुछ दिक्कतें अवश्य थीं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ लगभग 12 मिलियन टन मोनोज़ाइट का रिजर्व है, क्योंकि यह मोनोज़ाइट से बनता है। We have planned that by the year 2031-32, there will be a ten-fold increase in the reserves. उसमें थोरियम का भी उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त थोरियम केवल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए नहीं, मैं एक बड़ी रोचक बात यह भी साझा करूँ कि थोरियम का इस्तेमाल नॉन एटॉमिक एप्लिकेशंस में भी होता है, जैसे हमारे बल्ब के फिलामेंट्स हैं, जैसे हमारी वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे हमारे लैम्प के फिलामेंट्स हैं। There are extra atomic applications of Thorium as well. दिक्कत इसमें केवल यह आई थी, पिछले तीन-चार वर्ष से पहले, 2012-13 के लगभग कि कुछ-कुछ तस्करी के समाचार आने लगे। Monazite is one of the associate minerals out of eight minerals which are found on the sand beaches of Kerala and Tamil Nadu. Granite is also one of them. कुछ लोग ग्रेनाइट की खुदाई करने का कान्ट्रैक्ट लेते थे, साथ-साथ वे मोनोज़ाइट लेकर निकल जाते थे। अब उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इमेजिंग से हमें पता चल जाता है। कहीं संदिग्ध मूवमेंट हो रही हो, तो उसका भी पता लगता है। जो हमारे चैक गेट्स हैं, चाहे रेडियो गेट्स हैं, उन्हें और ज्यादा सुदृढ़ कर लिया गया है। निश्चय ही थोरियम कार्यक्रम की तरफ बढ़त करने के लिए ये सारे प्रावधान किए जा रहे हैं।

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, I would like to put my question to the hon. Prime Minister. There is a major concern regarding storage of nuclear reactor waste, especially, in my State, in Kudankulam where a Russian Plant has been set up. The Government is planning to temporarily store the used fuel or the nuclear waste. That is the concern of the people of Tamil Nadu. Already, our people are scared of the nuclear plant being set up in Tamil Nadu. A severe protest was

there. We have already seen three major nuclear plant disasters in the world. Moreover, storage of nuclear waste is an important concern. Is it possible for the Government to take the nuclear fuel or waste away from the reactors and store them in desert areas where there is no human presence? It would be safer.

DR. JITENDRA SINGH: I thank the hon. Member. He has raised a question which has been in discussion for quite some time because there were certain newspaper reports particularly in the newspapers published from Tamil Nadu. But, with all the confidence at my command, I would suggest that there is no apprehension as far as this is concerned. This is not specifically something which is happening only to Kudankulam Plant. The same process and the same procedure is followed in the plants which are located in Rajasthan and in Maharashtra. Actually, if you allow me to just spend one minute into the scientific details, within the reactor itself, we have a storage system which is called In Reactor Wastage or IRW, something like that. So, whenever the reactor is in the process, the usable or used material – I would not say even waste because it might sometimes be again usable – is stored within a chamber which is a part of the reactor. It is stored there for a couple of days, weeks or months and not beyond that. It is because, if it is stored beyond that, what would happen is that more of the usable fuel which would come out will not have a space to get accommodated and, therefore, the reactor would become standstill. Therefore, after a couple of days, it is then shifted to, what is known as, Away from Reactor Waste (ARW). There, it is stored for almost 50 years. It is stored deep down, at least 30 metres below the surface of the earth, which is absolutely safe. This is the practice which is a standard practice followed all over the world, even in other

plants in India. Somehow, some apprehension was raised because of some hearsay and it became a topic of discussion. But I would request the hon. Member, since he is a literate person, also to allay the fears about this and join us in making this awareness campaign more successful. Thank you.

श्री हसनैन मसूदी: जनाब स्पीकर साहब, जम्मू-कश्मीर में बिजली की फ़राहमी की शदीद कमी है। इस हद तक कमी है कि कश्मीर डिवीजन में सब-ज़ीरो टेम्परेचर में दस से बारह घंटे की लोड शेडिंग होती है। आजकल जम्मू में, जहां 45 डिग्री सेल्सियस के आस-पास टेम्परेचर है, वहां भी दस से बारह घंटे की लोड शेडिंग होती है।

मैं आप की वसादत से जनाब वज़ीर मौसुफ़ से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार कब जम्मू-कश्मीर को उसके पावर प्रोजेक्ट्स वापस करने जा रही है, क्योंकि Jammu & Kashmir being a world renowned tourist destination, demand-supply deficit has an adverse fallout on the overall economy of the State. मैं समझता हूं कि मरकज़ी सरकार जम्मू-कश्मीर को उसके पावर प्रोजेक्ट्स को वापस देने के लिए वादहबन्द है, जो कि बड़े अर्से से सेन्टर की तहरीर में है। इसे कब तक वापस देने का इरादा है और क्या इसमें कोई शुरुआत हुई है?

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Speaker, Sir, I welcome the question raised by the hon. Member. But please permit me to submit that this is actually related to the Ministry of Power and is not directly related to the Department of Atomic Energy. As far as the Department of Atomic Energy is concerned, I appreciate the first half of your concern that the increasing needs of energy are being felt even in peripheral States like Jammu & Kashmir and North East. What we have done in the last four-five years under the guidance of the Prime Minister is that we are trying to explore other venues where we could set up atomic plants. That is how we have come back to Haryana. We are already setting up a plant. We are in the process of exploring new sites in Punjab near Bathinda and near Patiala. We

have a huge reserve in Meghalaya, in North East. But only because of landslides and some earthquake proneness, we got little held up. So, what I am trying to say is that as far as the atomic energy availability is concerned, we are gradually moving to different parts of the country. Possibly, one day, Jammu & Kashmir will also get that benefit.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Thank you, Speaker, Sir for giving me an opportunity to ask a Supplementary Question. My Question is very specific. It would be in the notice of the hon. Minister that there is a nuclear atomic plant that has been proposed in the district of Srikakulam which is my very own district in the State of Andhra Pradesh. What is the status of this project? It has been under construction for a long time. I would like to know whether there are any bottlenecks, as such, or whether it is under a smooth progress. Thank you.

DR. JITENDRA SINGH: I appreciate the hon. Member's concern. As of now, we have not come across any impediments or hurdles. But as I said, the process of setting up of a plant and making it functional goes through different stages. Since necessary checks and balances are also ensured from the safety point of view, it takes some time.

(Q. 64)

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU :Thank you for giving me an opportunity to present a case which is related to my constituency and East and West Godavari districts of Andhra Pradesh.

It is with regard to the transport and marketing assistance in lieu of MEIS and other schemes that are available for export of agriculture products, and it is related to my area which is predominantly called as the rice bowl of India. It is also called the aquaculture hub of India. Seventy per cent of the sea food on the land is being exported from my Godavari districts. The removal of the MEIS Scheme and other schemes has caused a great concern. They are proposing transport incentive. For example, I would like to make a mention. For one container of sea food shrimps, they would be getting around Rs. 7 lakh by way of MEIS and the container transportation cost is around Rs. 2.5 lakh. Even if you give the entire transportation subsidy, still they would be losing around Rs. 3 lakh to Rs. 3.5 lakh on every container. Ultimately, the burden would fall on the aqua farmers. Already they are losing a lot and this would be a major burden.

In the same way, the transport subsidy for rice export would be pittance. It is hardly 20 per cent of what they were getting now. So, in view of the farmers' woes which are there in our area, I would request the hon. Minister to give a patient hearing as well and see that the farmers are not put to any greater loss.

SHRI PIYUSH GOYAL: Hon. Speaker Sir, I think this has been one Government which over the last five years has been most responsive to anything to do with fisheries, to do with farmers and the very fact that we are supporting over 15 crore farmers and nearly one and a half crore fishermen in this country over the

last five years with various schemes one after the other. It is testimony to our intention to support the community. I think the hon. Member has mixed up the transport subsidy to agricultural exports with the MEIS scheme. The MEIS has nothing to do with this particular scheme that is in reference in this question. The transport and marketing assistance scheme is a new scheme which we have introduced on 27th February, 2019 as recently as now. It is not in lieu of some other scheme. For the next one year, we are going to give support for providing assistance to the international component of freight and marketing of agricultural produce. We have a long list of products. This is going to be available in the Ministry. It has been carefully assessed as to what are the products that needs support and value-added products of fish and meat are covered under this policy. So, I think this is a benefit that the fishermen of Andhra Pradesh will also enjoy.

I must mention to the hon. Member that this is one Government which engages with the people. His request that we should give a patient hearing, I can assure him that our doors are always open. We welcome farmers, we welcome fishermen from Godavari to come and tell us as to how we can help them and what more we can do. For us, supporting the fishermen to do better is the priority that we have started a new department which is focussed on fisheries and animal husbandry.

I am sure they will be happy to engage with your constituents from Godavari district to see how we can do better.

Hon. Speaker, before it becomes twelve, I would not get a chance. Since hon. Member has spoken about filibustering in an earlier question, I thought I must inform the House that filibustering is a political procedure where one or

more Members of Parliament or Congress debate over a proposed piece of legislation so as to delay or entirely prevent that decision being made on the proposal. So, I know Mr. Tewari has fantastic knowledge of English. Many members do not even understand the words that he is mentioning. But I thought he must be educated about what filibustering is.

12.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि, ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

...(व्यवधान)

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH C. ANGADI): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Kolkata Metro Rail Corporation Limited, Kolkata, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Kolkata Metro Rail Corporation Limited, Kolkata, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 39/17/19]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Railway Information Systems, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Railway Information Systems, New Delhi, for the year 2017-2018.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 40/17/19]

12.01 ½ hrs**COMMITTEE ON PETITIONS**
68th Report (16th Lok Sabha)

महासचिव : स्पीकर सर, मैं केवड़ा और मैथा कृषि/तंबाकू उद्योग में नियोजित लाखों तंबाकू किसानों, श्रमिकों की आजीविका बचाने तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 'खाद्य' की परिभाषा को सुसंगत करने के संबंध में श्री संजय बेचन के अभ्यावेदन पर 68वां प्रतिवेदन* प्रस्तुत करती हूँ।

* In terms of Direction 71A of the Directions by the Speaker the then Chairperson, Committee on Petitions presented the 68th Report to the Speaker, 16th Lok Sabha on 09.03.2019 before dissolution of the House and the Speaker ordered the printing, publication and circulation of the report Under "Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha".

12.02 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 23rd Report of the Standing Committee on Railways on 'Maintenance of Bridges in Indian Railways: A Review' pertaining to the Ministry of Railways*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH C. ANGADI): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 23rd Report of the Standing Committee on Railways on 'Maintenance of Bridges in Indian Railways: A Review' pertaining to the Ministry of Railways.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 41/17/19.

12.03 hrs

ELECTIONS TO COMMITTEES

**(i) National Institute of Mental Health and Neuro Sciences
(NIMHANS), Bangalore**

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): I beg to move the following: -

“That in pursuance of clause (l) of sub-section (1) of section 5 of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (NIMHANS), Bangalore Act, 2012, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (NIMHANS), Bangalore subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“ कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान (निम्हान्स), बंगलोर अधिनियम, 2012 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान (निम्हान्स), बंगलोर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यक्षीन, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) Rubber Board

THE MINISTER OF RAILWAYS AND MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL): I beg to move the following: -

“That in pursuance of clause (e) of sub-section (3) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, read with sub-rule (1) of Rule 4 of the Rubber Rules, 1955, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि रबर नियम, 1955 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित रबर अधिनियम 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ड.) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, रबर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्याधीन अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

↓

(iii) Tobacco Board

THE MINISTER OF RAILWAYS AND MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL): I beg to move the following:

“That in pursuance of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Tobacco Board Act, 1975, read with Rule 4 of the Tobacco Board Rules, 1976, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Tobacco Board, subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“ कि तंबाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4 के साथ पठित तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, तंबाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्ययधीन, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.04 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

1st Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND
MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I rise to present the First
Report of the Business Advisory Committee.

12.05hrs

NOMINATION TO PANEL OF CHAIRPERSONS

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 9 के अंतर्गत मैंने निम्नलिखित तीन सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नामित किया है।

1. श्री ए.राजा
 2. श्री पी.वी.मिथुन रेड्डी
 3. श्री भर्तृहरि महताब
-

माननीय अध्यक्ष : अब शून्य काल ।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Thank you very much, Sir. The State of Tamil Nadu is reeling under severest water crisis and worst hit after 140 years leading to water emergency. My leader Dr. M.K. Stalin has called for a demonstration throughout the State day before yesterday.

Sir, the new NITI Aayog, the brain-child of the hon. Prime Minister, the former Planning Commission, in its first report has said that India is home to 16 per cent of the world's population and has 4 per cent of freshwater resources at its disposal. It says that 40 per cent of the people will not have any access to water by 2030 in our country.

In its second report it says that 21 cities in India will not have any access to water and more than two lakh people will die due to inadequate access to water. It further says that 600 million people of India will not have any water at all at that point of time. This is the Indian scenario.

As far as Tamil Nadu is concerned, in Chennai city alone 10,000 tanks and lorries are coming to feed the city. This is the state of water in a metro city, which receives the water supply from four lakes - Chembarambakkam, Cholawaram, Pundi and Red Hills. All the water storage tanks are dried up. On May 29th this year, the total water available in the State was 76 million TMC whereas last year it was 2964 million TMC. You can understand how the things are going on. By now all the tanks would have been dried up.

All the rivers in Tamil Nadu like Cauvery, Vaigai, Thenpennai, Palar, and Amaravati are dried up and look like deserts. So, all the water sources are dried up. There is no other source of supply of drinking water to the people.

So, my request and demand to the Government of India is to see that supply of water through rail-tankers is immediately augmented.

The second thing is that at least at 20 places, desalination plants may be allowed to be established throughout the coastal area of 13 districts.

Moreover, at least now, the Government of India should come forward to see that proper arrangement is made for regular supply of water to the Chennai city without fail. This is the most important thing. This is very much needed to see that all the people are thirst-free.

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री कुलदीप राय शर्मा एवं श्री बी. मणिकम टैगोर को श्री टी.आर. बालू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने लोकसभा क्षेत्र माल्दहा उत्तर के एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिये। अब किसी सदस्य को चेयर को धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है आपका नाम लॉटरी में खुला है, इसलिए आप सीधा बोले।

श्री खगेन मुर्मु: ठीक है, महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या बाढ़ की है। हर साल मेरे लोकसभा क्षेत्र में गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ की वजह से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। हर साल मेरे लोकसभा क्षेत्र में बाढ़ की वजह से करोड़ों लोगों के जन-धन और फसलों की हानि होती है। मेरे लोकसभा क्षेत्र के रतुआ ब्लाक के महानंदटोला और बिलाईमारी तथा हरिश्चंद्रपुर-2 के भालुका एवं भाकुरिया उत्तर तथा दक्षिण सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी गंगा तथा उसकी सहायक नदियों की बाढ़ से आम जनता को काफी नुकसान होता है।

मेरे लोकसभा क्षेत्र की एक और प्रमुख गंगा की सहायक नदी फुलाहार है, जिसमें बाढ़ के कारण भाकुरिया और उसके आस-पास की करीब हजारों एकड़ जमीन और हजारों की संख्या में आम जनता प्रभावित होती है। फुलाहार नदी में बाढ़ से होने वाले कटान के कारण भाकुरिया की लगभग सैकड़ों

एकड़ जमीन नदी में समा गई है। इसके अलावा गंगा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र मानिकचक ब्लाक, कालियाचक 2 और 3, पारदेवनापुर, शोभापुर जो कि मालदा दक्षिण के तथा फरक्का ब्लाक, शमशेरगंज ब्लाक, सुती-1, सुती-2, रघुनाथगंज-1 और 2, लालगोला, रानीनगर, कांदी ब्लाक, जो कि मुर्शिदाबाद के अंतर्गत आते हैं, इसके अलावा नदिया जिले के भी कुछ हिस्से हैं जो गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ के पानी से काफी प्रभावित होते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि गंगा और इसकी सहायक नदियों में बाढ़ से होने वाले नुकसान का समुचित समाधान करने की कृपा करें तथा प्रभावित क्षेत्र की आम जनता को हो रहे नुकसान तथा हुए नुकसान के लिए राहत तथा पुनर्वास की व्यवस्था जल्द से जल्द करने की कृपा करें। इसके साथ ही मैं यह भी माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बाढ़ की समस्या का पूर्ण समाधान करने की कृपा करें ताकि आम जनता को इस त्रासदी से निजात मिल सके, धन्यवाद सर।

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Mr. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of this hon. House and also the Government of India to the repercussions of the change in the eligibility criteria for the examination held by the Institute of Banking Personnel Selection. In 2014 and prior to 2014, for the posts of Officer Scale-1 and Office Assistant Multipurpose for Regional Rural Banks, it was mandatory that the candidates, who apply for the examination, must profess proficiency in the local language.

I will read out a sentence from the 2014 notification. It said that the candidates will be required to submit information regarding local languages studied in Matriculation, 10+2, Graduation in the online application form. Good knowledge of the local language is a necessary requirement.

However, Sir, this requirement was changed after 2014. Post 2014, this change was made in the notification – “where the candidate does not meet the

requirement of local language at the time of selection, he will be given a time of six months from the date of joining to acquire the proficiency. This period can be extended by the RRBs within the framework of rules and that extension can be upto one year.”

So, as a result of this change in the requirement of proficiency in local language, people who know the local language are not getting jobs in the rural banks in different parts of the country, more so in Karnataka.

I would just want to conclude by bringing to your notice the anomaly that this has created. Sir, from 2014 onwards - 64 per cent, 61 per cent and 81 per cent respectively - people who are outsiders are getting jobs in rural banks of Karnataka.

*....*My only request is that the youth of Karnataka should get employment opportunities in rural banks in Karnataka. Injustice should not be meted out to them. Therefore, the guidelines prior to the year 2014 should be implemented to ensure justice to Kannada youth and enable them to get employment opportunities. Youth of Karnataka voted the Bharatiya Janata Party and sent 25 Members to represent them in Lok Sabha. Hon. Prime Minister Narendra Modi Ji has always been inspiring the youth of Karnataka by making all efforts to instil confidence and thus, he retained their faith*.

I urge the State Government to revert the notification. Sir, last week, there was a notification for this examination. I urge the Central Government to kindly revert to the status that existed prior to 2015-16 and the notification of 2014. Thank you for the opportunity.

.... English translation of the speech originally delivered in Kannada.

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री एस.सी. उदासी को श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं आपके माध्यम से, यूपीए सरकार में जो 126 पिलाटस मल्टी मॉडल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदे गए, उसमें अभी सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, उस एफआईआर की तरफ मैं सदन और पूरे देश-दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

सर, यूपीए सरकार ने 2005 में ऑफसेट क्लॉज के नियम को बदला। 2008 में संजय भण्डारी जी की एक ओआईएस कंपनी थी, उसके साथ पिलाटस ने एक ऑफसेट एग्रीमेंट साइन किया और 2009 में उसे पैसा मिलना शुरू हुआ।

अध्यक्ष महोदय, पिलाटस कंपनी की कमीशनखोरी में, ...* का एमिरेट्स का एक एकाउण्ट – 1021497657901 है। 13 जून, 2009 को यह पैसा सनटेक कंपनी में गया, उस कंपनी ने एक फ्लैट – 12, ब्रैंसन स्क्वायर, लंदन में खरीदा। उस कंपनी जैसी एक अन्य कंपनी वर्टेक्स होल्डिंग कंपनी थी, जिसने ठीक उतने ही दाम पर वह फ्लैट 2010 में खरीद लिया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि 12, ब्रैंसन स्क्वायर, लंदन का जो मकान है, वह ...* का है या नहीं, इसे सरकार को बताना चाहिए। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय यह है कि इस एयरक्राफ्ट के लिए जुलाई, 2011 में कोरिया की जो एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज थीं, जो कोरिया के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि पिलाटस को जिस आरएफक्यू में दिया गया है, वह किसी कीमत पर पूरा नहीं करेगा। ... (व्यवधान) जो हमारे रक्षा मंत्री थे, माननीय मनोहर परिकर साहब ने 2016 में इसके ऊपर कहा कि उस वक्त कोरिया के मंत्री ने जो ऑब्जेक्शन दायर की थी, वह सही थी।

उसके ऑब्जेक्शन के बाद भी किस तरह से यह एयरक्राफ्ट दिया गया। दूसरा, इनको गुस्सा आता है। मैं आपको टिकट के साथ बता रहा हूँ।

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदय, 7 अगस्त को ... * को एमीरेट्स की फ्लाइट, ईके-71 में जिनेवा जाने का टिकट दिया। ... (व्यवधान) उसी तरह से 17 अगस्त को उसी संजय भंडारी ने उनको एलेक्स 563 ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : मैं यह कह रहा हूँ कि उनको ज्यूरिख जेनेवा जाने के लिए टिकट दिया। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से चार-पांच प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) इनका ... * से क्या रिलेशन है। ... (व्यवधान) इनका फ्लैट नम्बर-42, अपर ब्रुक स्ट्रीट, मेफेयर, लंदन किसका है? ... (व्यवधान) ग्रासवेनर प्रॉपर्टी 238, एजवेयर लंदन किसका है? फाइव विकरेज रोड एजबेस्टन, बर्मिंघम लंदन प्रॉपर्टी किसका है? ... (व्यवधान) फोर बेड रूम अपर स्टोरी बिल्डिंग, सरटोगा लंदन में किसका है। ... (व्यवधान) आर्लिंगटन रोड सेंट जॉन, लंदन में, यह प्रॉपर्टी किसकी है? ... (व्यवधान) लैंड फॉर सोलर वाला प्रोजेक्ट, जो बीकानेर में खरीदा गया, यह किसका है? ... (व्यवधान) पांच सौ एकड़ लैंड फरीदाबाद में ली गई, यह किसकी है? ... (व्यवधान) डीएलएफ में, मंगनोलिया में, चार फ्लैट्स किसके हैं? ... (व्यवधान) ये सभी ... * के हैं। ... (व्यवधान) मैं सरकार के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें इमीडिएट ... * के साथ एफआईआर करके, उस समय के तत्कालीन मंत्री को जेल जाना चाहिए। ... (व्यवधान) मेरा कांग्रेस पार्टी से आग्रह है, एक कहावत है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः, ... (व्यवधान) जय हिंद, जय भारत।

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं प्रतापगढ़ से चुन कर आया हूँ। मैं प्रतापगढ़ की ईश्वर स्वरूप जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 17 वीं लोक सभा में हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में नगर क्षेत्र भगवा चुंगी से

सैयावांध नाले तक लगभग तीन किलोमीटर नाले का निर्माण एन.एच. - 96 से अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड सुल्तानपुर इकाई द्वारा किया जाना था, किन्तु लगभग छः वर्षों से धन उपलब्ध होने के बाद भी नाले का निर्माण नहीं हो सका और उसमें विभागीय अधिकारियों की मिली-भगत से यू.पी.ए. सरकार में सीनियर लीडर के घनिष्ठ सहयोगी, जो अमेठी का रहने वाला है, अधूरे नाले के निर्माण का पैसा आहरित कर लिया। कई बार धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी द्वारा डीओ लेटर भेजने और मेरे द्वारा विधायक रहने के दौरान उत्तर प्रदेश की सदन में भी इस मामले को उठाया गया था। मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के कठोर निर्देश पर टी.ए.सी. की जांच में शिकायतें पाए जाने पर कंपनी को लगभग 13 करोड़ रुपए की रिकवरी जारी करने, काली सूची में डालने का पत्र जारी कर जिम्मेदार लोगों ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली।

माननीय अध्यक्ष जी, आज हालात इतने बदतर हैं कि शहर के पॉश इलाके में बारिश से पहले ही गंदा पानी भरा था और थोड़ी बारिश के बाद लोगों के घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और नाले में बरसात का पानी भरा होने के साथ ही कई कॉलोनियों में भी जल निकासी पूरी तरह से ठप्प पड़ी है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य शून्य काल में पढ़ा नहीं जाता है, शॉर्ट में अपनी बात कीजिए।

माननीय सदस्य आप बैठ जाइए।

श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित जी, आप बोलिए।

श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित (पालघर): अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र पालघर समुद्र तटीय होने के कारण वहां के जीवन यापन का मुख्य स्रोत मात्स्यकी व्यापार है। अभी सरकार के द्वारा मात्स्यकी का अलग मंत्रालय बनाने पर व्यापार को एक नया आयाम मिलेगा।

महोदय, मेरा कहना है कि जब तक मात्स्यकी व्यवसाय को कृषि का दर्जा नहीं मिलता है, यह व्यापार उपेक्षित महसूस करेगा और तमाम सरकारी सुविधा से वंचित रहेगा। मैं सदन में आपके माध्यम से मंत्री महोदय को इस व्यापार से जुड़ी कुछ मुख्य बातों से अवगत कराना चाहता हूँ।

मच्छीमार नौकाओं को डीजल की कीमतों में हर साल बढ़ोतरी होने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अभी डीजल में जो तीन रुपये प्रति लीटर सब्सिडी मिलती है, उसे बढ़ाकर पांच रुपये प्रति लीटर करके इस बार के बजट में सुविधा दी जाए।

महोदय, मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने भाऊचा धक्का मुम्बई का एकमेव बंदरगाह होते हुए भी उसे अप्रैल, 2019 से वाहतुक बंद करके मछुआरों की सभी सुविधाएं जैसे कि डीजल, पानी, मच्छी की बिक्री बंद कर दी है, लेकिन उसे दुरुस्त करने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। सितम्बर महीने से महुआरों का सीज़न शुरू होगा, इसलिए मंत्री जी से विनती है कि इन समस्याओं का पर्याय रास्ता निकालना चाहिए और जल्द से जल्द निर्णय लेकर बंदरगाह चालू किया जाए।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Hon. Speaker, the Central Government in the Union Budget of 2015-16 had promised to upgrade the existing National Institute of Speech and Hearing (NISH) in Thiruvananthapuram as the National University of Rehabilitation and Disability Studies (NURDS). The Government of Kerala agreed to allocate 50 acres of land in Thiruvananthapuram District for this purpose and has provided all the necessary clearances.

A Bill to establish the NURDS in Thiruvananthapuram had been prepared by the Ministry of Social Justice & Empowerment in 2016 after consulting NISH, the Ministry of Finance, the Ministry of HRD and the DoPT. Unfortunately, the Bill was never introduced in Parliament because the Cabinet has not yet cleared it. Suddenly, the Government decided to renege on its public assurance, which was made on the floor of the House also, and dropped its plans to set up the NURDS in Thiruvananthapuram; a shocking decision considering the fact that most of the ground work for establishing the NURDS has already been completed. This is really part of the pattern of the Centre's almost feudal treatment of the State of Kerala.

NISH is known for excellence in its programmes in the field of disability studies. The cochlear implant programme for children done by NISH was expanded across the nation by the Central Government. It has joined academic programmes with internationally reputed universities. It is the ideal place to be expanded into a national university.

I urge the Government to revise its stand, implement the assurance that was made to the people of Kerala and of Thiruvananthapuram in particular, the State Capital where the BJP has a strong presence, and not let the announcement of 2015 and the election promises of 2019 go down as yet another 'Jumla'.

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन और एडवोकेट अदूर प्रकाश को डॉ. शशि थरूर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रामदास तडस (वर्धा): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र राज्य में औसतन से कम वर्षा होने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट करते हुए आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा एवं अमरावती जिले के कपास एवं संतरा उत्पादक कृषकों की स्थिति बहुत ही खराब है। विगत दिनों केंद्रीय टीम द्वारा पूरे महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाके का सर्वे किया गया था एवं मेरे संसदीय क्षेत्र में भी टीम का आगमन हुआ था। इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन वह प्रस्ताव अभी तक केंद्र सरकार के पास लंबित है।

अतः मेरा आग्रह है कि महाराष्ट्र के सभी जिलों के साथ-साथ मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा एवं अमरावती को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा विशेष पैकेज संतरा एवं कपास उत्पादकों को दिया जाए एवं साथ-ही-साथ सरकार द्वारा किसानों के कर्ज को भी माफ किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : जो भी माननीय सदस्य किसी भी विषय पर अपने को संबद्ध करना चाहते हैं, वे अपना नाम सभा पटल पर भेज सकते हैं।

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री रामदास तडस द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब वे मेरे संसदीय क्षेत्र करौली के हिंडोन में आए थे, तब देश में जल संचयन और जल के महत्व तथा सदुपयोग को समझते हुए राजस्थान की समस्या को विशेष तौर से समझा। पेयजल और सिंचाई के लिए उन्होंने वायदा किया था कि अगली बार हमारी सरकार बनते ही हम इस महत्वपूर्ण विषय पर काम करेंगे और एक अलग मंत्रालय बनाएंगे। सबसे पहले मैं सदन के माध्यम से प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जल के महत्व को समझते हुए जल शक्ति मंत्रालय बनाया और उसका कैबिनेट मिनिस्टर भी राजस्थान से ही बनाया, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि राजस्थान और गुजरात पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं।

महोदय, पूर्वी राजस्थान को पेय जल और सिंचाई के लिए हमारी पूर्व भाजपा की सरकार ने वर्ष 2017-18 के अंदर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से एक महत्वपूर्ण योजना बनाई थी। जिसमें नदियों से नदियों और बांधों से बांधों को जोड़कर पेयजल और सिंचाई के लिए व्यवस्था की गई थी। पूर्व प्रदेश सरकार की वह योजना केन्द्र सरकार के पास पड़ी है। उसका बजट लगभग 38 हजार करोड़ रुपये का था।

मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर सहित पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की इस महत्वपूर्ण परियोजना को राज्य सरकार के साथ मिलकर जल्द-से जल्द शुरू किया जाए और पूरा किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: सर्वश्री अर्जुन लाल मीणा, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, देवजी एम. पटेल, सुभाष चन्द्र बहेड़िया, रामचरण बोहरा और सी.पी. जोशी को डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

सरकार की अति प्रतिष्ठित और दूरसंचार की सबसे अग्रणी कम्पनी बीएसएनएल है। अभी माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि इसके रेवेन्यू का 70 प्रतिशत अंश इसके कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च होता है, जो घाटे का एक प्रमुख कारण है। बीएसएनएल और एमटीएनएल में ऑफिसर्स के कई यूनियन हैं, जिन्होंने कहा है कि अगर हमारी कम्पनी की वीआरएस और रिटायरमेंट की सीमा 60 से 58 कर दी जाए, तो निश्चित तौर से वह घाटा भी कम कर सकते हैं और उसको रिवाइव भी कर सकते हैं।

फोर-जी की बात आई थी, चार साल पहले प्राइवेट कम्पनियों के पास फोर-जी की उपलब्धता हो गई। इसके लिए बीएसएनएल और सरकार को आधा-आधा बजटरी सपोर्ट देना है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि प्राइवेट कम्पनियों के सामने जहाँ हम एक प्रतिस्पर्द्धा के दौर से गुजर रहे हैं, आपने स्वयं इसकी महत्ता को स्वीकार किया है, चाहे असम हो, जम्मू-कश्मीर हो, नैचुरल क्लैमिटी में बीएसएनएल का रोल महत्वपूर्ण है। इसलिए फोर-जी के लिए भारत सरकार और बीएसएनएल को जो बजटरी सपोर्ट देना है, उसे देकर इसमें फोर-जी की सुविधा करायी जाए।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहली बार शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ।

मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर में पेयजल की विकट समस्या है। एक मात्र बिसलपुर बांध है। इससे आप स्वयं भलीभांति परिचित हैं कि यदि बिसलपुर बांध नहीं होता, तो शहर और गांव सभी खाली हो जाते। पीने के पानी की ज्वलंत समस्या है। गत वर्ष वर्षा कम होने की वजह से बिसलपुर बांध बिल्कुल सूखने के कगार पर है। आज हालात यह है कि शहरों में चार-पाँच दिनों पर पीने का पानी आ रहा है और गांवों में आठ-दस दिनों पर पीने का पानी आ रहा है।

मंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है, हमारे देश के राष्ट्र-पुरुष और सिद्ध-पुरुष माननीय प्रधान मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जल के संकट को समझा और देश की आज़ादी के बाद पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। हमें खुशी है कि वह मंत्रालय भी राजस्थान से चुनकर आए हुए सदस्य को मिला है।

मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार ने 2014 में छह हजार करोड़ रुपये मंजूर किये थे। आप जहाँ से आते हैं, चम्बल नदी को ब्राह्मणी नदी में डालकर, उनको लिफ्ट करके बिसलपुर बांध में लाने की व्यवस्था की थी ताकि पूरे अजमेर लोक सभा क्षेत्र में पीने का पानी मिल सके। इसके लिए पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार ने डीपीआर भी बना ली थी। दुर्भाग्य से, वर्तमान राजस्थान सरकार ने उसको ठण्डे बस्ते में डाल दिया है। आज समस्या बहुत ही विकट है। नीचे पानी में फ्लोराइड है।

मैंने अपने क्षेत्र में एक ही बात कही थी। अटल जी का जो सपना था नदियों को जोड़ने का, उसको सिद्ध-पुरुष नरेन्द्र भाई मोदी जी पूरा करेंगे। नदियाँ जुड़ जाएंगी, तो हर खेत को पानी मिल जाएगा, हर हाथ को काम मिल जाएगा, नौजवान को रोजगार मिल जाएगा, किसान के घर में समृद्धि आ जाएगी और राजस्थान में खुशहाली आ जाएगी।

इसलिए मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि इस ओर आवश्यक कदम उठाया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री मनोज राजोरिया और श्री सी.पी. जोशी को श्री भागीरथ चौधरी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र हमीरपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर आता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कानपुर से सागर राष्ट्रीय राजमार्ग है। कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए और औद्योगिक नगरी कानपुर के लिए मध्य प्रदेश से, बलिक पीछे महाराष्ट्र से होकर हाइवे निकल रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र से भवन निर्माण के लिए पत्थर और बालू लेकर करीब 10 हजार ट्रक्स उस रास्ते से निकलते हैं। मैं बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से मांग कर रहा हूँ। पूर्व की सरकार ने बीओटी प्रोजेक्ट के तहत उसको बनाया था। वह टू-लेन हाइवे है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में 130 किलोमीटर का पैच आता है। मेरी बात सुनकर सदन को लगेगा कि मैं अतिशयोक्ति बोल रहा हूँ। हाइवे किनारे के एक-एक गांव से 30-40 नौजवान - जो मोटरसाइकिल से रोजगार के लिए जाते हैं, सर्विस करते हैं - पिछले तीन सालों में अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि जो भी कंपनी इस बीओटी प्रोजेक्ट में है, उसके साथ एग्रीमेंट कर के उसे बाध्य किया जाए। उस मार्ग को कबरई से लेकर हमीरपुर तक फोर-लेन बनाया जाए और हमीरपुर से कानपुर तक सिक्स-लेन बनाया जाए। अगर बहुत जल्दी इस सड़क का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि देश के बहुत से नौजवानों की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। इसके साथ-साथ एक कष्ट और भी है। बहुत से बुजुर्गों और बच्चों के माता-पिता ने बच्चों से कह दिया है कि जब तक रोड न बने, तब तक अपनी सर्विस छोड़ दो, अपना काम बंद कर दो, मोटरसाइकिल से नहीं जाना है। इस कारण लोगों ने नौकरियां छोड़ दी हैं और अब वे अपने घरों में हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपका संरक्षण चाहते हुए, निवेदन करता हूँ कि भारत सरकार इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाने का कष्ट करे। धन्यवाद।

* **Shri Gurjeet Singh Aujla (Amritsar)** : Hon'ble Speaker Sir, I want to draw your attention towards the problems faced by traders who do trade at Indo-Pak Attari – Wagah border in my constituency. After the Pulwama attack on 16th February, 2019, the Central Government levied an increased custom duty on all items being traded through the Attari border. As a result, the Indo-Pak trade through this point has come to a standstill. 5000 coolies (porters) have become unemployed. Those who did work here for generations, are now sitting idle and unemployed. Their families are suffering. 6000 kg of dry-fruits, 9000 kg cement and 500 tonnes of limestone had been dumped at the Attari border before 16th February. When 200% custom duty was levied, this entire item remained dumped there. The custom duty amounts to Rs. 10 crores which is injustice. It is way beyond the market rate.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

So, I urge upon the Central Government to rehabilitate the coolies. Also, the 200% custom duty levied on traded items should be done away with as these were dumped there before 16th February, 2019. Thank you.

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): Thank you, Speaker Sir. I come from the State of Karnataka, from Gulbarga. Gulbarga is the most backward area in Karnataka. We had a cement factory – Cement Company of India. जो सरकारी सीमेंट फैक्ट्री थी, वह अब बंद हो गई है। वहां की कॉलोनीज के हजारों लोग बेघर हो गए हैं। उस फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी को बेस्ट अवॉर्ड भी दिया गया था। आज वह सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गई है। गुलबर्गा में बहुत सी प्राइवेट सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, लेकिन एक ही सरकारी सीमेंट फैक्ट्री थी। इस सीमेंट फैक्ट्री को सरकार की ओर से डिसइन्वेस्टमेंट के लिए भेजा गया है। जल्द से जल्द इस सीमेंट फैक्ट्री को चालू कर दिया जाए, तो हम शुक्रिया अदा करेंगे। वहां के हजारों एस.सी., एस.टी. लोग बेघर हो गए हैं। वहां की कॉलोनीज और स्कूल्स, सब ठप पड़ गए हैं। मेरी सिन्सेयर रिक्वेस्ट है कि it should start within one year. That is my request to the Minister through you.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR) : Sir, I would like to draw your attention to a serious matter. You know that Directorate of Advertising and Visual Publicity under I&B Ministry is a nodal agency for releasing advertisements of the Central Government and PSUs to media organisations and other publicity agencies. Now it works on digitized mode for releasing advertisements and for payments to media organisations.

For this purpose, each media company is given a user name and a password to log in to the website of DAVP. This is to bring transparency. But what has happened during the present NDA regime? मीडिया वालों का गला दबाया जा रहा है, सारे एडवर्टाइजमेंट बंद किए जा रहे हैं। गलती यह है, उन लोगों का दोष यह है कि यह सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं है।

The undemocratic and megalomaniac style of stopping government advertisement is a message to media from this Government to toe its line. Rafale deal was engulfed in controversies, favouritism and corruption. The *Hindu* newspaper exposed it; the *Times of India* exposed the violation of model code of conduct by the Prime Minister; The *Telegraph* and the *ABP* were critical of the Prime Minister. This is a democratic country and the freedom of expression and freedom of press are so much important that everybody must stand up to protect these basic rights....(Interruptions)

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । मैं इस विषय पर आपका संरक्षण चाहता हूँ । मैं एक गम्भीर विषय को इस सदन में रखना चाहता हूँ । ... (व्यवधान) देश भर में धर्म, संस्कृति और संस्कार के आधार पर हिन्दुस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है । पिछले कुछ समय से धर्म, संस्कृति पर, हमारे महापुरुषों के ऊपर, राष्ट्रीय विचारों के ऊपर बहुत योजनाबद्ध तरीके से हमले किए जा रहे हैं । ... (व्यवधान) मुझे लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को एक राष्ट्रवादी फोबिया हो गया है । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के विवेक को इस प्रकार एक वंशवाद का विषाणु समाप्त करता जा रहा है । मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है..... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सी.पी. जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): अध्यक्ष महोदय, आज अपने देश के करोड़ों भारतवासी और साथ ही साथ 1 लाख 7 हजार कर्मचारी बहुत चिंतित हैं । इसका कारण है, बी.एस.एन.एल. की दयनीय अवस्था । आज सवेरे प्रश्नकाल में भी इसके ऊपर चर्चा हुई ।

अध्यक्ष महोदय, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे देश में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो गरीब लोगों तक जाती हैं, चाहे वह बैंक का व्यवहार हो, पोस्ट बैंक का व्यवहार हो या कहीं अनुदान की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं बी.एस.एन.एल. से जुड़ी हुई हैं ।

ग्रामीण इलाकों के सारे के सारे गांव बी.एस.एन.एल. से जुड़े हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज बी.एस.एन.एल. पूरे तरीके से बंद हो रही है। क्या उसे आप बंद करने वाले हैं? इनकी पर्याय व्यवस्था क्या होनी वाली है, इसके बारे में केन्द्र सरकार को अपना बयान इस हाउस में देने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और खासकर प्रधान मंत्री जी से विनती करना चाहता हूँ कि यह सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है। यह देश के सारे देशवासियों तक पहुंचे, इसके बारे में आप हस्तक्षेप करें और सरकार का ध्यान स्पष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री राहुल रमेश शेवाले और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री विनायक भाउराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I associate with Shri Vinayak Bhaurao Raut.

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। दुनिया का एक हिस्सा है, जिसे दक्षिण एशिया कहते हैं। दुनिया उसे मिडल ईस्ट कहती है। पिछले दो महीने से वहां पर जो घटनाक्रम चल रहा है, उसका एक बहुत दूरगामी प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर पड़ने वाला है। वहां पर परिस्थितियां बहुत ही तनावपूर्ण बनी हैं, खासकर जिसे स्ट्रेट ऑफ होरमुज कहते हैं, गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं। जहां से 80 प्रतिशत दुनिया का कच्चा तेल, सागर के मार्ग से जाता है। वहां पर परिस्थितियां बहुत ज्यादा खतरनाक बनती जा रही हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्ष 2018-19 में भारत ने ईरान से 23.5 मिलियन टन क्रूड इम्पोर्ट किया था, और भारत की रिफाइनरीज के लिए ईरान से जो क्रूड इम्पोर्ट किया जाता है, वह उनकी वर्किंग के लिए अनुकूल है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि 2 मई, 2019 को अमेरिका ने भारत व कई अन्य देशों को जो वेवर दे रखा था कि अगर आप ईरान से तेल इम्पोर्ट करेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाई जाएगी, वह वेवर हटा दिया गया है। अब, क्या सरकार ईरान से तेल इम्पोर्ट करती रहेगी और अगर इम्पोर्ट नहीं करेगी, तो सरकार

ने और क्या व्यवस्था की है? भारत में जो तेल की कीमत है, मिट्टी के तेल और गैस की कीमत है, यह न बढ़े। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री मनीष तिवारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सदन के सामने एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूँ। देश की प्राचीनतम जातियों में से एक, कौरव जाति, भारत की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल हो, ऐसा मेरा आग्रह है। कौरव समाज, जिसका उल्लेख महाभारत काल में मिलता रहा है, इसलिए इसका धार्मिक महत्व भी है। इस समाज ने देश की आज़ादी से लेकर समाज के कल्याण में वृहद् योगदान दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस समाज ने देश को जहाँ एम.एस. चौधरी जैसा विद्वान आई.ए.एस. दिया है, वहीं बाबू नीतिराज सिंह चौधरी जैसा संविधानविद् और लोक सभा का सांसद भी दिया है, जिसने देश की प्रगति और समाज कल्याण के लिए काम किया। समय के साथ कृषि आश्रित कौरव समाज आपसी बंटवारे के चलते सीमान्त और लघु कृषक बनकर रह गए हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। इस मेहनतकश और ईमानदार कौम को प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर रखा है, लेकिन देश की सूची में शामिल न होने के कारण बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जैसे उज्जैन में अंजना समाज है, वैसे ही हमारे नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, भिंड, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर में कौरव समाज है। इस जाति के पिछड़े होने के कारण बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में प्राथमिकता मिले, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कौरव समाज और उज्जैन का हमारा अंजना समाज, जो राजस्थान में भी है, को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करें। मेरा यह आपसे विनम्र आग्रह है।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा एवं श्री देवजी एम. पटेल को श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Hon. Speaker Sir, I would like to first of all thank you for giving me an opportunity to speak.

I would like to draw your attention to a notification issued by the Ministry of Commerce dated 11.06.2019 mentioning withdrawal of benefit for onions from the Merchandise Exports from India Scheme. I would like to bring to your notice that Maharashtra is the largest producer of onions in India, especially the northern part of Maharashtra, where my constituency Ahmednagar lies. It contributes about 50 to 60 per cent of the yield. Due to the withdrawal of the Scheme, where there is a ten per cent subsidy for export of onions, there is a high risk of the prices of onions falling. This would give a scare in the minds of the farmers who are already suffering from a situation of drought in Maharashtra. So, I would request the Government to extend the benefits of this Merchandise Exports from India Scheme for a period of six more months.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री परबतभाई पटेल ।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष गुजरात के बनासकांठा के किसानों के लिए प्रश्न उठाना चाहता हूँ। महोदय, हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के अन्नदाता की आय को दोगुना करने के सपने को प्राप्त करने के लिए देश के किसान भाइयों द्वारा उपजाई गई पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। इसी के मुताबिक गुजरात में सरसों की खरीदारी की जा रही है। सरसों को खरीदने की अवधि 30 जून को पूरी हो रही है। सरकार ने जो मुद्दत दी थी, किसानों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें से मात्र 25 प्रतिशत खरीद ही की गई है। 75 प्रतिशत की खरीदारी अभी बाकी है। यह अवधि थोड़ी लम्बी की जानी चाहिए, ताकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने

जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए तय किया है, वह उनको मिल सके। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह अवधि जल्द से जल्द बढ़ाई जाए।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता (पेड्डापल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य की बात है कि डॉ. बाबा साहेब की मेहरबानी से और हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के.सी.आर. जी के आशीर्वाद से मुझे इस सदन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

Hon. Speaker, Sir, I am from Peddapalle Parliamentary Constituency which falls in Telangana State. In my constituency there are two districts; one is Peddapalle and the other is Mancherial. These two districts are predominantly rural districts. In Ramagundam, we have the prestigious National Thermal Power Corporation as well as the Coal India. Mostly poor people and farmers reside in this area. I would request the hon. Minister through you, Sir, to establish Jawahar Navodaya Schools in these two districts.

I would like to bring to your kind attention that as per the Government's policy every district should have one Navodaya School. In this context, I would request the hon. Minister to kindly take steps for establishment of two Navodaya Schools both in Peddapalle and Mancherial. Mostly labour and poor people are residing in this industrial area and their children are not able to study in the corporate schools. Hence, I would once again request the hon. Minister to kindly take steps for the establishment of Navodaya Schools there.

Our Telangana Government is ready to give land and building for these schools. Ample Government buildings and land are available in these two

districts. I would once again request the kind authorities to take steps for the establishment of Jawahar Navodaya Schools in these two districts of my constituency.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी मेरे पास बहुत बड़ी संख्या में सदस्यों से शून्यकाल के लिए सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मेरा भी प्रयास है कि जो नये माननीय सदस्य चुनकर आए हैं, उनको शून्य काल में बोलने का एक मौका इस सत्र में दिया जाए ताकि वे अपनी बात कह सकें। क्योंकि वे 15-16 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए अपने क्षेत्र की समस्याओं को ठीक तरह से सदन के माध्यम से उठा सकें। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि शून्य काल में अधिकतम सदस्यों को मौका दिया जाए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि शून्य काल में अपनी बात को संक्षिप्त में कहें ताकि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके। आज नियम 377 के अधीन भी पढ़े जाएंगे। मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं कि मुझे इस आसन से किसी के लिए बेल बजानी न पड़े, इसलिए अपनी बात संक्षिप्त में कहें।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, आप सदन की कार्यवाही चला रहे हैं। सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। इसके बाद एक विधेयक है जिस पर सभी सांसदों को चर्चा करनी है। अगर समय की सीमा तय नहीं होगी तो आपके लिए भी कठिनाई होगी, मंत्री का आगमन और साथ ही साथ अगली कार्यवाही कैसे प्रारम्भ होगी? इसके लिए आवश्यक है कि लंच के लिए कम से कम आधे घंटे का ब्रेक दिया जाए ताकि अगली कार्यवाही के लिए हम लोग तैयारी कर सकें। ... (व्यवधान) आप ऐसा नहीं कहिए। चूंकि अगली कार्यवाही भी प्रारम्भ करनी है और आप बीच में गैप नहीं देंगे तो कैसे होगा?

माननीय अध्यक्ष : एक बजे के बाद व्यवस्था दी जाएगी।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): अध्यक्ष महोदय, मेरे भिवंडी लोक सभा क्षेत्र के कल्याण तहसील में टिटवालवार - खड़ोली के बीच में तथा बदलापुर - वांगणी के बीच में कई सालों से स्टेशनों की मांग हो रही है। खड़ोली और टिटवाला के बीच में वर्ष 2019 के चुनाव में गुरौली स्टेशन की मांग करते हुए 50-60 गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया था, लेकिन मैंने जाकर उनको समझाया और इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया था और उनको आश्चस्त

किया था कि आने वाले दिनों में गिरौली स्टेशन बनेगा। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास करके इस चुनाव में हिस्सा लिया और मुझे मतदान करके दोबारा चुनकर भेजा।

इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर टिटवाला और खड़ोली के बीच में गैरोली स्थानक बने। इसी तरह से वांगणी और बदलापुर स्टेशन के बीच में 10 किलोमीटर का अंतर है। वहां पर बहुत भारी पैमाने पर नागरिकीकरण हो रहा है। इसलिए कई सालों से चांदोली स्थानक की मांग वहां के लोग कर रहे हैं, तो वहां पर चांदोली स्थानक जल्द से जल्द बने। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ कि इन दोनों स्थानक बनाने के लिए जल्द से जल्द प्रोसीडर को शुरू कर दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री निहाल चन्द (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से एक गंभीर मुद्दा इस सदन में उठाना चाहता हूँ। यह गंभीर मुद्दा मेरे संसदीय क्षेत्र का नहीं है, लेकिन पूरे देश से जुड़ा हुआ है। पिछले सितंबर-अक्टूबर, 2018 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस सदन के सदस्य हैं, वह मेरे संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ में गए थे। उन्होंने राजस्थान में कर्जा माफी की घोषणा की थी। पिछली 23 तारीख को मेरे संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर का एक गांव धकरी है, उसमें एक किसान सोहनलाल ने आत्महत्या की थी।... (व्यवधान) उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है।... (व्यवधान) उसमें लिखा है कि कर्जा माफी न होने की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ।... (व्यवधान) जब तक कार्रवाई न हो जाए, तब तक मेरी बॉडी को न उठाया जाए।... (व्यवधान) सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि मेरे मरने का कारण राजस्थान की सरकार और उसके मुखिया हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले।... (व्यवधान) और राजस्थान सरकार को... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री दुष्यंत सिंह और श्री देवजी एम. पटेल को श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SUSHRI MIMI CHAKRABORTY (JADAVPUR): Thank you so much, hon. Speaker, Sir, for giving me an opportunity to speak. This is my first speech, so I would like to seek blessings from all of you.

The construction of a flyover at Champahati Railway Station, which is in Baruipur East, has been a long demand of the people of my constituency, Jadavpur. In the past years, no initiative has been taken on the said project. Lakhs of people are still facing unusual traffic congestion because of existing railway level crossings. It is more painful to see when a patient suffers because there is a delay in getting treatment and when students reach their schools late. There is also a similar problem in Sonarpur and Bidyadharpur. Both are under Sealdah Division of Eastern Railway. I am sorry to inform the august House that there is no railway level crossing in Bidyadharpur also, which is one of the prime demands to stop any unwanted accident there.

I, therefore, urge upon the Government to take immediate steps and start the project urgently without any further delay. Thank you so much, Sir.

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : आदरणीय स्पीकर महोदय, यह एक ऐसा ईश्यू है, During the last Assembly and the Parliamentary Elections in अरुणाचल प्रदेश और हमारे क्षेत्र में 13 लोगों का पॉलिटिकल मर्डर हुआ था । 29 मार्च को एक हत्या हुई और 30 मार्च को मेरे ही एक कार्यकर्ता, एक जिला परिषद की लोंगडिंग और तिरप डिस्ट्रिक्ट में हत्या हुई थी । उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि सीटिंग एमएलए और उसके बेटे की 21 तारीख को हत्या हुई थी । इस केस को एनआईए को दिया गया है । लेकिन जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सी है, अरुणाचल प्रदेश में एक ही क्वेश्चनर भेजा है । मैं उस परिवार के लिए चिंतित हूं, जिनके यहां हत्या हुई है । आज तक एक आदमी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है । इसलिए मैं अपनी सरकार से यह मांग करता हूं कि 13 लोगों की इलेक्शन में हत्या हुई थी, आज चार महीने हो गए हैं, लेकिन किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है ।

इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि चाहे एनआईए हो, सीबीआई हो या जो भी एजेन्सी हो, वे उनको तुरंत न्याय दिलाएं।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री तापिर गाव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, माननीय सांसद के विषय से संबद्ध है कि एक विधायक की हत्या हुई, पूरे परिवार का कत्ल हुआ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। महोदय, मैं देश के संदर्भ में, जिस विषय से सभी लोग संबद्ध होंगे कि वर्ष 1920 से भारत ओलंपिक खेलों में भाग लेता रहा है। लेकिन हर बार ओलंपिक का जब वर्ष आता है और ओलंपिक के खेल होते हैं, तो उस समय सदन में चर्चा होती है और हम अपने मेडल के आंकड़े देखते हैं। अभी राज्यवर्धन राठौर साहब यहां बैठे हुए थे, वह भी हमारे ओलंपियन हैं।

13.00hrs

साल भर के बाद सन् 2020 में जापान में भी ओलंपिक्स होने हैं। महोदय, हमारी चिंता सिर्फ एक विषय पर है। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत में जो आज हमारी आबादी है और जिस प्रकार से हम पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारी आबादी 138 बिलियन पहुंच चुकी है। चीन हमसे लगभग 400 मिलियन ज्यादा है। 136 करोड़ की आबादी हमारी है और 142 करोड़ चीन की है। चीन 70 मेडल्स ले जाता है। अमरीका जिसकी आबादी 33 करोड़ है, वह 121 मेडल्स ले जाता है। यहां तक कि जर्मनी जिसकी आबादी बहुत ही कम है, जमाइका में सिर्फ 30 लाख की आबादी है और वह 11 मेडल्स ले जाता है। न्यूजीलैण्ड जिसकी आबादी 47 लाख है, वह 18 मेडल्स ले जाता है। स्विट्ज़रलैण्ड जिसकी आबादी आठ लाख है, वह लगभ 7 मेडल ले जाता है।

महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि यह विषय, क्योंकि हम सबको खेल से प्रेम है, आपको भी मैं देखता हूँ कि खेल से प्रेम है। इसमें पूरे भारतवर्ष की उस बड़ी पहचान का विषय बनता है, जब हम पांच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी का लक्ष्य रखते हैं, दुनिया में अंतरिक्ष में जाते हैं। ... (व्यवधान) पता नहीं, आपकी भी रुचि इसमें रहती है।

महोदय, इस पर सदन की कोई समिति बनाई जाए ताकि हम भी अपनी तरफ से देख सकें कि ओलंपिक्स के खेलों में जो पिछले सौ वर्षों में हमारी भागीदारी इतनी कम रही है, हमारे बीच में एक अच्युता जी आए हैं, जो ओडिशा से हैं, ये 25 हजार आदिवासी बच्चों को निशुल्क पढ़ाते हैं, खिलाते हैं। इसी सदन के एक सांसद ऐसे हैं, जिनके दस हजार आदिवासी बच्चे पिछले तीन साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम सब लोगों को, वैसे लोगों को, जो हमारे सांसद मित्र दस हजार आदिवासी बच्चों को निशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसलिए मैं सदन में यह बात कह रहा हूँ, क्योंकि एक वर्ष का समय है, देश के प्रधान मंत्री जी ने इस विषय पर अपनी बहुत रुचि ली है, सरकार रुचि ले रही है। लेकिन सदन के सभी सदस्यों को इसमें रुचि ले कर सन् 2020 के ओलंपिक्स में भारत सर्वश्रेष्ठ पोज़िशन पर जाए, इसके लिए हमें जो भी पहल करनी पड़े, हमें करनी चाहिए। एक आम सहमति बना कर हम सबको इस देश की प्रतिष्ठा के लिए इस काम को करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री अजय कुमार को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI T.R.V.S. RAMESH (CUDDALORE): Mr. Speaker, Sir, I am very much grateful to the hon. Speaker for allowing me to speak in Lok Sabha regarding my constituency problem.

In my constituency, there are many cashew processing units. There are more than 200 cashew processing units in my constituency of Cuddalore. More than five lakh women labourers and more than two lakh men labourers are employed in this processing industry. We want to safeguard them. That is why, I am requesting for a free export zone for cashews. If free export zone is there, the labourers will be benefited accordingly. They are now levying 2.5 per cent duty on cashew. It should be withdrawn to safeguard the cashew industry in my area. More than seven lakh people are involved in the cashew export processing

units. The cashew industry is earning foreign currency for the country. That is why, you have to ban the import of raw cashew kernel.

SUSHRI NUSRAT JAHAN RUHI (BASIRHAT): Good afternoon to all my hon. colleagues and very good afternoon, Mr. Speaker, Sir. This is my first speech like my friend and colleague, Ms. Mimi.

Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance during 'Zero Hour'. I really thank you and I feel honoured.

My concern is to construct and start a Kendriya Vidyalaya in my Basirhat parliamentary constituency. There is no doubt that the Kendriya Vidyalayas are playing a pivotal role in imparting quality education in the country with uniform curriculum and the performance of these schools is really appreciable.

Sir, I would request the Government to kindly expedite setting up a Kendriya Vidyalaya in my Basirhat parliamentary constituency of West Bengal. Basirhat is a border area where central employees are on vigil all through 24x7. Moreover, there are thousands of ex-servicemen families residing in and around Basirhat but within 60 kilometre radius, there is no Kendriya Vidyalaya.

The entire part of my Parliamentary Constituency is backward with 86.81 per cent of rural population and 13.19 per cent of urban population. The ratio of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes population is 25.34 per cent and 6.56 per cent respectively. People here cannot afford to send their children to public schools because of their low income.

Therefore, I would like to sincerely request the Government to kindly expedite setting up of a Kendriya Vidyalaya and start the session from the next academic year. It is of utmost importance.

Thank you.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI) : Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to raise an issue concerning my State. My colleagues have raised several issues against the State Government of Tamil Nadu with regard to the present water scarcity situation in the State. Failure of monsoon and devastation of water sources is a major reason for this. The false allegation is being made against the State Government by the Opposition. ...(*Interruptions*) I am the only Member here representing the Party which is running the Government in Tamil Nadu ...(*Interruptions*) The Opposition Parties from Tamil Nadu is having 37 Members in this House. I am having the list showing the steps taken by the Government of Tamil Nadu and if they so desire, I can give the list to them and if they like they can put it in their media because they are having the media support. I request them to put it in the media without hiding anything ...(*Interruptions*) Sir, will you give me a chance to speak on the issues pertaining to the State of Tamil Nadu? ...(*Interruptions*) I am the representative ...(*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR) : Sir, this is not fair. He is misleading the House ...(*Interruptions*)

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Sir, we have taken a number of steps to solve the water problem in the State ...(*Interruptions*) Sir, I am not giving false statements ...(*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU: Sir, the Government in the State is miserable. The programmes started by the then Deputy Chief Minister of the State during the time when our Government was in power has not been completed ...*(Interruptions)*

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 17वीं लोक सभा में पहली बार बोलने का मौका दिया है, मैं दिल की गहराई से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ और नगीना लोक सभा के क्षेत्र के तमाम हमारे मतदाताओं को भी बधाई देना चाहता हूँ कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सदन में मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे लोक सभा क्षेत्र नगीना में नदी का कटान जो गंगा, रामगंगा और खोह नदी से कटान होता है, इस कटान को न रोकने की वजह से तमाम गाँव की फसलें उजड़ जाती हैं, गाँव भी बह जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र नगीना लोक सभा में जो रामगंगा बहती है, गौरवधइया ग्राम सभा से होकर जाती है और बिजनोर लोक सभा क्षेत्र में सम्मिलित हो जाती है, जहाँ तमाम कटान होता है, वह रोका जाए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में कटान को ध्यान में रखते हुए और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, उनकी फसल बर्बाद न हो। आपका जो किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य है, अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। उसे ध्यान में रखते हुए हमारे क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रवि किशन (गोरखपुर): स्पीकर महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह बहुत ही सीरियस मामला है, जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। आज 'एंटी ड्रग डे' है। हमारे देश की आबादी में 65 प्रतिशत युवा 35 वर्ष से नीचे हैं। पड़ोसी मुल्क से बहुत सारी ड्रग्स यहाँ पर भेजी जाती हैं। वैसे वह लड़ नहीं सकते तो हमारी आबादी को खोखला करना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी दवाइयों की फैक्टरियाँ हैं, देहात में, जिले में, गाँव में और शहरों में जो दवा के नाम पर ड्रग्स बनाती हैं। यह नशा बहुत ही खतरनाक एक बीमारी है हमारे युवा के

लिए, हमारे देश के लिए। यह बहुत पुरानी बीमारी है। यह बहुत पुरानी एक सोची हुई साज़िश यहाँ 1960 से चली आ रही है।

हमारी सरकार इस पर बहुत काम कर रही है। मैं 600 फिल्में कर चुका हूँ। मेरे बहुत सारे स्टार मित्र बॉलीवुड से हैं। वे गाँव, देहात, शहर में काउन्सलिंग के लिए जा सकते हैं। अगर इसके लिए हमें घूमना पड़े तो हम घूमेंगे। हम इसकी अवेयरनेस करवायें। मेरा भारत नशा मुक्त होना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बसंत कुमार पांडा (कालाहाण्डी): महोदय, मैं एक बहुत पिछड़े क्षेत्र कालाहाण्डी से आता हूँ। कालाहाण्डी में दो जिले पड़ते हैं और वे दोनों जिले माननीय मोदी जी की परिकल्पना के हिसाब से आकांक्षी जिले हैं। वहाँ चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। राज्य सरकार ने दो बार पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रयास किया, लेकिन संभव नहीं हो पाया। वहाँ से विशाखापट्टनम और रायपुर आने-जाने के लिए सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जूनागढ़ तक रेलवे लाइन पहुँची है, तो जूनागढ़ से विशाखापट्टनम तक इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाए। रूपरा रोड और नयापारा रोड में किसी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। नयापारा रोड डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर हर एक्सप्रेस ट्रेन के रुकने की व्यवस्था की जाए।

मेरा एक छोटा सा निवेदन और है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में बरगढ़ से बोरिगुमा, रेलवे लाइन में केसिंगा टाउन पड़ता है। वहाँ ओवरब्रिज की मंजूरी हो चुकी है। रायपुर से गोपालपुर का, एन.एच. में खरियार रोड में एक ओवरब्रिज मंजूर हो चुका है, लेकिन उसे बनने में देरी हो रही है, वहाँ रास्ता अच्छा नहीं है। चार साल से टेंडर हो चुका है, लेकिन वह बन नहीं पा रहा है।

एक माननीय सदस्य बता चुके हैं कि किस प्रकार रास्ता नहीं बनने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। लोग गड़ढ़े में गिरते हैं और मर जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह इन चार कामों पर जल्दी से जल्दी ध्यान देकर इन्हें पूरा करे। धन्यवाद।

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): Sir, I have got elected from Kanyakumari which is at the tip of India. Crores of people are visiting my constituency but there is no infrastructure available. Adequate trains are not available. Airport is not there. Fishermen community is suffering due to sea erosion. We also want a unit of ITDC to be established so that there will be development of tourism. This will also help the people to visit the pilgrim spots at Kanyakumari including Gandhi Mandapam, Kamaraj Mandapam and Vivekananda Rock. As we are at the tip of India, please consider our demands.

I would request the Government to make arrangements to give more facilities to the tourists. Only then India will earn more foreign exchange. It is because foreign tourists are visiting the place. So, we want an airport, a helipad, more trains, steps to safeguard our fishermen from sea erosion.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री एच. वसंतकुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गुमान सिंह दामोर (रतलाम): महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं रतलाम, मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूँ कि दिसम्बर, 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है और तब से हमारे कार्यकर्ताओं पर भारी अत्याचार हो रहा है। अभी दो दिन पहले की बात है कि आपसी विवाद की सूचना देने के लिए हमारे चार कार्यकर्ता रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र में गए। उन चारों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बिना पूछे, बिना कारण बताए इतना पीटा, इतना पीटा कि आज वे चारों अस्पताल में भर्ती हैं।

महोदय, यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी तीन बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बिना कारण बताए, बिना वजह से हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं पर तत्काल रोक लगे और यदि मध्य प्रदेश शासन कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए तो मध्य प्रदेश शासन को भंग कर देना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गुमान सिंह दामोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI JAMYANG TSERING NAMGYAL (LADAKH): Sir, with your kind permission, I would like to catch the attention of the hon. Minister for Telecommunications to an important issue. Digital Satellite Phone Terminal Services (DSPT) are provided by BSNL all over Jammu and Kashmir. About 338 DSPTs which were working in Leh Secondary Switching Areas including 68 DPTs of Kargil District have stopped working since 13th May, 2019 after transponder of satellite NSS was switched off and about more than 1000 DSPTs are affected all over J&K.

I learn that priority information was given by SES networks to BSNL, ISRO, Antrix Corporation to make alternative arrangements. For restoration of DSPT services, migration to other satellites will be required but I am given to understand that the BSNL Circle Office at Jammu and Kashmir have no information regarding further strategies of BSNL for revival of the DSPT services.

ऑनरेबल स्पीकर सर, यह केवल लोगों की सुविधा के साथ जुड़ा नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी जुड़ा है। मेरे क्षेत्र लद्दाख के दूरदराज एरिया, जो मोस्ट बैकवर्ड हैं, जैसे सिंगालालोक, चुमूर, देमचोक, चुशूल, द्रास, जास्कर - इस तरह के जो बॉर्डर इलाके हैं, वहां आर्मी को भी यह सुविधा दी जाती है।

इन डी.एस.पी.टी.जे. के नहीं चलने की वजह से वहां पर तैनात आर्मी को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। आपके माध्यम से टेलीकॉम मिनिस्ट्री से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इम्मीडिएट एक्शन लेकर इस डी.एस.पी.टी.जे. को रिवाइव किया जाए। इसके साथ ही साथ, इन दूरदराज के इलाकों में मोबाइल टावर्स की उपलब्धता, जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंडिंग के तहत नॉन-कॉमर्शियल वाएबिलिटी के तहत होता है, उसका प्रबंध किया जाए।

धन्यवाद जी।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. BHARATI PRAVIN PAWAR (DINDORI): Hon. Speaker Sir, thank you so much for giving me this opportunity.

सर, मैं दिन्डोरी महाराष्ट्र से हूँ। मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में प्याज उत्पादकों की समस्या की तरफ दिलाना चाहूंगी। प्याज उत्पादन में आज किसानों को प्याज की बुवाई, सिंचाई, कटाई, बिजली एवं अन्य कार्यों में भारी लागत का सामना करना पड़ रहा है। प्याज के उत्पादन में लागत ज्यादा और प्याज की कीमत कम मिल रही है, जिसकी वजह से प्याज का उत्पादन घाटे का सौदा हो गया है। अनेक वर्षों से, मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी और नासिक जिले में आवश्यकता के हिसाब से कम बरसात होने से हर साल सूखा पड़ रहा है, जिसके कारण प्याज उत्पादकों को प्याज का काम उत्पादन होने के कारण उनकी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। प्याज उत्पादन के लिए प्याज उत्पादक विभिन्न एजेंसियों से लोन लेते रहते हैं, परन्तु प्याज की सही कीमत नहीं मिलने से लोन को वापस करने में उन्हें काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं।

महोदय, सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार प्याज के उत्पादक किसानों को प्याज के लिए कम से कम दो हजार रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करके प्याज उत्पादक किसानों के परिवारों को राहत प्रदान करे।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): महोदय, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी नगर, जिला - झुन्झुनू, राजस्थान में एस.एम.एस. कम्पनी, नागपुर द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच करवाने के विषय में मेरा निवेदन है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी नगर, जिला - झुन्झुनू, राजस्थान में भारत सरकार का उपक्रम चलता है। पुरानी सरकारों की अनदेखी व अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी के कारण विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप का यह मुख्य प्लांट वर्तमान में खराब स्थिति में है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने एस.एम.एस. कम्पनी, नागपुर को लेबर कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है, जो

स्वयं काम न करके, सब-कॉन्ट्रैक्टर को लेबर सप्लाई सब-कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है, जो नियम विरुद्ध है। ब्लास्टर कार्मिक को एस.एम.एस. कम्पनी, नागपुर द्वारा 63 हजार रुपये में कार्मिक देय तय किया हुआ है, जबकि सब-कॉन्ट्रैक्टर उसी कार्मिक को 22 हजार रुपये देता है। सब-कार्मिकों को प्रताड़ित किया जाता है। भ्रष्टाचार को देखते हुए सब-कॉन्ट्रैक्टर को हटाया जाए और भ्रष्टाचार की जांच करवायी जाए।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी नगर, जिला - झुन्झुनू, राजस्थान में नई टेक्नोलॉजी का नया मिनी प्लांट लगाया जाए और गैस के प्लांट्स पुनः चालू करवाए जाएं। बंद पड़ी समस्त यूनिटों का आधुनिकीकरण करवाकर पुनः चालू करवाया जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, मैं नए माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि शून्य काल में वे बिना पढ़े बोलने का प्रयास करें। पढ़ने के लिए मैं नियम-377 के अन्तर्गत कोशिश करूंगा कि नियम-377 के लिए अधिकतम समय एलाऊ करूं, ताकि सभी माननीय सदस्यों को मौका मिले। इसलिए इसका प्रयास हम सबको करना चाहिए।

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): अध्यक्ष महोदय, हुगली वासियों की तरफ से आपको प्रणाम तथा अभिनंदन है।

Respected Speaker, Sir I would like to draw your attention to the burning issue relating to the deterioration of law and order situation in the State of West Bengal. मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूँ, हमारा बंगाल रामकृष्ण परमहंस का बंगाल है, जो विवेकानन्द जी का बंगाल है, जो रवीन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल है, जो नज़रूल इस्लाम का बंगाल है, वह अभी जल रहा है। यह जो हिंसा है, वह दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। आपसे मैं यह निवेदन करती हूँ, पंचायत चुनाव से लेकर लोक सभा चुनाव तक हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, वोट बैंक के लिए, ...* ने हत्या कर दिया है।...(व्यवधान)

* Not recorded.

SHRI KALYAN BANERJEE : Hon. Speaker, Sir, law and order issue cannot be raised here. ...(*Interruptions*)

श्रीमती लॉकेट चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा चुनाव से लेकर अभी तक हमारे 15 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है ।...(*व्यवधान*) कुछ दिन पहले बशीरहाट में हमारे सात कार्यकर्ताओं का नि-खोज है, पुलिस ने सिर्फ दो बॉडिज़ को आइडेंटिफाई किया है । अभी तक हमारे जो पांच कार्यकर्ता हैं, वे नि-खोज हैं । पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं किया है । ...(*व्यवधान*) जो हेड है, वह शेख शाहनवाज़ है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है ।...(*व्यवधान*) वह अभी बांग्लादेश भाग गया है, कोई-कोई लोग बोल रहे हैं ।...(*व्यवधान*)... * पुलिस मंत्री है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की है ।...(*व्यवधान*)

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, this is not correct. How can she take her name? ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: नाम नहीं जाएगा ।

...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवस्था दे दी गई है ।

...(*व्यवधान*)

श्रीमती लॉकेट चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, बांकुरा में पुलिस ने हमारे एक छात्र को, जो क्लास-8 का छात्र है, उसको मार दिया गया है । ...(*व्यवधान*) अभी वह हॉस्पिटल में है और मृत्यु के साथ लड़ रहा है ।...(*व्यवधान*)

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, from tomorrow we will also raise law and order issue here. ...(*Interruptions*)

श्रीमती लॉकेट चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, भाटपाड़ा में हमारे जो दो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर पुलिस ने गोली चलाई है ।...(*व्यवधान*)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

श्री दिलीप शर्कीया (मंगलदोई): अध्यक्ष जी, मुझे पहली बार सदन में बोलने का मौका मिला है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं असम के मंगलदोई लोक सभा क्षेत्र से आया हूँ। हमारा मंगलदोई और उदलगुड़ी डिस्ट्रिक्ट दोनों ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। जो मंगलदोई टाउन है, वह करीब 17 किलोमीटर एनएच-15 के अंदर से होकर गुजरता है। अभी तक उस हाइवे में किसी बाईपास की व्यवस्था नहीं हुई है। इसके कारण मंगलदोई शहर में रोजना तीन-चार ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें एक, दो, तीन, चार लोगों की मौत हो जाती है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। इस विषय को भारत सरकार के माननीय मंत्री जी संज्ञान में लें और तुरंत बाईपास बनाने का काम शुरू किया जाए। हमारे मंगलदोई शहर में करीब 50 हजार लोग बसते हैं, उनके लिए बहुत ही सुविधा होगी। वहां बहुत बड़े-बड़े स्कूल्स हैं, बड़े नेशनल हाइवे है, बड़े-बड़े ट्रकों का आवागमन होता है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि मंगलदोई शहर में बाईपास का निर्माण शुरू किया जाए।

दूसरा, मैं 377 में भी अपना विषय रखूंगा। अभी तक हमारा क्षेत्र रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। उस समय अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं 377 में अपना विषय रखूंगा। मेरा यह विषय है कि नेशनल हाइवे-15 में जल्द से जल्द बाईपास बनवाया जाए।

श्री संजय सेठ (राँची): अध्यक्ष महोदय, मैं भगवान बिरसा मुंडा की भूमि झारखंड, राँची से आया हूँ। आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, राँची में राँची विश्वविद्यालय 1960 से गठित है। 1960 से गठित यह विश्वविद्यालय जहां जनजातीय समाज के अधिकतर लोग हैं और वहां पर उस विश्वविद्यालय का उस हिसाब से फैलाव नहीं हुआ है, मेरा यह आग्रह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उसको दर्जा दिया जाए। वर्ष 2018 में युवा महोत्सव बहुत बखूबी राँची विश्वविद्यालय ने निभाया। मेरा यह आग्रह है कि जल्द से जल्द वहां युवों की जो बहुत बड़ी डिमांड है, राँची विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री संजय सेठ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Speaker Sir, thank you so much for giving me an opportunity. This is my first term in Lok Sabha. I would like to draw the attention of the Government, through you, to a major train accident that happened in my constituency Rayagada, which is a part of KBK. Unfortunately, the Samaleshwari Express train hit a tower car engaged in railway work. This exposes the fact that there is no coordination between the railway staff. How was the train given a signal and how did it hit the tower car? Three railway staff died in the accident. But this is not the first time that it has happened. In my Rayagada district, two years back, around 39 people were killed and 54 injured when Hirakhand Express derailed. Nothing happened after that. For two years, there has been investigation; there has been no action or action plan. Hon. Prime Minister, Mr. Modi has been saying that they are modernizing the railways and that they are looking into the infrastructure of the crumbling railways and so on, but we do not see any improvement in this. Since hon. Prime Minister yesterday invoked the name of Lal Bahadur Shastri Ji, I am asking through you whether hon. Railway Minister will do something similar; whether he will resign because of this lapse. This is what my question is.

SHRIMATI KANIMOZHI (THOOTHUKKUDI): The police shooting in Thoothukkudi against innocent protesters shocked the conscience of the entire nation. This happened on 22nd May, 2018. Thirteen people were killed. They were shot there on the spot and were killed and three more died due to the injuries sustained. So, the death toll is 16. The hon. Madurai Bench of Madras

High Court on 14.8.2018 ordered the case to be shifted to CBI and directed that the investigation should be completed in four months. But it has been over a year after the shooting and 10 months after the court ordered the CBI enquiry, but the CBI has not even named one single police personnel in the FIR. With this state of investigation, how is it that the Thoothukkudi people will be re-assured of any justice?

Sir, the National Human Rights Commission which took *suo moto* cognizance of the incident had sent its team, but unfortunately, relying on the Tamil Nadu Government's report, it has closed its findings without making it public. The families of the injured and the families of the deceased have not been properly compensated. The injured are not able to go for further treatment because the compensation is inadequate and the jobs given to them are not good enough. Sir, we have to make sure that the people who have been hurt, the people of Thoothukkudi are given justice because there are so many young people killed. A girl who was 17 years old called Snowlin was shot in her head and killed. The justice was not done to the people of Thoothukkudi.

माननीय अध्यक्ष : श्री बी. मणिकम टैगोर को श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, आपने सभी यंगस्टर्स को और न्यू- कमर्स को एप्रीशिएट किया और आप उनको बोलने का मौका देंगे। जिस तरीके से आपने कहा, मैं आपके समक्ष एक चीज लाना चाहूंगी। जितने भी फॉरेस्ट एरिया में गांव हैं, जहां आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पर बीएसएनल और फॉरेस्ट की जो कनेक्टिविटी है, हम बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया बनना चाहिए, पर मेलघाट जैसी जगहों पर, फॉरेस्ट जैसी जगहों पर, जहां पर बहुत सारी बस्ती बसी हुई हैं और गांव बसे हुए हैं।

जहां लाखों लोग रह रहे हैं, हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं। मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ा ट्राइबल एरिया है, जो पूरे विदर्भ में सबसे बड़ा माना जाता है। आज अगर वहां कोई लेडी प्रैगनेंट है या किसी को हार्ट की प्रोब्लम है, वहां कनेक्टिविटी नहीं रहने के कारण अगर किसी फीमेल को डिलीवरी कराने जाना है तो वह वहां गांव में कराएगी या रोड पर करेगी, उन्हें वहां फोन या कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है।

मेरी आपसे विनती है कि फॉरेस्ट को आपके द्वारा आदेश दिया जाए कि वहां पर बीएसएनएल की जो भी कनेक्टिविटी है, उन्हें आप अंडरग्राउंड करने दें। वहां सबसे बड़ा प्रोब्लम कनेक्टिविटी करने के लिए लिए है, अगर हमें फॉरेस्ट वाले परमिशन नहीं देंगे तो मैं इस गांव से उस गांव तक बीएसएनएल को अंडर ग्राउंड करके उनको कनेक्टिविटी किस हालत में दूंगी? यहां मेलघाट है, धारनी, चूरनी है, तेम्बूरसोंडा है, ऐसे ही गोविन्दपुर है, जो अमरावती से बीस किलोमीटर दूर है, वहां से राष्ट्रपति ताई ने रिप्रेजेंट किया था, वहां से वह खुद सांसद रही हैं। उस जगह में और अमरावती जैसे शहर के बीस किलोमीटर में जहां महानुभाव पंथों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। अमरावती शहर से वहां तक बीस किलोमीटर पोस्ट कनेक्टिविटी मिस करते हैं। मुझे लगता है उस पर आपको जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे आदिवासी भाइयों और गोविन्दपुर मेल घाट के पूरे क्षेत्र को बीएसएनएल की सुविधाएं मिले ... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : मैं लोक महत्व के विषय पर अपने क्षेत्र अम्बेडकर नगर की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट काराना चाहता हूं। जिला अम्बेडकर नगर के जिला मुख्यालय अकबरपुर में रेलवे क्रासिंग हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। इस रेलवे क्रासिंग के दोनों तरफ व्यस्त बाजार हैं, एक तरफ स्कूल है और दूसरी तरफ अस्पताल है। क्रासिंग हमेशा के लिए बंद होने की वजह से बच्चों, मरीजों और आम जनमानस को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस रेलवे क्रासिंग के नीचे से एक अंडरपास की स्थापना की जाए और उसके लिए तुरंत निर्देशित किया जाए ताकि अम्बेडकर नगर के लोगों को इस समस्या से निजात मिलने का काम हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सुभाष सरकार – उपस्थित नहीं।

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यावती (अनाकापल्ले): रिसपेक्टेड स्पीकर जी, मैं अनाकापल्ले आंध्र प्रदेश की कंस्टीट्यूएन्सी से आती हूँ।

“बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि।”

हमारा हिन्दुस्तान लार्ड बुद्ध भगवान की जन्म भूमि है। In my Constituency, we have one small hilly area like Bojjana Konda. यह बहुत पुरानी है। Every year, so many Buddha Dhammas visit this place. But in spite of various representations from us and from our previous Lok Sabha Members, there are no proper facilities and development there. So, I would request the hon. Minister of Culture and Tourism to preserve this heritage monument and take necessary steps for the development of Bojjana Konda in my Anakapalle in my Constituency. Thank you.

HON. SPEAKER: Dr. Subhash Sarkar – Not present.

Shri S.Muniswamy.

* **SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR):** Honourable Speaker Sir, I congratulate you for giving me the opportunity to speak as member of the 17th Lok Sabha on behalf of my people of Kolar Lok Sabha Constituency. After the independence, for the first time in my Kolar district, a non congress candidate that too from BJP is elected to support Shri Narendra Modi ji, Hon. Prime Minister of the country. The people of my district expect welfare and development works from the Government of India.

* English translation of the Speech originally delivered in Kannada.

हमारे कोलार जिले के फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम है, 14 से 17 साल से बारिश नहीं है उधर, एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं कि उधर पानी नहीं है। हमारे कोलार जिला में हम ज्यादा से सिल्क, मिल्क और गोल्ड पूरी दुनिया को सप्लाई करते रहे, लेकिन अब मेरे कोलार जिले में पानी नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट लोग 1500 से 1800 फीट बोर करें तो भी उधर पानी नहीं आ रहा है। इसलिए हमारा नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जल सचिव का सेपरेट खाता आपने दिया है। उसकी तरफ से हमारे कोलार जिले के एग्रीकल्चरिस्ट को पानी देंगे तो हम देश के लिए जो एग्रीकल्चर में वेजीटेबल चाहिए, टमाटर चाहिए, सभी हम उधर मैन्यूफैक्चरिंग करके सप्लाई करेंगे।

दया करके हमारे कोलार जिले की रैय्यतों के कष्ट को देखने के लिए, स्पेशल केयर लेकर हमारे कोलार जिले की सहायता करें। बाद में हमारा कोलार जिले का के.जी.एफ. माइन गोल्डफील्ड बंद हुआ है। उधर से कम से कम 25 से 30 लोग बंगलुरु में काम के लिए जा रहे हैं, उनके लिए उधर स्पेशल इकोनोमिक जोन की तरह से कम्पनी को उधर स्थापित करें तो सभी को इम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए दया करके हमारे कोलार के बारे में आप कुछ करें। बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री एस. मुनिस्वामी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहित देश के किसानों की मांग की तरफ भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। वैसे तो एम.एस.पी. पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड खरीद पिछले पांच साल के अन्दर राज्यों में, देश के अन्दर हुई, लेकिन और किसानों की आत्महत्याएं भी देश के विभिन्न कोनों के अन्दर बढ़ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी एक मांग है, एम.एस.पी. के अन्दर ज्यादातर जो भी क्राप्स थीं, उसको आप ले रहे हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट फसलें जैसे ग्वार, मोठ, जीरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, अरण्डी, चौला, ग्वारपाठा और मेहंदी, ये सभी बहुतायत में राजस्थान में होती हैं, अन्य स्टेट्स के अंदर भी होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से यह मांग रहेगी कि इन फसलों को भी एम.एस.पी. के अन्दर समर्थन मूल्य के अन्दर लिया जाए, सूचीबद्ध किया जाए ताकि किसानों को बहुत बड़ी राहत

मिले। राजस्थान के सहकारिता सचिव ने जब विधान सभा में हम थे, बार-बार इस मामले को उठाया, कई बार पत्राचार भी दिल्ली की सरकार से किया, तो मेरी आपके माध्यम से मांग रहेगी कि इन प्रमुख फसलों को जो राजस्थान के अलावा देश के अन्य भागों के अन्दर होती है, इसके अन्दर किसानों को पैसा भी ज्यादा मिलेगा। समर्थन मूल्य की कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण दूंगा। जैसे प्याज है, वह राजस्थान के अन्दर बहुत ज्यादा तादाद में होता है और प्याज 100 रुपये क्विंटल किसान बेचने को मजबूर होता है। कई बार वह सड़कों पर प्याज, टमाटर फेंक देता है। ऐसी स्थिति भी देश के अन्दर बनी। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो, क्योंकि प्रधान मंत्री जी काफी गंभीर हैं। इस मामले पर ध्यान देकर इन विशिष्ट फसलों को समर्थन मूल्य की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री हनुमान बैनिवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Sir, thank you very much for giving me this opportunity. I am coming from Raigad where a great warrior, Chhatrapati Shivaji Maharaj, established Hindavi Swarajya. He was greater than Alexander and Napoleon. I am proud of him.

Sir, I am raising a matter of urgent public importance. It is related to Marathi language. It is an official language and co-official language in Maharashtra and Goa States respectively. This language is spoken by more than 83 million people in India. Sir, I would like to make a point that the Centre is belittling the Marathi language. One of these is lowering the status of this language by closing down the Central Marathi News Unit of All-India Radio in its News Headquarters Services Division in New Delhi.

Therefore, Sir, I am requesting the Government that the Central Marathi News Unit of Delhi should immediately be restored. This is my humble request. We are requesting the Government to give Marathi language *abhijat bhasha darja*.

श्री महेंद्र सिंह सोलंकी (देवास): अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के देवास लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने किसानों से 'झूठे' वादे किए थे कि दो लाख रुपये की कर्ज माफी की जाएगी, परन्तु आज दिनांक तक कांग्रेस सरकार ने किसानों की दो लाख रुपये की कर्ज माफी नहीं की है। इस कारण सोसाइटी के लोग किसानों को सोसाइटी से खाद-बीज उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, जिसके कारण किसान बेहद परेशान हैं। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें, जिससे किसानों को राहत मिल सके।

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Sir, I represent Narsapuram Parliamentary Constituency which is in the West Godavari district. As the name 'Godavari' is there in the district, all Godavari canals are around us. But unfortunately, because of aquaculture, which is the backbone of our economy, there is acute drinking water shortage and the entire water has got polluted due to salinity.

I would request that the Rural Development Ministry of the Central Government should give special focus, as a special case, on giving us the major trunk lines for water from Godavari River. We would lay the subsequent lines. Since we are getting huge revenue – worth Rs. 15,000 crore to the Exchequer – through aquaculture, as a special case, the Rural Development Ministry should kindly look into this issue. If you suggest, we would also meet them and request them for the support. Thank you, Sir.

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि सदन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

खजुराहो दुनिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक स्थान है। वहाँ आधुनिक एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव भी पिछले कई सालों से लम्बित है। खजुराहो में दो फ्लाइट्स – एक जेट एयरवेज और दूसरी एयर इंडिया – चालू थीं, लेकिन कुछ दिनों से जेट एयरवेज बन्द है और अभी एयर इंडिया की फ्लाइट भी बन्द कर दी गई है। इसके कारण दुनिया भर से बड़ी संख्या में जो पर्यटक खजुराहो में आते हैं, उनका आना प्रभावित हुआ है और क्षेत्र की जनता की भी इस बारे में बहुत बड़ी डिमाण्ड है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि तत्काल एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से खजुराहो और खजुराहो से मुंबई तक प्रारम्भ की जाए। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव है, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि उसे जल्दी से जल्दी पारित किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। वह क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। आपको और सदन को भी मैं खजुराहो के वर्ल्ड हेरिटेज में आमन्त्रित करता हूँ। धन्यवाद।

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Sir, I represent the Arani constituency in Tamil Nadu. It consists of mainly farmers and weavers. Due to pollution from dyeing industries, so many units in Tamil Nadu, especially in Tiruppur, have been closed. So many weavers have been affected and a lot of them have to choose an alternative profession. Arani silk is very famous. Normally, Kanchipuram silk is known to everybody. Arani silk is equally famous and is very fine. So, how they bring respect and honour to men and women? Is it not the responsibility of the Government to give respect and honour to these people, the weavers? So, I would request the Government to set up a Silk Park in Arani. The land has been already selected; it is there.

Secondly, in Mailam, which is in my constituency, in the Kootteri Pattu junction, so many accidents are taking place. Already the project report for flyover is ready; the feasibility report is ready for the flyover. So, I would request the hon. Speaker to press the Government to get a flyover in Mailam for our people in Arani Constituency. Thank you, Sir.

श्रीमती गीता कोडा (सिंहभूम): अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों से मीडिया में लगातार झारखण्ड की मॉब लिंगिंग पर बातें आ रही हैं, मैं उसकी ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। सरायकेला क्षेत्र में, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, वहां तबरेज अंसारी नाम के लड़के की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस वक्त वहां की कानून-व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, मैं आंकड़े के साथ इसे पेश करना चाहूंगी कि झारखण्ड में विगत कुछ वर्षों में यह ऐसा 11वां मामला है और सिर्फ इस साल में ऐसे चार मामले रजिस्टर हुए हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखण्ड में कानून-व्यवस्था की क्या स्थिति है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि इस पर वहां की सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि इस लड़के को न्याय मिले और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, चाहे वे भीड़ का हिस्सा हों या कानून से संबंधित व्यक्ति हो, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यह बहुत गंभीर मामला है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मुजफ्फरपुर से शुरू एन्सेफलाइटिस से मरे बच्चों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। मैं कई दिनों से यह मुद्दा उठाना चाह रहा था। तब लगभग सौ बच्चे मरे थे और आज का आंकड़ा 200 के आस-पास पहुंच गया है। यह नेशनल ट्रेजडी है। मरने वाले बच्चे गरीब परिवारों के हैं। सदन में बहुत लोगों ने चर्चा की, सरकार ने चर्चा की, आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने भी चर्चा की, लेकिन बिहार में जो बच्चे मरे हैं, उसके ऊपर किसी ने भी चर्चा नहीं की है। यह एक क्रिमिनल नेगलिजेंसी है। इस बीमारी से पिछले 20-25 सालों से मौतें हो रही हैं, लेकिन न तो आज तक उसके प्रिवेंशन का कोई फॉर्मूला बना है और न ही उसके अवेयरनेस के बारे में कुछ किया गया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हिन्दुस्तान की हेल्थ

मिनिस्ट्री और बिहार सरकार को निर्देश दिया जाए कि इसको गंभीरता से लें। इसको प्रिवेंट करने की जरूरत है और जितने बच्चों की मृत्यु हुई है, उनके परिवार को मुनासिब मुआवजा मिले।

श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ताल्लुक रखता हूं। यह वह शहर है, जहां पर दुनिया के दो वर्ल्ड हेरिटेज अजंता और एलोरा हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है, जहां पर दो वर्ल्ड हेरिटेज, मॉन्यूमेंट्स 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जेट एयरवेज बंद हो गई है। एक एयरवेज बंद होने से न जाने कितने लोग बेरोजगार हो जाते हैं। चूंकि औरंगाबाद एक टूरिज्म सिटी है, वहां बहुत सारे टूरिस्ट्स आते हैं। एयरलाइन्स बंद होने से बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं। औरंगाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है। वैसे मराठवाड़ा एक बैकवर्ड रीजन है। सिर्फ औरंगाबाद में ही इंडस्ट्रीज हैं। आज लोगों के पास बेहिसाब पैसा है, लेकिन वक्त नहीं है। एक एयरलाइन को स्टार्ट करने के लिए हम पिछले कई दिनों से सिविल एविएशन की अथॉरिटीज के साथ बात कर रहे हैं। मैंने खुद कल सिविल एविएशन, सेक्रेट्री और मिनिस्टर से बात की। उनका कहना है कि पायलेट्स दूसरी एयरलाइन्स ज्वाइन कर ले रहे हैं। सवाल सिर्फ पायलेट्स का नहीं है बल्कि सवाल यह है कि एक एयरलाइन के बंद होने से पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई है, होटल्स खाली पड़े हुए हैं और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री खाली पड़ी हुई है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी इसका बहुत असर पड़ा है।

हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि दिल्ली और मुंबई के लिए जल्द से जल्द कम से कम दो एयरलाइन्स औरंगाबाद के लिए स्टार्ट करें। एक गोल्डेन ट्राइंगल हुआ करती थी, वह एयरलाइन एयर इंडिया चलाती थी। जो दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, औरंगाबाद और मुंबई को कनेक्ट करती थी। बहुत टूरिस्ट्स इसका फायदा उठाते थे। मैंने सरकार से यह अनुरोध किया है कि प्राइवेट एयरलाइन्स को नहीं, अगर खुद की एयरलाइन, एयर इंडिया को आप आदेश देते हैं, यह दोबारा स्टार्ट किया जाता है तो अच्छा होगा। कल प्रधान मंत्री साहब ने कहा कि हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी शुरुआत औरंगाबाद से की जाए।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे और डॉ. हिना विजयकुमार गावीत को श्री सैयद इम्तियाज जलील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र से चुन कर आया हूँ। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है और लंबे समय से वहाँ रेल लाइन की मांग है। इस मांग को बार-बार क्षेत्र में उठाया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि रतलाम से डूंगरपुर वाय बांसवाड़ा, सागवाड़ा 176 किलो मीटर की दूरी है। पिछले समय में यह कार्य प्रारंभ किया गया था। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच एमओयू हुआ था। परन्तु दुर्भाग्य से आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते इस कार्य को प्रारंभ नहीं किया गया। उसका कारण कुछ भी हो, परन्तु आदिवासी क्षेत्र होने के नाते, पिछले समय कई मंत्रियों ने कहा कि नो प्रॉफिट, नो लॉस पर ऐसे क्षेत्र में रेल लाइन बिछाना जरूरी है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस परियोजना से आदिवासी अंचल के दोनों जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा अहमदाबाद जैसे बड़े जंक्शन से जुड़े जाएं, तो देश के किसी भी कोने में आने-जाने की सुविधा मिलेगी। इसका सीधा लाभ यहां के व्यापारियों, पर्यटन, श्रमिकों तथा उद्योगपतियों को मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र का बहुत लाभ होगा।

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि समय पर अपने बच्चों को शिक्षा देने की हर माता-पिता की ज्यादा रुचि है। मैं बालाघाट सिवनी जिले से आता हूँ। हमारे यहां वर्तमान में तीन केंद्रीय स्कूल जरूर हैं, लेकिन ये जिला स्तर पर हैं और सीबीएससी के कोर्स में अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। प्राइवेट क्षेत्र से सीबीएससी कोर्स कराने में उन पर बहुत आर्थिक भार आता है और दिक्कतें आती हैं। मैं चाहता हूँ कि सीबीएससी कोर्स के हमारे जो वर्तमान संचालित स्कूल हैं, उनमें अतिरिक्त कक्षाओं की अनुमति दी जाए, ताकि हम नई कक्षाएं बनाकर बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर सकें।

डॉ. राजदीप राय (सिल्चर): अध्यक्ष महोदय, अटल जी का एक सपना पूरे भारत को सड़क के माध्यम से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से जोड़ने का था। उसमें उनका प्लान था कि सिल्चर से सौराष्ट्र का एक फोर लेन एक्सप्रेस-वे हो। वर्ष 2004 में सिल्चर में उसका शिलान्यास हुआ था। भारतवर्ष के लोगों ने वर्ष 2004 में जो निर्णय लिया था, उसका असर सिल्चर के लोगों पर पड़ा। वर्ष 2004 से

2014 तक उस रास्ते का कोई काम नहीं हुआ और उसमें दो अड़चनें आईं। उसमें वाइल्ड लाइफ की कोई क्लियरेंस नहीं मिली। वर्ष 2007 या 2008 में तब की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से एक नोटिस आया कि वाइल्ड लाइफ का क्लियरेंस नहीं है और फारेस्ट का भी क्लियरेंस नहीं है। अभी दो-तीन साल पहले वह क्लियरेंस का मामला हट गया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सिल्चर से हॉफलाँग या नौगांव होते हुए गुवाहटी का रास्ता 410 किलोमीटर के करीब है। उसमें पैकेज नम्बर 21 है, जो बालाछोड़ा से हरंगाजाओ का रास्ता 31 किलोमीटर है, जिसमें कि प्रोब्लम है, उसका स्टेटस क्या है। आज के समय वहां लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। वहां मानसून सीजन चल रहा है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से वहां के स्टेटस के बारे में जानना चाहता हूँ।

डॉ. चन्द्र सेन जादौन (फिरोजाबाद): महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद से आता हूँ। महत्वपूर्ण विषयों में से एक महत्वपूर्ण विषय किसानों की आर्थिक स्थिति का है। देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है, जिसमें से 60 प्रतिशत जनता खेतिहर किसान है। किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में किसानों की मुख्य खेती आलू है। सिरसागंज नगर में 70 से 80 कोल्ड स्टोरेज हैं। किसान अपनी खेती में सामर्थ्य से अधिक लागत लगाकर आलू पैदा करता है, लेकिन उसे उपज का वाजिब मूल्य प्राप्त नहीं होता है। न जाने क्या कारण है कि आलू का निर्यात नहीं हो पाता है और किसान बरबादी के कगार पर पहुंचने के लिए बाध्य हो जाता है।

महोदय, मेरा सुझाव है कि अगर सिरसागंज क्षेत्र में आलू पाउडर बनाने की फैक्टरी स्थापित कर दी जाए, तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है और वह बरबादी के कगार से बच सकता है।

श्री अरुण साव (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ पर एसीसीएल का मुख्यालय है, एनटीपीसी है, रेलवे ज़ोन, उच्च न्यायालय और केन्द्रीय

विश्वविद्यालय हैं। लेकिन अब तक यहाँ हवाई सेवा प्रारम्भ नहीं हो पायी है। हवाई अड्डा लगभग बनकर तैयार है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ क्योंकि यह बिलासपुर की जनता की बहुप्रतीक्षित माँग है। यहाँ की जनता इसके लिए उद्वेलित है। इसलिए शीघ्र ही बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारम्भ की जाए। आपके माध्यम से मैं सरकार से यह माँग करता हूँ।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Hon. Speaker, as the entire House is aware the disastrous flood which hit Kerala in the second week of August, 2018, took lives of 483 people and 14 people are still missing. Around 54 lakh people were affected by the flood out of which 34 lakh people had to stay in relief camps. Around 20,000 houses were fully destroyed. Farmers lost their crops and fishermen, who took part in rescue operations, had to lose their livelihood.

Sir, the Kerala Government had asked for a special package of Rs.5606.7 crore, out of which the Central Government had allotted only Rs.2904.85 crore. In 2004, when Tsunami hit Kerala, the then State Government had asked for a package and the entire package was allotted by the then Central Government.

Sir, I would like to request the Central Government to allot more funds. The Post-Disaster Need Assessment Survey shows that we had a damage of Rs.26,718 crore and we need Rs.31,000 crore to rebuild Kerala. Many NGOs have taken part in rehabilitation and rebuilding process of Kerala like Rotary Club, Lions Club and many other corporates. I would like a special package to be given to the State of Kerala to rehabilitate the fishermen and the farmers. I also request for an assistance of a special Central fund for the sake of Kerala State. Thank you, Sir.

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं असम के गौहाटी को रिप्रजेंट करती हूँ। यह नॉर्थ-ईस्ट का प्रवेश द्वार है। सबसे बड़ी बात यह है कि गौहाटी के चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और

इसके बीच से ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि हर साल गौहाटी में आर्टिफिशियल फ्लड के कारण लोग बहुत ही परेशान हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आर्टिफिशियल फ्लड का साइंटिफिकली समाधान निकालकर इसे खत्म किया जाए।

जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी, तो सभी लोगों का यही कहना था कि हमें पीने का पानी चाहिए और यह जो हर साल आर्टिफिशियल फ्लड हो रही है, उसे खत्म किया जाए। यह मेरी विनती है, इसे मैं सरकार की नज़र में डाल रही हूँ।

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): Hon. Speaker, Sir, I am very grateful to you for giving me this opportunity as I am a first-time Member and speaking for the first time in this current Session.

Sir, you are aware of the fact that Talcher in my Parliamentary constituency, Dhenkanal has given a huge royalty to the Government of India. The people of Talcher and my Parliamentary constituency has sacrificed a lot for the sake of the nation. But in return, the Government of India is totally neglecting us. I am going to express it in a few words.

Mahanadi Coalfields Limited (MCL), Talcher is one of the largest coal-producing companies and it has crossed its target in terms of coal production. As per the provisions, another company, namely, Brahmani Coalfield Limited (BCL) should also be established, which has not yet been done. Sir, through you, Sir, I request the Government to clarify when BCL would be established. Thank you, Sir.

14.00 hrs

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. I had requested you for allowing me tomorrow to raise the issue of speedy completion of Pithapuram-Kakinada main railway line, but I have got the opportunity today. This is my maiden speech, Mr. Speaker, Sir, and I thank you so much.

On behalf of the people of my Parliamentary Constituency, the well-wishers and the main agitators of completion of Kakinada-Pithapuram main railway line, I am raising this issue. This has been continuing for 30 to 40 years, but the project has not been completed till now. Every year, some money is allocated for Pithapuram-Kakinada main railway line, but the Railway Department is not taking any action to complete that line. So, Sir, I request, through you, the Railway Minister and the Central Government for speedy completion of Pithapuram-Kakinada main railway line for the benefit of the people and for the development of Kakinada parliamentary constituency.

Thank you.

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): Respected Speaker Sir, first of all, I thank you for giving me an opportunity to speak in the 'Zero Hour'. मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो गिरणा रिवर है, उस पर एक बैराज - गिरणा डैम है। 40 सालों में सिर्फ सात बार वह डैम आज तक अपनी कैपैसिटी तक फिल-अप हुआ है। 33 वर्षों में वहां कोई रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नहीं लिया गया, इसलिए वहां पानी नहीं आ सकता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लगातार इरिगेशन मिनिस्ट्री से मांग चल रही है।

मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मिनिस्ट्री को यह सुझाव दिया जाए कि जो नार पार गिरना प्रोजेक्ट है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए तथा एक्शन लिया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. भारती प्रवीण पवार एवं डॉ. हिना विजयकुमार गावीत को श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री तपन कुमार गोगोई (जोरहाट): अध्यक्ष महोदय, मैं असम के जोरहाट से हूँ। असम की छः कम्युनिटीज़ -अहोम, कोच-राजबोंगशी, मोरन, मटक, चुटिया और टी-ट्राइब्स को एस.टी., अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं।

महोदय, मैं आज आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन छः कम्युनिटीज़ को जल्द से जल्द अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की व्यवस्था की जाए।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री तपन कुमार गोगोई द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुमारी शोभा कारानन्दलाजे (उदुपी चिकमगलूर): माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दो हफ्तों से कर्नाटक की राजधानी कुछ गलत विषय के लिए चर्चा में है। मंसूर अली खान नाम के एक व्यक्ति ने आईएमए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड बनाकर लगभग 50 हजार गरीब लोगों को धोखा दिया। निवेशकों को ज़्यादा ब्याज देने का लालच दिया गया था। वह दो महीनों से लापता है। इसी घोटाले में 15 हजार करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश हुआ है। अभी तक 40 हजार मामले बेंगलुरु और अलग-अलग पुलिस स्टेशंस में दर्ज हुए हैं।

अध्यक्ष जी, ये निवेशक बहुत गरीब लोग हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग ऑटो रिक्शा चलाने वाले, सब्जियां बेचने वाले और मज़दूरी कर के घर चलाने वाले हैं। उन्होंने आईएमए में पैसा रखा था, किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसे रखे थे, किसी ने नया घर बनाने के लिए रखे थे, किसी ने बच्चे को पढ़ाने के लिए रखे थे। अब उनके पास जमापूंजी के रूप में सिर्फ आंसू बाकी हैं।

सर, यह बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें सरकार शामिल है। आईएमए के मालिक मंसूर अली खान के रिश्ते कांग्रेस और जेडी (एस) नेताओं के साथ भी हैं। इसी धोखाधड़ी मामले में कर्नाटक के जेडी (एस) के एक मंत्री, कांग्रेस के विधायक, राज्य के बहुत सारे नेता एवं बहुत सारे अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। ... (व्यवधान) कल मंसूर अली खान ने दुबई में बैठकर एक वीडियो क्लिप जारी कर इस घोटाले में बड़े-बड़े व्यक्तियों के नामों का खुलासा किया है। ... (व्यवधान) आईएमए के एमडी मंसूर अली खान का रिश्ता आतंकवादियों के साथ भी है। ... (व्यवधान) कर्नाटक सरकार

माननीय अध्यक्ष: श्री कल्याण बनर्जी।

... (व्यवधान)

कुमारी शोभा कारान्दलाजे : सर, मुझे एक मिनट और दीजिए। ... (व्यवधान) कर्नाटक सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए एसआईटी बैठाई है, मगर निवेशक और कर्नाटक की जनता एसआईटी पर विश्वास नहीं कर रही है। ... (व्यवधान) स्वयं राज्य सरकार इस घोटाले में शामिल है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री कल्याण बनर्जी।

... (व्यवधान)

कुमारी शोभा कारान्दलाजे: सर, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इस मामले को जल्दी दबा देगी। ... (व्यवधान) ऐसा पहले भी हुआ था। ... (व्यवधान) कर्नाटक राज्य सरकार ने बहुत केसेज को दबा दिया था। ... (व्यवधान) इसलिए मेरी मांग है कि इस मामले की सीबीआई और इनफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट से जांच करवाई जाए। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को कुमारी शोभा कारान्दलाजे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Kalyan Banerjee.

... (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I am really very grateful to you for giving me a chance...(Interruptions) I feel I am lucky that I am going to raise this issue, when the Hon. Railway Minister is also present here.

Sir, my issue is about the setting up of a railway line from Furfura Sharif to Dankuni. In 2010, the then hon. Railway Minister, Ms. Mamata Banerjee started this project. But from 2014, it has been stopped totally. In Furfura Sharif, there is a mosque built by Muqlish Khan in 1375 as a site for Muslim pilgrimage, especially during the [Pir's](#) mela (fair). It attracts lakhs and lakhs of pilgrims during the Urs festival. Furfura Sharif contains the [mazaar](#) of one Abu Bakr Siddique and his five sons, popularly known as the *Panch Huzur Keblah*. He was a social and religious reformer.

Sir, what I am urging and praying is that this scheme is already announced. It has been commenced by the Railways. So far as my knowledge goes, it was giving at least 20 to 25 per cent employment also because the lands were taken. Now, the project from Furfura Sharif to Dankuni should be completed.

It is my humble request, through you, to the hon. Railway Minister and I feel that because of the grace of God, the Railway Minister is also present here. Earlier also, he considered so many requests of mine. This is my first request to him in the 17th Lok Sabha.

THE MINISTER OF RAILWAYS AND MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL): I am his friend also.

SHRI KALYAN BANERJEE :Yes Sir. But first I have to refer to you as the hon. Minister.

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। छत्रपति शाहू महाराज की जयन्ती के अवसर पर मैं उनकी पावन स्मृति का विनम्र अभिवादन करती हूँ। मैं आपके माध्यम से आज देश में घट रही रैगिंग की घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। आज कई व्यावसायिक कॉलेजेज में रैगिंग की घटनाएं घट रही हैं। कुछ दिन पहले मुम्बई के एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पायल तड़वी नाम की एक डॉक्टर के साथ भी इसी प्रकार की रैगिंग की घटना घटी। रैगिंग से परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करती हूँ कि इस केस की निष्पक्ष इन्क्वायरी हो और डॉक्टर पायल तड़वी को न्याय मिले। इसी के साथ मैं सरकार से मांग करती हूँ कि एण्टी रैगिंग लॉज को और भी स्ट्रिक्ट बनाया जाए, ताकि देश में कोई दूसरी डॉक्टर पायल तड़वी न बने।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने आज नए सदस्यों को बोलने का जो विशेष अवसर दिया है, यह सचमुच एक अच्छी परंपरा है, जिसकी शुरुआत आपने की है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। पिछले कार्यकाल में भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देशी हवाई उड़ान सेवाएं शुरू करने का एक कार्यक्रम जारी किया था। उसमें कुछ हवाई अड्डों का चयन हुआ था। मेरे सतना लोक सभा क्षेत्र में भी उस हवाई अड्डे का चयन हुआ था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह कहा था कि उन हवाई अड्डों को परिचालन योग्य बनाने के लिए, उनके रिनोवेशन के लिए, उनका विस्तारीकरण करने के लिए सौ-सौ करोड़ रुपये देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक एक पैसा नहीं मिला।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सतना से हवाई परिचालन शुरू किया जाए, हवाई अड्डे के रिनोवेशन के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाए। उसका जो एरिया है, वह लगभग 1850 मीटर है। इसकी 200 मीटर लम्बाई बढ़ाना जरूरी है। एक प्रस्ताव राज्य

सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है। मैं उसकी मंजूरी चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): अध्यक्ष जी, मैं दिल से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। आपने सभी नए सांसदों को बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए विशेष धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र के बीहटा में निर्माणाधीन एयरपोर्ट के नामकरण के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। स्वामी सहजानन्द सरस्वती जी, जो किसान नेता रहे हैं और फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, उन्होंने एक संत के रूप में अपना पूरा जीवन समर्पित भाव से किसानों की उन्नति और तरक्की के लिए लगा दिया। वह लगातार किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। वह उत्तर प्रदेश में जन्मे थे, मगर उनका कार्यक्षेत्र बिहार था। खासतौर पर वर्ष 1927 में वह समस्तीपुर जिले से हमारे संसदीय क्षेत्र बीहटा में आए थे और बीहटा में उनका स्थायी निवास हो गया था। बीहटा में सीताराम दास द्वारा प्रदत्त भूमि को उन्होंने अपना स्थाई निवास बनाया था। वह लगातार किसानों के लिए काम करते रहे।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पुरखों के नाम पर संस्थानों का नाम रखने का काम किया है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि पटना में एक एयरपोर्ट है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अलग से एक एयरपोर्ट खोलने का काम किया है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह अभी निर्माणाधीन है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इसका कार्य शीघ्र शुरू करवाया जाए। राज्य सरकार भी सहयोग कर रही है, जमीन का आवंटन भी कर दिया है, चारदीवारी भी हो गयी है, मगर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। मगर यह प्रस्तावित है। सरकार ने उसके लिए पैसा भी सैंक्शन कर दिया है।

सर, जब यह एयरपोर्ट बनेगा तो उसका नाम स्वामी सहजानन्द सरस्वती जी के नाम से हो, जिसकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही है। यह लोगों की जनभावना है और इसके लिए अभियान चल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय मंत्री जी से माँग करता हूँ कि पटना में बीहटा में निर्माणाधीन एयरपोर्ट को स्वामी जी के नाम पर रखा जाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। हमें आपका संरक्षण भी चाहिए। आप अपने स्तर से इसमें कुछ हस्तक्षेप भी करिए।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राम कृपाल यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I congratulate you on the way that you have forgotten your hunger pangs and you are sitting in your Chair to give chance to new and old Members. This is indeed an example for posterity as to how a Speaker should work.

I point out about another case of lynching of one Tabriz Ansari in Sarai Kalan, Jharkhand on the 22nd of June. This has already been mentioned in this House but what I want to mention is that the police held this man in custody for four days. He had severe injuries on his head, and when he was brought to the hospital, he was already half dead. It was a coldblooded murder by a religiously motivated mob. The death of the 24 year old man is a blot on humanity. The unfortunate thing is that this man was beaten up and made to say, *Jai Sri Ram, Jai Hanuman*, before he was removed.

All I want to say is, the BJP Members are speaking about West Bengal, you should rather protect the people in Jharkhand, a BJP ruled State, and other places where people are being lynched to death. This is not the first case. This is

an example of religious intolerance. We shall continue to protest against all instances of religious intolerance and mob lynching.

माननीय अध्यक्ष: श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK) : Sir, I am indeed indebted to you for allowing me to raise this issue. It is an international issue also with national ramifications. President Trump's decision to pull back from airstrikes on Iran after an American Drone was shot down over the Strait of Hormuz was a rare moment of restraint amid escalating tensions between the two countries. The United States need to deescalate its maximum pressure tactics applied on Iran. Iran was fully compliant of the Nuclear Deal. Yet, the United States pulled out of the Deal which set off the escalation. The maximum pressure tactics as it is being quoted have led to tension between Iran and the United States.

It is escalating day by day. Iran in response to the US pressure threatened to repeal the Nuclear Agreement that was intended to curb Tehran's ambition in exchange for relief from economic sanctions. But the US statement that it would stop extending sanction waiver to nations importing Iranian oil has direct impact on India as Tehran is the third largest oil supplier to India. Now, India has stopped importing oil from Iran which not only increases the cost of imported oil for India but also adversely affects India's bilateral relationship with Iran.

I, therefore, urge upon the Government to finely balance its approach towards Iran and the United States in defusing such tensions since a significant amount of Indian interests lie in both the countries. While Iran and the United

States are on the edge of an abyss, India should play its diplomatic role behind closed doors to find a way out.

Today, the Secretary of State of the United States is in India and a discussion is also taking place in Delhi. Tonight, the hon. Prime Minister is leaving for Osaka in Japan and he will be meeting the President of Russia and also the Prime Minister of Japan. There is a need to have closed-door meetings so that the President of China, the President of Russia and the Prime Minister of India work together to defuse tensions in the Middle East and work out a profitable formula.

माननीय अध्यक्ष: श्री अनुभव मोहंती और डॉ. निशिकांत दुबे को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया। मैं महाराष्ट्र में मछुआरों की स्थिति पर बोलना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर्स का समुद्री तट है और मेरे चुनाव क्षेत्र में ट्राम्बे कोलीवाड़ा, माहुल कोलीवाड़ा, शिवड़ी कोलीवाड़ा, माहिम कोलीवाड़ा और धारावी कोलीवाड़ा में मछुआरे रहते हैं। मछुआरों का पूरा जीवन समुद्र पर निर्भर करता है। पिछले कई सालों से मत्स्य व्यवसाय में उपयोग होने वाली सामग्री की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत छोटी नाव खरीदने के लिए जो ऋण दिया जाता है उस पर 9 परसेंट से लेकर 15.25 परसेंट तक ब्याज लगाया जाता है, जो राष्ट्रीय बैंकों की ब्याज दर से भी ज्यादा है। अभी हमने मत्स्य व्यवसाय करने वालों को किसान का दर्जा दिया है। जिस प्रकार से किसानों का ऋण माफ किया गया है, उसी प्रकार से मछुआरों का भी राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत दिए गए ऋण को माफ किया जाना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है। धन्यवाद।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, cashew industries are facing a serious crisis throughout the country. More than two-lakh cashew workers, about 90 per cent of them are poor women who are working in cashew industries, are affected. More than 400 cashew factories were closed due to various reasons. These poor cashew workers lost their employment because of the wrong policies of the Central and State Governments. The cashew workers are also not getting the benefits of ESI and PF properly. Wrong import policy of the Government of India on raw cashew nuts has seriously affected the cashew workers as well as the cashew factory owners. Even the Government of Kerala Undertaking, CAPEX, is also facing a serious crisis.

Hon. Speaker, nationalised banks are not releasing sufficient funds for running the cashew industries and are also not giving sufficient time to repay the loan.

Sir, I am requesting the Government of India through you to stop the import of raw cashew nuts from abroad. The Government of India has imposed a tax on raw cashew nuts. That is why, the cashew factory owners are not importing sufficient raw cashew nuts in this country.

Sir, I would also request the Government, through you, to announce a revival package for the cashew industry. EPF and ESI benefits are also very important as far as cashew workers are concerned. The EPFO has recently taken a decision that to get pension benefits a worker should have 3,700 working days. That adversely affects the cashew workers. Therefore, I would request the Government, through you, to withdraw this decision of 3,700 working days limit. Thank you.

श्री देवजी पटेल (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जालौर-सिरोही लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ। जालौर-सिरोही शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हद तक पीछे है। सिरोही में हमारा केन्द्रीय विद्यालय माउंटआबू में बना हुआ है, लेकिन हम वहाँ बच्चों को भेजने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिरोही जिला और जालौर जिला धनुष के आकार में बना हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि हमें सिरोही में एक केन्द्रीय विद्यालय दिया जाए। जालौर जिले में जो सायला क्षेत्र है, वह धनुष आकार का होने के कारण वहाँ पर एक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए, तब हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कृषि आधारित डिस्ट्रिक्ट होने कारण के वहाँ के बच्चों को पढ़ने का अच्छा मौका मिल जाएगा। इसलिए केन्द्रीय विद्यालय और एक जवाहर नवोदय विद्यालय की बहुत जरूरत है। अतः मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं इस हाउस का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो कि फॉरेस्ट फायर है। आज सरकार मैसिव ट्री प्लान्टेशन स्कीम पूरे देश में लागू कर रही है। मुझे लगता है कि यह आपके दिल के भी बहुत करीब है। मैंने पढ़ा है कि आपने भी अपने संसदीय क्षेत्र में एक लाख पौधे लगाने का काम किया है। नेशनल फॉरेस्ट पालिसी के उद्दिष्ट हमारे देश का 33 प्रतिशत भौगोलिक एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। महाराष्ट्र ने भी इस ओर पहल की है, जिसके तहत 4 करोड़, 13 करोड़ और 33 करोड़ पौधे गत तीन वर्षों में लगाने की मुहिम छेड़ दी गई है। मुझे लगता है कि यह बहुत ही सराहनीय कदम है। आज ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, अगर उसको कंट्रोल करना है, तो हर एक इंसान को पौधे लगाना बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो डेटा है, आज जो फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हैं, वह 49 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई हैं। यह फॉरेस्ट फायर सिर्फ नेशनल फॉरेस्ट तक ही सीमित नहीं है। मुंबई में जो अर्बन फॉरेस्ट है, उसके सराउन्डिंग सब अर्बन रीजन तक भी बढ़ गया है। 6,500 हेक्टेयर फॉरेस्ट अब तक जलकर खाक हो चुका है। उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। यह पता चला है कि जो 90 फीसदी फॉरेस्ट फायर है, वह direct or indirect result of human interface. मैंने भी एक मुहिम छेड़ी और वर्ष 2017-18 में लाखों पौधे लगाने की योजना बनाई। हमने

वहां पर हजारों लोगों की मदद से मैन मेड फारेस्ट बनाने की इच्छा जाहिर की और पौधे लगाए । लेकिन आपको बताते हुए मुझे बहुत खेद हो रहा है कि दो साल में, दोनों बार जंगल में आग लगाई गई और किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई ।

अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह एक यूनियन लेजिस्लेशन लेकर लाएं और जो भी दोषी हों, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए । जो भी फॉरेस्ट आफिसर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी नेग्लिजेन्स भी फिक्स हो और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए । हम जो पौधे हर साल लगाते हैं, उसका थर्ड पार्टी आडिट होना चाहिए, ताकि हर साल हम जितने पौधे लगाते हैं, उनमें से अगले साल तक कितने पौधे जिंदा बचे, उसकी गणना की जा सके । उसके तहत यह जो ट्री प्लान्टेशन प्रोग्राम है, वह आगे जारी रहे ।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री गजानन कीर्तिकर को डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Mr. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Commerce and Industries Minister and my beloved friend Piyush Goyal Ji to the Sivakasi fireworks industry which for the past 100 years has gone through many struggles. Over the past four months, the whole industry is closed because of a Supreme Court order. PESO now has to submit a report to the Supreme Court and the standard of emission has to be fixed.

But, till date, due to the Central Government's policy, the PESO has not defined the emission limits. In October/November, *Deepawali* is going to be there. The industry is suffering. There are one million workers depending upon it. So, I would like to request the Minister to pay his attention to this issue.

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । आपके अध्यक्षपीठ पर आसीन होने के बाद मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन

करता हूँ। मैं आपका दूसरा अभिनंदन इसलिए भी करना चाहूंगा कि आपने जीरो ऑवर का उत्तर एक महीने में देना चाहिए, इस प्रकार का आदेश निकाला है, इससे बहुत सारे सांसदों को लाभ होगा। इसलिए मैं फिर से एक बार और आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, मैं जो मुद्दा उठाने जा रहा हूँ, वह देशभर के लिए है और सभी सांसदों के लिए है। आने वाले दिनों में अगर महानगरों में किसी बात के लिए इंटरनल वॉर होगा, तो ट्रैफिक के लिए होगा, ऐसा मेरा मानना है। यातायात, व्हीकल ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और महानगरों में डेवलपमेंट प्लान में जो रोड बताए गए हैं, वे फुल विड्थ में डेवलप नहीं हुए हैं। इसलिए प्रधान मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को सन् 2022 तक, जब हम अपने देश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने वाले हैं, तब तक कुछ कामों को पूरा करने का उन्होंने तय किया है। मैं मानता हूँ कि अगर इस काम को भी वे हाथ में लेते हैं तो सभी महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं, वे जागरूक होंगे और सभी रोड को फुल विड्थ में करने का प्रयास करेंगे।

मैं खास कर मुंबई शहर के बारे में बताऊँ तो महात्मा गांधी जी ने सन् 1942 में क्विट इंडिया का मूवमेंट प्रारंभ किया था। मुंबई शहर की विशेषता है कि पूरे देश भर का आकर्षण मुंबई शहर है, इसलिए मुंबई शहर में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई न कोई कहने वाला चाहिए। प्रधान मंत्री अगर इस बात को उठाते हैं तो मुंबई शहर की यह समस्या बहुत जल्दी और आसानी से दूर हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। आपने मुझे यह मुद्दा उठाने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गोपाल शेटी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): I would like to raise the issue related to the recent unprecedented hike of airline fares from international airports in India, especially in my State of Kerala, to cash in on the demand for seats from non-resident Keralites returning to their work places in Gulf countries after Ramadan and other festivals.

Sir, the latest hike comes close on the heels of 200 to 400 per cent hike in the air fares during the summer vacation for educational institutions in the State. One-way fare from Trivandrum and other destinations to West Asia has suddenly gone up from the existing Rs. 6,000 to Rs. 12,000 range. The fare of one-way economy class ticket from three international airports to the destinations of Gulf countries on April 1, the day after closing of the academic year for educational institutions, was in the range of Rs. 21,998 to Rs. 88,705.

Sir, this is a very important matter. The Civil Aviation Ministry should intervene in the matter immediately to reduce the air fares from Kerala to Gulf countries.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you hon. Speaker, Sir for giving me the opportunity to speak in Zero Hour. I am very glad that the hon. Minister of Railways, Piyushji is also here because this is a matter concerning him.

The issue that I want to raise today is the creation of a new Railway Zone in the State of Andhra Pradesh. The demand for the creation of new Railway Zone has been there for at least two decades. In the last term, you have also seen that I had raised this issue constantly. We have been trying to put pressure on the Central Government after its inclusion in the AP Reorganisation Act also. On February 27th of 2019, the hon. Railway Minister had made an important announcement that the Railway Zone would be granted. But the way we see it, Sir, it has been made in view of the Elections rather than keeping the sentiments of the people of Andhra in view. The Waltair Division, which is the most important

division that needs to be there in the new Zone is totally omitted. It has a history of 125 years.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप पिछले साढ़े तीन घंटे से लगातार बैठे हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहां तीसरी बार आने का मौका दिया है। मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री जी से इतना कहना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से जो मैट्रो सिटी है, जो बड़ी सिटी है, टाउन है, वहां तो एफ.एम. रेडियो की व्यवस्था है, लेकिन आज देश में बहुत सी ऐसी छोटी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, जहां अभी तक एफ.एम. रेडियो की व्यवस्था नहीं है।

आज मोदी जी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जैसे स्मॉल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्ट-अप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया हो। इसके माध्यम से आज देश आगे बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो छोटा सिटी है, वहाँ भी एफएम रेडियो की व्यवस्था हो, जिससे विद्यार्थियों को, स्टूटेंट्स को, सभी को इस एफएम रेडियो की व्यवस्था मिल जाए। मैं आधे मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में एफएम की व्यवस्था है, वहाँ कम वॉल्ट की बैटरी होने से पूरे टाउन को उसकी व्यवस्था नहीं मिल रही है। उसको भी पूरे वॉल्ट की बैटरी मिले। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र के हापुड़ जनपद में केन्द्र सरकार के कई विभाग हैं। वहाँ रेलवे, दिल्ली पुलिस, सेना, अर्ध सैनिक बल इत्यादि हजारों कर्मचारी निवास करते हैं या पूर्व कर्मचारी निवास करते हैं। लेकिन हापुड़ में कोई भी सीजीएचएस का चिकित्सालय नहीं है, जिसके कारण से इन परिवारों को अपनी चिकित्सा के लिए निजी अस्पताल में जाना पड़ता है।

मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि इन परिवारजनों की सुविधा की दृष्टि से, केन्द्रीय सेवाओं में सेवारत इन कर्मचारियों की सुविधा की दृष्टि से एक सीजीएचएस चिकित्सालय हापुड़ के अन्दर खोले जाने की सरकार कृपा करें। मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ। शायद यह रिकार्ड हो

जाएगा, क्योंकि आज ज़ीरो अवर पहली बार लिया गया है, जिसमें आपने लगभग ढाई घंटे तक सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.31 hrs

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fifteen of the Clock.

15.03 hrs.

*The Lok Sabha reassembled after lunch at Three Minutes past
Fifteen of the Clock*

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

माननीय सभापति : अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे। केवल उसी का वाचन कीजिएगा, जो इसमें लिखा हुआ है।

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to eradicate Japanese Encephalitis in Muzaffarpur and its adjoining districts in Bihar.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): नियम 377 के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान बिहार के मुजफ्फरपुर में हर साल दिमागी बुखार (जापानी इन्सेफेलाइटिस) से बच्चों की हो रही मौत की तरफ दिलाना चाहती हूँ। इस वर्ष भी 120 से ज्यादा बच्चों की मौत 20 दिनों में हो चुकी है। हमारे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के हो रहे इलाज का मुआयना स्वयं बिहार जाकर किया है। इस बीमारी से प्रभावित मुजफ्फरपुर के स्थानों का भी दौरा किया है। यह बीमारी हर साल हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इस पर व्यापक रिसर्च की जाए और आने वाले समय में केन्द्र सरकार द्वारा प्रयास किया जाए कि मुजफ्फरपुर के आसपास वाले जिलों में ऐसी बीमारी न पनपे। चिकित्सा विशेषज्ञों ने अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला है कि बीमारी के बाद बच्चों में विकलांगता का खतरा भी बना रहता है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एम्स की टीम मुजफ्फरपुर के आसपास के जिलों में इस भयंकर बीमारी का गहरे स्तर पर अध्ययन कर रही है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हर साल मुजफ्फरपुर के आसपास के जिलों में आने वाले समय में हो रही दिमागी बुखार जैसी बीमारी पर नियंत्रण किया जाए और हमेशा-हमेशा के लिए इस भयंकर बीमारी को जड़ से समाप्त किया जाए। धन्यवाद।

माननीय सभापति : आप बैठिए, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, केवल वही रिकॉर्ड में जाएगा, जो नियम-377 के अन्तर्गत है।

... (व्यवधान) *

माननीय सभापति: डॉ. भारती प्रवीण पवार।

* Not recorded.

(ii) Need to provide assistance for Swajal Scheme and National Rural Drinking Water Programme in Dindori Parliamentary Constituency, Maharashtra

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): सर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित अपने संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में पानी की हो रही विकट समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूँ। इस संसदीय क्षेत्र के शहरों में 25 से 30 दिनों में केवल एक घंटे पानी लोगों को मिलता है, जिसके कारण महिलाएं एवं बच्चे पानी लेने के लिए लाइन में लगते हैं एवं एक घंटे के बाद लोग बिना पानी के अपने-अपने घर लौट जाते हैं। दिन्डोरी के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग शुद्ध जल के अभाव में गन्दे तालाब और नहरों से प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। प्रदूषित पानी के सेवन से लोग बीमार भी हो रहे हैं। नासिक जिले में कई डैम हैं, परन्तु उनमें केवल 17 प्रतिशत पानी मई के महीने में था। मेरे संसदीय क्षेत्र में मॉनसून की देरी से किसानों को अपने खेतों को सिंचाई करने में दिक्कत महसूस हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के पशुओं को पानी की कमी से चारा एवं पानी नहीं मिल पा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में जो कुएँ और तालाब हैं, उनमें पानी सूख चुका है। एक अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष के दिसम्बर माह तक महाराष्ट्र के तीन हजार गांव सूखे की भयंकर चपेट में आ सकते हैं, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी के अधिकांश गांव हैं।

सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं स्वजल एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत जल्द सहायता दी जाए।

माननीय सभापति: श्री दिलीप साईकिया - उपस्थित नहीं।

डॉ. सुजय विखे पाटील - उपस्थित नहीं।

डॉ. सुभाष भामरे - उपस्थित नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल - उपस्थित नहीं।

**(iii) Payment of compensation to people affected by
construction of N.H. 58E in Rajasthan**

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर) : सभापति महोदय, एन.एच.-58 ई, उदयपुर से झाडोल, फलासीया, खोखरा, गुजरात बॉर्डर तक बनने वाले हाईवे के अन्तर्गत आने वाले भूमि, मकान, आबादी आदि लोगों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। अतः शीघ्र ही शिविर लगाकर उन सभी प्रभावित लोगों को तुरन्त मुआवजा दिया जाए तथा इस कार्य में विलम्ब करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर मुआवजा देने की समय सीमा तय की जाए।

माननीय सभापति: श्री ढालसिंह बिसेन - उपस्थित नहीं।

श्री अजय भट्ट - उपस्थित नहीं।

**(iv) Need to erect stone wall along coastal areas of Chellanam,
Vypin and Kuzhuppilly in Kerala**

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sea attack is one of the major issues of the coastal areas in my constituency like Chellanam, Vypin and Kuzhuppilly. People living in these areas, mostly fishermen are struggling a lot for survival. As per the study report of IIT Chennai, making a wall made of stones stretching into the sea local name "Pulimuttu" will be of great help for the people residing in these areas. So, I urge upon the Government to intervene in this matter and do the needful to alleviate the agonies of the people living in these areas by conducting proper study and implement some fruitful projects to protect the people living in the coastal areas and also to allocate sufficient funds for the same.

**(v)Need to provide adequate compensation to flood affected victims of
Idukki district of Kerala**

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Idukki is one of the most affected districts of recent floods in Kerala. But the State Government was helpless and they failed to provide adequate assistance to the public. Thousands of households and livelihoods were lost. The loss figures are incomprehensible. However, the State has failed to provide any kind of compensation. In many cases, compensation has allegedly been paid on political leaning. Damage figures are countless. Partially homeless is still dwelling in their ruined houses. An important issue is suicide of farmers who are suffering on account of sequestration process. The process of confiscation must be frozen with immediate effect.

Now, another monsoon is knocking at the door of Kerala. Therefore, the Government should take adequate steps before any further loss. I urge upon the Central Government to appoint another fact-finding team to recalculate the damage and provide equal compensation to the victims.

HON. SPEAKER: Dr. Shashi Tharoor – Not present.

Dr. Shrikant Eknath Shinde – Not present.

**(vi) Need to provide adequate funds for construction of Railway
Bridge in Naguar district, Rajasthan**

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, नागौर जिले के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न रेलवे ब्रिज (पुलिया) के अधूरे निर्माण व कार्य शुरू नहीं होने से आमजन को विभिन्न तकलीफों व रोजमर्रा के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

माननीय सभापति : जो लिखा है, वही पढ़िए। इसके अलावा कोई भी चीज़ रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। जो लिखा है, केवल वही रिकॉर्ड में जाएगी।

श्री हनुमान बैनिवाल: सभापति महोदय, राज्य सरकार के अधिकारी केन्द्र से आर्थिक राशि किश्त नहीं मिलने की शिकायत पर ठेकेदारों से कार्य व भुगतान नहीं होने पर निर्माण रुके होने की वजह बता रहे हैं। कृपया लोक महत्व के विषय पर चर्चा व जवाब द्वारा आमजन को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

**(vii) Need to provide rail services in Mangaldoi Parliamentary
Constituency, Assam**

श्री दिलीप शङ्कीया (मंगलदोई): सभापति महोदय, हमारा राज्य असम पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के यातायात के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र मंगलदोई में रेल नेटवर्क की आवश्यकता की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र मंगलदाई रेल नेटवर्क से बिल्कुल ही कटा हुआ है।

मंगलदोई के दोरांग जिले में आज तक रेल लाइन नहीं है। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से रेल नेटवर्क से कटा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तटीय क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है तथा दोरांग जिला और उत्तरी कामरूप जिले की आजादी को रेल यातायात की सुविधा नहीं मिलने के कारण यहां उगने वाली प्रचुर मात्रा में सब्जियां और अन्य कृषि उत्पादन से क्षेत्र की जनता को पूर्ण लाभ नहीं मिला पाता है। इस कारण क्षेत्र की जनता को आर्थिक रूप से काफी क्षति उठानी पड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द रेल नेटवर्क को बहाल किया जाए और यदि इस संबंध में कोई सर्वे रेल मंत्रालय द्वारा कराया गया है तो उस कार्य को जल्द से जल्द करवा कर रेल लाईन बिछाने का कार्य जल्द से जल्द कराया जाए जिससे क्षेत्र की जनता को पूर्ण लाभ मिल सके।

(viii) Need to acquire defence land to complete two NHAI projects on National Highway – 222 in Ahmednagar City of Maharashtra

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Ahmednagar city is well connected with major cities of Maharashtra and adjoining States. The National Highway-222 passes through core area of the city. Due to this, there is enormous traffic congestion on the highway. In order to resolve this issue of traffic congestion, NHAI had already proposed two projects respectively 3.08 kilometres long elevate structure on Pune-Aurangabad highway and 40 kilometres long bypass of NH-222. To start work on these projects some defence land is required to be acquired at the earliest. Land required for these projects, is 0.48 hectare and 0.80 hectare respectively which is a total of 1.0827 hectares land. Due to these small parcels of defence land, works of the projects are not progressing.

As per Defence Land Policy, Ministry of Road Transport and Highways must submit proposal for in-principle approval and after that there will be final approval. Through this august House, I humbly request the Government to order to submit these proposals of acquiring defence land at the earliest to the Ministry of Defence to give relief to thousands of commuters from the traffic congestion.

(ix) Need for housing scheme for homeless people

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): भारत सरकार द्वारा आवासहीन सदस्यों को आवास भवन काफी संख्या में प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकाय संस्थानों में निर्माण हेतु अनुमति दी जाती है, परन्तु वर्तमान में राज्य सरकार अपना शेयर नहीं लगा पाने या कम राशि देने के कारण प्रत्येक पंचायतों या नगरीय निकायों में आवास कोटा काफी कम हो गया है, जिससे नामित व्यक्ति आवास बनाने हेतु नाम होने के बाद से आबंटन न मिलने से परेशान है । इससे भारत सरकार की प्रत्येक आवासहीन को आवास देने की नीति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ।

माननीय सभापति : मैं एक बार और नाम पुकार रहा हूं । अगर सदस्य आ गए हों, तो कृपया अपना काम कर दें ।

- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| डॉ. सुभाष रामराव भामरे | - | उपस्थित नहीं । |
| श्री जगदम्बिका पाल | - | उपस्थित नहीं । |
| श्री अजय भट्ट | - | उपस्थित नहीं । |
| डॉ. शशि थरूर | - | उपस्थित नहीं । |
| डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे | - | उपस्थित नहीं । |
-

15.18 hrs

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF SPECIAL
ECONOMIC ZONES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2019
AND
SPECIAL ECONOMIC ZONES (AMENDMENT) BILL, 2019**

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, अब हम मद संख्या 9 और 10 को एक साथ चर्चा के लिए लेंगे।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

“That this House disapproves of the Special Economic Zones (Amendment) Ordinance, 2019 (No.12 of 2019) promulgated by the President on 2 March, 2019.”

**THE MINISTER OF RAILWAYS AND MINISTER OF COMMERCE AND
INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL):** I beg to move:

“That the Bill to amend the Special Economic Zones Act, 2005, be taken into consideration.”

महोदय, भारत एशिया के विभिन्न देशों में लगभग पहला देश था, जिसने इस बात को समझा कि निर्यात को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे देश से पूरी दुनिया के साथ वाणिज्य को बढ़ाया जाए, ट्रेड को बढ़ाया जाए, कैसे भारत में उत्पादित हुई चीजों को पूरी दुनिया के मार्केट्स तक पहुंचाना चाहिए और कैसे लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, तो एक्सपोर्ट एक बहुत इंपोर्टेंट अंग रहेगा आगे की अर्थव्यवस्था में, इसको देखते हुए शुरुआत में 1965 में कांडला में सबसे पहले एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन शुरू किया गया था। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कुछ सुविधाएं दी गईं कि आप बिना इंपोर्ट ड्यूटी अपने कैपिटल गुड्स ला सकते हैं, मशीनरी वगैरह ला सकते हैं, कुछ आपका रॉ मैटेरियल लगता है, तो उस सामान को बिना ड्यूटी पे किए ला सकते हैं। वहां पर प्रोसेस करके वहीं से आप विदेश भेज सकते हैं।

उस समय लोकल टैक्सेज की वजह से भारत की कई वस्तुएं कम्पिटीटिव नहीं रह पाती थीं, प्रतियोगिता में खड़े नहीं रह पाते थे, वे अपना सामान नहीं बेच पाते हैं। उन सब को भी सुविधा मिलने लगी। वह प्रयोग साधारणतः सफल रहा। दुर्भाग्य से यह बहुत सीमित रहा, हमने बहुत बड़े रूप में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स नहीं बनाए। देश में सिर्फ सात प्रोसेसिंग जोन बने थे। जब माननीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब तक सात एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लग चुके थे। अटल जी ने इस बात के ऊपर गहराई से चिंता की, विदेश के अलग-अलग देशों में क्या मॉडल बनते हैं, कैसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को आगे बढ़ाया जाए, उसकी चिंता की। जहां तक मुझे याद है, उस समय के वाणिज्य मंत्री माननीय मुरासोली मारन जी को सिंगापुर और चीन एसईजेड देखने के लिए भेजा गया था कि कैसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और आगे सुविधाजनक हो सकता है।

अप्रैल, 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी एनडीए के समय रखी गई। उस पॉलिसी में ये कोशिश की गई कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक इंजन का काम करे। जैसे हमारी रेलगाड़ी चलती है, इंजन पर चलती है और इंजन तेज गति से चलने के लिए शक्ति देता है, वैसे ही एसईजेड को भी देश की अर्थव्यवस्था को इंजन बनाने के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए अटल जी की सरकार ने पॉलिसी बनाई। जहां तक मुझे याद है एक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बार्डर पर था और दूसरा गुजरात में था। इस एसईजेड की कल्पना यह थी कि कैसे बड़े पैमाने पर एक जमीन के हिस्से को सरकार उद्योग लगाने के लिए तैयार करे, अलग-अलग प्रकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। कल्पना यह थी कि उसमें साफ-सुथरा वातावरण हो, पर्यावरण की चिंता न हो, उसके लिए चिंता की जाए। प्लग एंड प्ले एवेलेवल हो, जो उद्योग लगाना चाहे, नया व्यापार शुरू करना चाहे, उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधाएं एक जगह पर आसानी से मिले, उसको कई जगहों पर भटकना न पड़े।

अभी बीच में थोड़े समय के लिए लंच ब्रेक हुआ तो मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण देखने सुनने का सौभाग्य मिला। उस समय यही विषय वहां चल रहा था, जब कई बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की आलोचना होती है। उसके जवाब में प्रधानमंत्री जी यही बता रहे थे कि हम उस प्रकार का ओल्ड इंडिया नहीं चाहते हैं, जिस ओल्ड इंडिया में लोगों को इंसपेक्टर राज

झेलना पड़े, उस ओल्ड इंडिया में इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में उद्योग न पाए। वह अलग-अलग उदाहरणों से बता रहे थे कि हम कैसे नए इंडिया की कल्पना करते हैं। हम भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए काम करते हैं। यही सिलसिला अटल जी ने 2000 में प्रयास करने का शुरू किया था, अच्छे फिसकल टैक्स बेनिफिट दिए गए। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ने अपने-अपने कानून बनाने की प्रक्रिया की, नए प्रयोग को बल देने के लिए केन्द्र और राज्यों से भी कुछ सहयोग मिला, कम से कम कानूनी दांव पेंच हो, कम से कम कठिनाइयां हों, प्लग एंड प्ले, सिंगल विंडो और सरल व्यवस्था से लोग काम कर सकें। यहां जो से वस्तु आए, वह दुनिया में बिना किसी अड़चन या बिना कोई इम्पोर्ट ड्यूटी के आ सकें। यहां जो वस्तुएं बनती हैं उसे साधारणतः आसानी से विदेश भेजा जा सके। एक प्रकार एक्सपोर्ट कम्पिटेटीव प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ी सोच उस समय के माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के समक्ष रखी थी।

फिर उसको और बल देने के लिए उस समय की सरकार ने 2005 में एस.ई.जेड. के लिए एक कांप्रिहैन्सिव स्पेशल इकोनोमिक जोन्स का एक्ट पारित किया और मैं समझता हूँ, उस एक्ट के बन जाने से, एक प्रकार से एस.ई.जेड. पॉलिसी को और ज्यादा बल मिलना चाहिए था, और ज्यादा उसको गति मिलनी चाहिए थी।

स्पीकर सर, यह जो स्पेशल इकोनोमिक जोन्स की कानून व्यवस्था बनी है, यह सन् 2005 में बनी। सन् 2005 तक जिस-जिस प्रकार के स्ट्रक्चर्स में लोग काम करते थे, उनमें इंडिविजुअल्स प्रोपराइटरशिप में काम करते थे, कोई एच.यू.एफ में करता था, कोई प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, कोई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स में काम होते थे। उन सभी को उस समय के कानून में डिफाइन किया गया। जब कानून की डेफिनेशन में पर्सन्स की डेफिनेशन आई, जिन लोगों को यह कानून अप्लाई करेगा, उसमें अलग-अलग प्रकार से कई सारे प्रावधान किए गए और उन प्रावधानों के तहत उस समय जो साधारणतः तरीके थे, जिन तरीकों से लोग कम्पनियां बनाते थे, जिस तरीके से लोगों ने अपने व्यवहार या अपने व्यापार को प्लान किया, वह उस समय उन्होंने प्रोवाइड किए थे, लेकिन समय बदलता है, समय के साथ-साथ नए-नए तरीके बनते हैं, काम करने के, व्यापार करने के और उस समय की जो डेफिनेशन थी क्लॉज 5 सेक्शन 2 ऑफ दी एस.ई.जेड. 2005 में

उसमें पर्सन सीमित था। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, चाहे भारत में रहे, चाहे विदेश में रहे, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी हो, कम्पनी हो, चाहे भारत की कम्पनी हो, चाहे विदेश की कम्पनी हो, क्योंकि ये एस.ई.जेड. एक्सपोर्ट के लिए है तो विदेशी कम्पनी भी वहां लगा सकती है। यह प्रावधान बनाया है। साथ ही साथ कोई फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोपराइटरी कन्सर्न हो, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो, कई बार कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन उसको पार्टनरशिप का रूप नहीं देते, ए.ओ.पी. बनाते हैं। ऐसे कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, ये भी एक अलग कानूनी तरीका है, जिससे लोग मिलकर कोई एक काम करते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। लोकल अथॉरिटी हो, जैसे कि कोई कॉरपोरेशन हो, पंचायत हो या कोई एजेंसी ऑफिस या ब्रांच, ऐसी संस्था का हो जो इंडिविजुअल एच.यू.एफ., कॉ-ऑपरेटिव वगैरह-वगैरह तो उसका कोई ब्रांच ऑफिस भी वहां लग सकता है। इस प्रकार से डेफिनेशन में कुछ चीजें लाई गईं, जो उस समय साधारणतया चलती थीं लेकिन समय के बदलने के साथ-साथ एक नया मोड ट्रस्ट आया है। आज के दिन निवेश करने के लिए कई सारी एसोसिएशन, कई सारे निवेशक एक ट्रस्ट का मॉडल इस्तेमाल करते हैं, निवेश करने के लिए। कुछ लोग जो यहां व्यापार या उद्योग जगत से जुड़े हैं, उनको या हमारे विख्यात वकील हैं उनको ध्यान होगा कि एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है-जैसे ए.आई.एफ. ये नया तरीका निकला है, जिससे लोग आजकल निवेश करने लगे हैं। एक प्रकार से सिमिलर टू ए म्यूचुअल फंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल में अलग-अलग कम्पनियां, अलग-अलग निवेशक, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड की कम्पनियां, इंश्योरेंस कम्पनियां ये सब अपना पैसा एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में ट्रस्ट के माध्यम से डालती हैं। वह फिर निवेश करता है और जब उस निवेश में से कुछ कमाई होती है, तो जिस-जिस से निवेश किया, उन सभी में वह बंट जाता है। तो एक ट्रस्ट का काम करने का नया रूप आजकल आया है।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक प्रयोग किया है। जैसे लंडन, सिंगापुर, न्यूयार्क, ये बड़े बड़े विश्व के फाइनेन्शियल सेन्टर्स बने, आज विश्व में किसी को कोई बड़ा काम करना हो, बड़े रूप में पैसा इकट्ठा करना हो, जिससे बड़ा व्यापार कर सके, बड़ा उद्योग लगा सकें तो साधारणतया यह

इंटरनेशनल फाइनेन्शियल सेन्टर्स जो अधिकांश रूप में पश्चिम में थे, लंडन, न्यूयार्क, आजकल सिंगापुर बनता जा रहा है। एक नया इंटरनेशनल फाइनेन्शियल सेन्टर हांगकांग बन गया है।

भारत में इस प्रकार का कोई इंटरनेशनल फाइनेन्शियल सेंटर नहीं है। प्रधान मंत्री मोदी जी ने गुजरात से शुरू किया – गिफ्ट सिटी, जिसमें एक इंटरनेशनल फाइनेन्शियल सेंटर बनाने का प्रयास किया गया। वहां से शुरू हुआ, अब मेरी जानकारी में है कि शायद मुंबई में भी इंटरनेशनल फाइनेन्शियल सेंटर बनाने की कल्पना है या बनने जा रहा है। वैसे ही हरियाणा में भी सुनते हैं कि वहां की सरकार प्रपोज कर रही है कि इंटरनेशनल फाइनेन्शियल सेंटर बने। इन इंटरनेशनल फाइनेन्शियल सेंटर्स में खास तौर पर जब निवेश होता है, जब वहां लोग काम करना चाहते हैं, वहां पर ट्रस्ट का मॉडल काफी इस्तेमाल होता है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सोचा कि एसईजेड एक्ट में पर्सन की जो डेफिशन है, उसमें ट्रस्ट को भी शामिल किया जाए, जिससे ऐसे ट्रस्ट्स और इन ट्रस्ट्स के माध्यम से बड़े रूप में निवेश भारत में भी आए और भारत की भी पेंशन कंपनीज, प्रॉविडेंट फण्ड कंपनीज, इन्श्योरेंस कंपनीज और विदेशी कंपनीज, क्योंकि एसईजेड विदेश से सम्पर्क रखता है, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज, सभी को एक अन्य तरीका मिले भारत में निवेश करने का, जिसे कानूनी प्रक्रिया से पूरी तरीके मंजूरी मिली हुई है। इसलिए एसईजेड एक्ट में ट्रस्ट को भी शामिल किया जाए। यह एक फास्ट इवॉल्विंग वर्ल्ड है, दुनिया बदलती जा रही है। देश ने तय किया कि अब इस बदलती हुई दुनिया में हमें भी आगे बढ़ना है, हमें कोई पुरानी सोच या पुराने विचारों में, ओल्ड इंडिया में नहीं रहना है, हमें उभरती हुई नई व्यवस्थाओं में भारत को भी आधुनिक बनाना है, भारत को भी नया बनाना है। उसके लिए ट्रस्ट को भी शामिल करना है। यह खास तौर पर सर्विसेज सेक्टर में एन्टिटी बनाने का एक बहुत कॉमन फॉर्म है। उसके लिए म्युचुअल फण्ड्स, डेट इनवेस्टमेंट फण्ड्स आदि सभी को भारत की तरफ आकर्षित किया जाए, एसईजेड्स में उनको आकर्षित किया जाए कि वे लोग बड़े रूप में निवेश लाएं। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी इसे परवानगी दे दी है कि इंटरनेशनल फाइनेन्शियल सेंटर में ट्रस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इनको रिकग्नाइज किया है कि फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स का काम ट्रस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। इस बिल के माध्यम से हम सिर्फ इतना प्रावधान ला रहे हैं कि ट्रस्ट के रूप में भी लोग एसईजेड में

काम कर सकते हैं। चूंकि बदलती हुई दुनिया में शायद आगे चलकर और कोई नया तरीका भी काम करने के लिए आ सकता है तो हमें लगा कि यह अच्छा रहेगा कि जब हम इसे संशोधित कर ही रहे हैं तो ऐसे संशोधित करें कि ट्रस्ट और आगे चलकर यदि कोई नया सिस्टम आए, नई एन्टिटी का रूप आए तो सरकार उसे भी नोटिफाई कर सकती है। इसके लिए बार-बार सदन में न आना पड़े, उसके लिए केन्द्र सरकार को यह पावर दी जाए कि यदि व्यापार करने का ऐसा कोई नया तरीका भारत में आता हो, भारत में हम उसे प्रोत्साहन देना चाहें तो वह उसे नोटिफाई कर सके।

मैं सदन से दरखवास्त करूंगा कि आप इस स्पेशल इकोनोमिक जोन्स (अमेडमेंट) बिल, 2019 को एप्रूव करें और हमने जो स्पेशल इकोनोमिक जोन्स (अमेडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2019 के माध्यम से इस सिलसिले को गति देने के लिए इश्यू किया था, क्योंकि चुनाव आ रहा था, लम्बा फ़ासला पड़ने वाला था और हम चाहते थे कि निवेश के कोई प्रपोजल्स अटक न जाएं, उस सबको मद्देनजर रखते हुए इसे ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया था, इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करके अगर सदन आज इस बिल को पारित कर दे तो मैं समझता हूं कि आगे इस नए रूप से भी बड़े रूप में भारत में निवेश आने का रास्ता बन जाएगा। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Motions moved:

“That this House disapproves of the Special Economic Zones (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 12 of 2019) promulgated by the President on 2 March, 2019.”

“That the Bill to amend the Special Economic Zones Act, 2005, be taken into consideration.”

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Chairman Sir, for giving me this opportunity.

Sir, I rise to oppose the Special Economic Zones (Amendment) Ordinance, 2019 and also the Special Economic Zones (Amendment) Bill, 2019, as there is no transparency in this legislation and it also lacks *bona fide* intentions.

Sir, it is a well-established constitutional principle that Article 123 (1) can be invoked only in extra-ordinary circumstances when the House is not in Session. It is an independent legislation brought out by the Executive. So, an Ordinance should be issued only under compelling circumstances. Further, Article 123 does not speak about the replacement of an Ordinance by an act of Parliament.

But as per the conventions, customs, traditions and precedents of this House, we are replacing an Ordinance by an Act of Parliament even though there is no particular provision in the Constitution. So, I fully agree with it. But the ordinance route of legislation is not good for a healthy parliamentary democracy. This is the accepted position taken by the BJP when they were in Opposition. It is not at all good governance. But I do concede and agree with the hon. Minister and the Government that there will arise circumstances by which the Government will be forced to promulgate Ordinances in the case of extraordinary or compelling circumstances as the Government cannot wait for the Parliament to be convened. In such circumstances, it is absolutely inevitable to have the right to issue Ordinances under Article 123 (1). Definitely, we will agree with it.

Here in this case, if you examine the Special Economic Zones (Amendment) Ordinance, what is the exigency or emergency or extraordinary or compelling circumstance prevailing in this country so as to issue this Ordinance?

That is the specific question the hon. Minister has to answer. I cannot find any reason or any compelling circumstance forcing the Government to promulgate such an Ordinance. What was the emergency or urgency existing at the time of election? ...(*Interruptions*) I will substantiate it.

Sir, this Ordinance was issued on 2nd March, 2019. The 17th Lok Sabha Election Schedule was declared on 10th March, 2019 and the Model Code of Conduct came into effect from that day. So, what is the content of the Ordinance and what is the content of the Bill? It is a small matter. It is simply changing the definition of the term 'person' in Section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005. On a perusal, we will know that it is a harmless Bill. But let us examine the intent of this Ordinance. The Special Economic Zones Act, 2005 was enacted with a view to provide for the establishment, development and management of the Special Economic Zones for the promotion of exports.

The hon. Minister has also quoted the definition. Section 2 (v) of the Special Economic Zones Act, 2005 says:

“person includes an individual, whether resident in India or outside India, a Hindu undivided family, co-operative society, a company, whether incorporated in India or outside India, a firm, proprietary concern, or an association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, local authority and any agency, office or branch owned or controlled by such individual, Hindu undivided family, co-operative, association, body, authority or company.”

That means, almost all the associations, persons or individuals come within the purview of definition of Section 2 (v). Why “trust or entity” is being incorporated in this definition on 2nd March, 2019 just eight days before the Election Schedule was announced?

Sir, you may kindly see that those who come within the purview of this definition are eligible to get permission to set up a unit in the Special Economic Zone. If you make an amendment to Section 2 (v) of the Act, you are changing the definition of the term “person”. That means, if an entity or a trust have started a unit in the Special Economic Zone, they will be eligible for getting the benefits as per the Special Economic Zones Act, 2005. By this Ordinance, the Government has amended the definition of the term “person” by including “trust or entity” as may be notified by the Government. It means, it can be done as per the whims and fancies of the Government. So, whatever entity or trust, which is being notified by the Government, is eligible for getting the benefits, concessions or incentives in the Special Economic Zones.

Sir, you may kindly see that the Parliament has limited the scope of the person entitled to start a unit in the Special Economic Zones in the year 2005.

But through the executive powers under Article 123(1), you have changed the definition by providing unfettered discretionary authority to the Government, giving permission to any trust, any entity to start a unit in the SEZ and get the benefit of Special Economic Zone. What is the role of the Parliament? The Parliament, in the year 2005, has passed a law. It is a comprehensive definition as far as the law is concerned. Section 2(5) is a comprehensive definition. That was the will of the people. It was the law made by the Parliament. On 2nd March, 2019, without taking the confidence of the Parliament, the Executive have brought a legislation through the route of an ordinance and changing the definition of a

person and incorporating two terms 'entity' and 'trust'. What is the intention behind it? What is the intention behind it? By this change, the Executive have taken away the authority of the Parliament and by this Act, you are undermining the authority of the Parliament. By this amendment, the sanctity and the very purpose of the definition is lost. Whichever entity, in which the Government is interested, can have the SEZ benefit, which means SEZ benefit eligibility is according to the whims and fancies of the Government. Then, what is the role of the Parliament. It is absolutely undermining the authority of the Parliament which cannot be accepted. That is why, I am strongly opposing the ordinance route of this legislation.

Coming to the amendment. Two words have to be incorporated in the definition person i.e. 'trust' and 'entity'. ...(*Interruptions*). I will quote the rule if you want. Sir, you may kindly see whether these words are defined in the original Act. There is no definition. 'Trust' is not defined in the original Act and 'entity' is also not defined in that. What do you mean by 'entity'? As per the dictionary, a thing with distinct and independent existence is an entity. That means anyone at the instance of the Government can be brought within the purview of 'person' as may be notified by the Government. Suppose the Government is interested in a group of persons or association of persons, by this notification, he is eligible for the SEZ benefit. How can it be? How can the Government be given such an unfettered right? I am again and again asking what is the role of the Parliament?

Finally, I would like to ask the hon. Minister the urgency in issuing this ordinance. I reasonably have apprehensions that this ordinance is issued just to

benefit some companies. This has never happened in our Parliamentary democracy. ...(*Interruptions*).

माननीय सभापति : आपके बाद राइट टू रिप्लाय भी है। आप बाद में कहिएगा। यह छोटा-सा बिल है, केवल 2 घंटे का।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I have just started. I am coming to the contents of the ordinance. I am about to conclude. I am the mover of the statutory resolution. Since the discussion is both on the bill and the ordinance, so I am entitled to speak on the Bill and the ordinance. I will abide by your ruling. I will conclude. Sir, what is the interest in having this legislation? Normally, the legislation begins when the society demands. Here, what is the urgency and what is the demand which is being made by the society? I would also like to know how many entities or trusts are notified for the purpose of this Act since 2nd March, 2019 i.e. the date of issuance of the ordinance. I would like to have specific answer from the Government, how many entities have been notified by the Government after promulgation of this ordinance? That is why, I am opposing the Bill.

Coming to the SEZ Act, as the hon. Minister has rightly said, the SEZ policy was issued in April, 2000 at the time of Atal Bihari Vajpayee Ji. But the legislative recognition to the SEZ was given at the time of Dr. Manmohan Singh Government in the year 2005 and the rules were also made in the year 2006. For academic interest, I would like to state all the facts. The Government has targeted hundred million job creation and to achieve a 25 per cent of the GDP from manufacturing sector by 2022 and increase the manufacturing value to USD 1.2 trillion by 2025.

The policy was adopted in 2000 as a part of Exim Policy to promote export and propel the growth of GDP in the country. In order to promote export and propel the growth of GDP, so many incentives/benefits were given. The import duty is exempted and one single-window clearance is there. So many tax concessions and incentives are being given.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government could achieve this target with the experience of last 15 years.

Further, it is being reported that there is a vast gap between the land utilised and the land unutilised in the premises of SEZs and units across India. It raises serious questions of land acquisition policy and directions towards these SEZs.

HON. CHAIRPERSON : Now, Shri Rajiv Pratap Rudy.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, let me conclude. The Mover of the Resolution is being restricted like this!

HON. CHAIRPERSON: You have already taken much time.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: No, Sir I have taken just five to six minutes.

HON. CHAIRPERSON: You have the right to reply also. Now, please conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Yes, Sir.

My second query is, how the Government going to address the issue of unutilised land of SEZs.

With these questions and suggestions, once again, I would like to oppose the Ordinance route of legislation and the contents of the Bill.

Thank you very much.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय सभापति जी, आज Special Economic Zone (Amendment) Bill, 2019 विधेयक पेश हुआ It is to amend the Special Economic Zones Act, 2005. इस एक्ट के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 'person' शब्द के स्थान पर 'trust or entity' को इनक्लूड करना है। 'पर्सन' का डेफिनिशन इसमें दिया गया है, It say that "person" includes an individual, whether resident in India or outside India, a Hindu undivided family, co-operative society, so on and so forth.

माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से इसकी पृष्ठभूमि बताई। वैसे तो हजारों वर्षों से जिब्राल्टर के मार्ग या स्विस् कैनाल से फ्री ट्रेड का कांसेप्ट रहा है। लेकिन पूरे विश्व में पहली बार 1959 में फ्री ज़ोन एस्टैब्लिश हुआ था, जो आयरलैंड के शैनोन में हुआ था। 70 के दशक में ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका में इसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ा। उसके बाद कोरिया, मॉरिशस, ताईवान, चाइना में हुआ। चाइना ने तो इसमें एक्सेल ही कर दिया। हम तब तक भारत में इसकी शुरुआत नहीं कर पाए थे। इंटरनैशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि 1986 तक पूरी दुनिया में, भारत में उस समय तक पूरी तरह से इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, 176 ज़ोन्स का निर्माण 47 देशों में हो चुका था। 2006 तक, जब यह कानून बना, तब तक पूरी दुनिया में ऐसे 3500 ज़ोन्स बना दिये गये थे, जो लगभग 130 देशों में बनाए गए थे। एक प्रकार से हम थोड़े लेट से ही चल रहे थे, जब इस ओर अभियान चला।

आज पूरी दुनिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट में जो अंश है, वह लगभग 200 बिलियन डॉलर है। यानी एक बिलियन डॉलर सात हजार करोड़ रुपये होता है। आज पूरी दुनिया के अनुपात में स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स का जो कंट्रीव्यूशन है, वह लगभग 200 बिलियन यूएस डॉलर है और इसमें लगभग 40 मिलियन लोगों को रोज़गार मिलता है।

इसकी एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई थी, to include 'trust' in the definition of "person". भारत में जिस प्रकार से स्वीकृति देने की प्रक्रिया है, एक बोर्ड ऑफ एप्रूवल है, जिसको कॉमर्स सेक्रेट्री हेड करते हैं। वहाँ आवेदन जाता है। इसमें राज्य सरकारों का भी योगदान है। केन्द्र सरकार उसकी नीति बनाती है। हमने 'पर्सन्स' का डेफिनिशन बताया। भारत में 1965 में कांडला पोर्ट पर सबसे

पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन ज़ोन बनाया गया। वह हमारे लिए एक्सपेरिमेंट था, हमारे लिए शुरुआती दौर था। गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय इसमें मूल उद्देश्य यह था कि पुरानी सरकारों में जो बहुत-से नियंत्रण थे, हमने देखा है, वह गलत नहीं था, भारतवर्ष में उस समय बहुत नियंत्रण थे। बहुत सारे क्लीयरेंसेस के लिए कागज जमा करने पड़ते थे। हमारा उद्देश्य था कि विदेशी निवेश को हम भारत में आकृष्ट करें।

वर्ष 2000 में इसकी पॉलिसी बनाने की रूप-रेखा तैयार हुई। जैसा पीयूष जी बताया कि उस समय एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय सरकार में थे। सौभाग्य से मैं 18 साल पहले उस विभाग का मंत्री था। अब काफी समय निकल गया है। हमारे एक मित्र यहां बैठते हैं। वे आज यहां नहीं हैं, राजा साहब जहां बैठते हैं। उस समय उनके पिताजी मुरासोली मारन भारत सरकार में कॉमर्स मिनिस्टर थे और मैं उनका छोटा मंत्री था। मेरा सौभाग्य रहा है कि देश के तीन कॉमर्स मिनिस्टर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिला - जिनमें एक मुरासोली मारन थे, एक माननीय अरुण जेटली साहब हैं और एक अरुण शोरी साहब हैं। मैं उस समय छोटा मंत्री था।

डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर के समय मैं मारन साहब के साथ गया था। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे आज भी याद है। वे हमारी सरकार, एनडीए के पार्ट थे और उन्होंने उस समय हमें काफी कुछ सिखाया था। इसके साथ-साथ यह सिलसिला चलता रहा। वर्ष 2005-06 तक कोई कानून नहीं बना, इसलिए भारत की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, उसके तहत हम लोगों ने इन इकोनॉमिक ज़ोन्स की शुरुआत की थी।

The main objectives were generation of additional economic activity, promotion of exports of goods and services, promotion of investment from domestic and foreign sources, creation of employment opportunities, it was very important, along with the development of infrastructure facilities. So, both foreign and domestic investments were allowed and that continues till date. Also, the role of the State Governments was also envisaged, जो राज्य सरकारों ने किया। एसईजेड में हम लोगों ने एक प्रोसेसिंग एरिया चिह्नित किया, जहां प्रोडक्शन का काम होगा, लेकिन वह हमेशा छोटा

एरिया था और उसके सपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नॉन-प्रोसेसिंग एरिया, जो बहुत बड़ा एरिया था, उसमें सपोर्ट सर्विसेज, स्कूल्स, मार्केटिंग, इम्प्लॉयेज इत्यादि का प्रावधान किया। भारत में अपने आप में यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। उनको इसके एडवांटेजेज भी दिए गए। उनको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का एडवांटेज दिया गया, इनकम टैक्स से 100 परसेंट एग्जम्पशन किया गया, जीएसटी में आज की तारीख में भी उनको पूरे तौर पर एग्जम्पशन दिया जाता है। राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने तरीके से एडवांटेजेज दिए। They have given a lot of exemptions to the SEZs. Each company or entity was allowed external commercial borrowings upto about \$ 500 million and all with an effort to bring 100 per cent FDI.

यह योजना बहुत ही अच्छी थी, लेकिन भारत में एक बात की चिंता रही। 2005 के एक्ट के बाद महाराष्ट्र में मुंबई में सांता क्रूज में एसईजेड बना, उसके बाद कोचिन, केरल में बना, सूरत, गुजरात में बना, चेन्नई, तमिलनाडु में बना, आपके यहां स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बना, वार्डज़ैंग, जहां से आंध्र प्रदेश के हमारे मित्र हैं, वहां बना, उत्तर प्रदेश के नोएडा में हमारे मित्र हैं, वहां बना, मध्य प्रदेश के इंदौर में बना। 5 लाख 7 हजार करोड़ रुपये का जो निवेश पूरे भारतवर्ष में हुआ, वह इन्हीं स्थानों पर हुआ। दुर्भाग्य से जो बाकी 20-22 राज्य हैं, वहां इसकी स्थापना नहीं हो पाई।

माननीय मंत्री जी हमारी नीति में निश्चित रूप से राज्य सरकारें महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश, जहां 22-23 करोड़ की आबादी हो, अगर उत्तर प्रदेश अपने आप में दुनिया का एक देश होता, तो वह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता। अगर आपका उत्तर प्रदेश दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता, वहां भी दिल्ली के बगल में नोएडा में एक एसईजेड लगे, तो नीतिगत तौर पर कहीं न कहीं कुछ कमी रही है, जिसके कारण इसका विस्तार नहीं हो पाया। यह झारखंड में नहीं लग पाया।
...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : झारखंड में बहुत माइन्स-मिनरल्स हैं। ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : दुनिया में अगर एक राज्य है - जो पहले बिहार के साथ था, जब बिहार और झारखंड एक था - जहां सबसे ज्यादा खनिज सम्पदा, सबसे वैरायटी की खनिज सम्पदा अगर धरती पर दुनिया में कहीं है, किसी एक छोटे से क्षेत्र में है, जहां यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, माइका भी है,

मैंगनीज भी है, कोल भी है, गोल्ड भी है, तो वह झारखंड है। ... (व्यवधान) वह हमारे पुराने बिहार का पार्ट होता था। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : निशिकांत जी भी बहुत कीमती हैं, ऐसी बात नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: अभी अर्जुन मुंडा साहब यहां थे, लेकिन चले गए। वहां भी आज तक कोई स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन नहीं बन पाया। बिहार तो भगवानों की धरती रही है, वहां भी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन नहीं बन पाया। हमारी चिंता है कि यह स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन की पॉलिसी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है और वर्ष 2005 के बाद पहली बार वर्ष 2019 में उसमें संशोधन करने की आवश्यकता हुई। इसका मतलब इस पूरी नीति से देश को लाभ हुआ है। हम इसको स्वीकारते हैं। वर्ष 2005-06 में जो एक्सपोर्ट था, वह लगभग 22 हजार करोड़ रुपये का था।

ये वर्ष 2016-17 के आंकड़े हैं, बाकी मंत्री जी बता देंगे, वर्तमान में क्या हैं? 5 लाख 23 हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट आज एस.ई.जेड. से हो रहा है। मैं एक पत्र दिखाना चाहूंगा, क्योंकि सदन में इतिहास के बहुत सारे पन्ने रखे जाते हैं। मैं एक बहुत ही इंटरस्टिंग पत्र रखना चाहूंगा, वह मेरे पास था। आज मैंने अपने संचयीकरण से उठाकर देखा। पीयूष गोयल जी से संदर्भित पत्र है। मैं जिन लोगों का नाम उल्लेख कर रहा हूँ वे सब सदन में ही हैं, इसलिए उसकी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। 26 सितम्बर 2006, को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू थे। ये संदर्भ इसलिए है कि माननीय मंत्री जी सिर्फ स्मरण कराऊंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम करें। उस समय हमारी राजनीतिक पार्टी की तरफ से एक कमेटी बनाई गयी थी, वेंकैया नायडू जी का ये पत्र है। वे उसके कन्वीनर थे, मैं उसका सदस्य था। उस दिन एक और पत्र जारी हुआ था, जिसमें पीयूष गोयल साहब कॉमर्स और ट्रेड सैल के इंचार्ज थे। जब ये कमेटी बनाई गई, ये कॉमर्स और ट्रेड सैल के इंचार्ज थे। इन्होंने उस समय भी बहुत रिकमेण्डेशंस दी थीं और ये पत्र बनाया था। उसमें आज भी आपका मेरे हस्ताक्षर से नाम लिखा हुआ है, जो मैंने आपको निमंत्रण दिया था कि आप आकर उसको बताएं। आपने बहुत अच्छा किया है। इसके साथ-साथ मैं जिस विषय पर आना चाहता हूँ, पीयूष जी आपके लिए भी बहुत संदर्भित है और सदन के लिए भी, जो हम लोगों की

रिकमेण्डेशन है, लखनऊ में एक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी रिपोर्ट बनाने में पीयूष गोयल साहब का सबसे बड़ा योगदान था: 'Report of the BJP Committee on Special Economic Zones'. उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी थे। Number, size and location of SEZs के बारे में चर्चा थी, रियल स्टेट के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में चर्चा की गयी थी। उसमें, Protection of productive land and interest of land-owning farmers and rural workers, के बारे में चर्चा थी और जितने ग्रामेटिकल एरर्स करेक्ट करने थे, वे सब माननीय पीयूष गोयल ने उस समय किए। It discussed about tax incentives and impact on revenue. It is a very good document. It also discussed about non-level playing field for business in DTA; interface between SEZs and DTA; SEZs and development of new townships; SEZs and IIT sector; and administrative weaknesses. There is a reasonable balance.

15.57 hrs

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

महोदय, इस विषय को माननीय पीयूष गोयल साहब को बताना चाहूंगा, क्योंकि आप इस मंत्रालय में हैं। समय-समय पर यह विषय उस समय भी हमने उठाया था और आज भी तमाम विषय हैं, जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूं। ये संदर्भित है, सभी के लिए संदर्भित है। उसमें हमारी सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेण्डेशंस थीं, लगभग उन 60 प्रतिशत रिकमेण्डेशंस को हम लोगों ने पूरा किया है। ये बहुत ही रेडिकल रिकमेण्डेशंस थीं। इस सदन को सुनना होगा और मैं सुनाना चाहूंगा। इसमें समरी ऑफ रिकमेण्डेशंस हैं, मैं एक-एक लाईन पढ़ दूंगा। The minimum area of the processing zone should not exceed 35 per cent of the total land acquired. No fertile and irrigated agricultural land should be acquired by the Government for SEZs. हम किसानों की बात तब भी करते थे और आज भी किसानों की बात करते हैं, यह हमारा लक्ष्य है। हम लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं। State Governments must prescribe minimum prices for land in various locations and categorise them. This was done, of course.

Then we go ahead under 'Summaries'. Wherever feasible, farmers should be allotted equity shares in the developer companies. मुझे पता नहीं है, इसको लागू किया गया है या नहीं। There should be an additional suitable financial compensation. The displaced farm labour and allied eligible worker should be given preference in employment in these SEZs. There should be a plan for rehabilitation of the poor who would have got displaced.

All these visions which we had created are still a part of this. If there are any lacunae anywhere, I am sure, after the amendment of this Act, you will administratively look into these issues. Of course, there were many more recommendations in that. An independent regulatory authority to deal with issues related to SEZs was suggested.

महोदय, मैं इसलिए यह विषय रख रहा हूँ कि ट्रस्ट को जोड़ने के लिए कहा गया है। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है। प्रेमचन्द्रन जी ने बीच-बीच में दो-तीन एप्रिहेंशन जाहिर की हैं और एस्पर्सन भी किया है, जो अनुचित है। हमारी सरकार अगर कभी भी कोई कदम उठाती है तो वह देश के हित में है, किसानों के हित में है, मजदूरों के हित में है। उस संकल्प के साथ हम देश की सरकार को लेकर चल रहे हैं। हमें नहीं पता, लेकिन पीयूष गोयल साहब यहां बैठे हैं, ये इस अमेण्डमेंट को लाए हैं और 2005-06 के बाद, 18-19 साल के बाद कोई अमेण्डमेंट लेकर आते हैं तो यह देश के हित में होगा।

16.00 hrs

हमें अपनी सरकार पर विश्वास है, हमें अपने देश के प्रधान मंत्री पर विश्वास है कि जो भी कदम उठाया जाएगा वह देशहित में होगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के हित में नहीं होगा, यह हमारा संकल्प है। भारत में अभी जो स्थिति है, वर्ष 2019 में अभी तक जितने फॉर्मल अप्रूवल आपने दिए हैं, वे 416 एस.ई.जेडस के हैं। जो नोटिफाइड हैं, वे लगभग 360 के आसपास हैं। इन प्रिंसिपल 32 हैं, यह समझ में नहीं आया। आप लोगों में से ही निकालकर लाया हूँ और जो यूनिट्स अप्रूव्ड हैं, अभी तक पूरे भारतवर्ष में वे लगभग 5000 के आसपास हैं।

महोदय, एक छोटी सी चिंता है। मैं आपके माध्यम से पीयूष जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इसमें जमीनों का अधिग्रहण बहुत हुआ। कई प्रकार के एस.ई.जेडस थे, आई.टी. एस.ई.जेडस थे, जो सीमित क्षेत्र में बनाए गए। उनका भी भारत के पूँजी निवेश में और पूँजी बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जो बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ थीं, कोर इंडस्ट्रीज़ थीं, जिनके लिए एस.ई.जेड. बनाया गया, आप देखेंगे कि वर्ष 2019 तक। और यही विषय है, जिस पर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करूँगा। मुझे पता है कि अपनी सरकार के संज्ञान में कोई विषय आएगा तो उसे सरकार ऐसे नहीं छोड़ेगी। एक सांसद के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी सरकार के हर निर्णय के साथ खड़े रहें। लेकिन इसके साथ-साथ हमारा यह भी कर्तव्य है कि सरकार की व्यस्तता में अगर कोई विषय छूट जाता है, कोई विषय वस्तु नहीं आती है, तो उसे भी आपके संज्ञान में लाने का हम प्रयास करें। अभी तक पूरे भारतवर्ष में आपके जो आंकड़े हैं, लगभग 47 हजार हेक्टेयर एस.ई.जेडस के लिए जमीन अभी अधिसूचित है, अधिग्रहित है, नोटिफाइड है, चाहे वह केन्द्र सरकार की तरफ से हो, या राज्य सरकार की तरफ से। वह सभी राज्यों का है और उसमें से सिर्फ साढ़े पाँच, हो सकता है मेरे आंकड़े गलत हों, अगर गलत हों तो अपने अधिकारियों से पूछकर उसे संशोधित कर दें क्योंकि संचिकाओं का ज्ञान न होने के कारण मेरे पास अभी पूरा ज्ञान नहीं है। जो तथ्य पब्लिक डोमेन में है, उसके कारण मैं यह बता रहा हूँ।

महोदय, ये आंकड़े कहीं न कहीं सरकार के आंकड़ों में से ही निकाले हैं, इसलिए अगर इसमें कोई कमी हो तो उसके सुधार की पूरी गुंजाइश है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो अभी पूछकर सुधार कर दें, ताकि लोगों के मन में यह बात न जाए कि हमने कोई ऐसा विषय रखा और 47-48 हजार हेक्टेयर भूमि जो अधिग्रहित की गई पूरे भारतवर्ष की वह भी मूर्त रूप से छः या सात राज्यों में ही हुई है। उसमें से सिर्फ साढ़े पाँच हजार हेक्टेयर का उपयोग हुआ है। अब यह थोड़ा चिन्ता का विषय होता है कि आखिर कितनी लम्बी अवधि तक किसानों की कितनी ज़मीन कौन लेकर कहाँ-कहाँ रखेगा? इस पर अगर कोई स्पष्टीकरण हो, और मुझे विश्वास है कि जो भी विषय हमारे माननीय सदस्य संज्ञान में लाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर लाकर रखते हैं और मैंने उसी संदर्भ में रखा है।

पीयूष गोयल साहब, जो आज दो बड़े मंत्रालयों के मंत्री हैं, इससे पूर्व वित्त विभाग का कार्य भी इन्होंने संभाला है। ये आगे भी बड़े-बड़े कार्य संभालते रहेंगे। आपने ट्रस्ट को लाने का जो संशोधन किया है हम बहुत ज्ञान नहीं रखते हैं इन विषयों के बारे में। तकनीकी रूप से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप उस महकमे से आते हैं और मुझे इस बात की खुशी इसलिए भी हो रही है, क्योंकि आज जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आज से 18 साल पहले जब हम इस तरफ बैठते थे तो उस समय आपके पिता जी भी भारत सरकार में मंत्री थे। एक लंबा इतिहास है। मेरी उम्र चाहे जो भी हो, पर मेरे साथ एक खासियत यह है कि कम से कम 50 ऐसे सांसद इस सदन में हैं, जिनके पिता जी मेरे साथ सांसद रहे थे। उस प्रकार से मेरी सीनियोरिटी बहुत है। चाहे ये रन नायडू साहब हों या अगाथा के पिता जी हों, संजय जायसवाल जी के पिता जी हों, मनीष तिवारी जी के पिता जी के समकक्ष हों, या ओवैसी जी के पिता जी हों। मैं जैसे ही नज़र घुमाऊँगा तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दिख जाएंगे। मेरा कार्यकाल बहुत लम्बा रहा है। आखिर में मैं रिटायरमेंट पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यह जरूर कहना चाहूँगा कि इनके पिता जी भी उस समय दो पद होल्ड करते थे हमारी पार्टी में और सरकार में। आज पीयूष गोयल साहब भी मंत्री के रूप में होल्ड कर रहे हैं। यह एक संयोग ही है कि आज भी हमारे बीच में वैसे ही सांसद मौजूद हैं। पीयूष जी का जो वर्किंग स्टाइल है, रेलवे मंत्रालय में पीयूष जी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अगर हमारे प्रेमचन्द्रन जी को कोई शंका है, तो अवश्य उनका निराकरण कीजिए। आपके इस बिल

में, जो संशोधन देश के हित में है, ट्रस्ट हो या एंटीटी हो, यह हमारा काम है। जब सदन में एक्ट बनाया जाता है तो उसके अधीनस्थ कानून बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं।

जब रूल्स बनाए जाएंगे ...(व्यवधान) संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम एक्ट बनाते हैं। एक्ट बनाने में, बाहर के लोग भले ही जो समझते हों, लेकिन हर विषय पर प्रेमचन्द्रन जी, चौधरी साहब, संजय जायसवाल जी और हमारे मित्र सुशील जी, हम लोग एक्ट के एक-एक शब्द को पढ़ते हैं और विश्लेषण करते हैं। सरकार उसके बाद रूल्स बनाती है और रूल्स पर भी हम लोग तीन स्थानों पर चर्चा करते हैं। एक तो पार्लियामेंट में करते हैं, उसके बाद रूल्स कमेटी में करते हैं, उसके बाद भी सहमति न बने तो हाई कोर्ट में जाते हैं। हमें सरकार के हर संशोधन पर भरोसा है, हर नियम पर भरोसा है। इस विश्वास के साथ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन देश में रोजगार उत्पन्न करने और विदेश से निवेश लाने में एक प्रशस्त मार्ग साबित होगा, मैं अपनी तरफ से सरकार के इस अमेंडमेंट का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि पूरा सदन भी इसको समर्थन देगा। धन्यवाद।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Mr. Chairman.

I am sorry to say that I join my learned colleague, Shri N.K. Premachandran in regretting that the Government has been abusing the legislative process, especially, the Ordinance route to push through its political agenda.

For us as lawmakers, we have two prime tests to keep in mind while legislating. First, we must see whether a Bill or an Ordinance has enough merit to be enacted. Second, we must see whether proper procedure and process has been adopted in order to meet the standards of procedural fairness. Analysing the merits of a Bill is distinct and separate from analysing an Ordinance due to this very reason but you are obliging us to combine both, and I will do so.

It is very much possible for a Bill to be labelled as welcome while at the same time, as an Ordinance it is bad in law. Unfortunately, this norm is often missing from our deliberations in Parliament. None of us is saying we do not need Ordinances but the manner in which we exercise Ordinance-making is something we need to be conscious about and cautious about as well. Even prior to the adoption of the Constitution, we had experienced the abuse of Ordinances under the Government of India Act, 1935 when the British Viceroy could promulgate Ordinances, whenever he felt it necessary and the Legislature could not maintain a check on him. That is why, when article 123 of the Constitution was framed, it had limited the powers of Ordinance in order to prevent the growth of a legislative authority parallel to the Parliament.

As per article 123, an Ordinance can only be promulgated once the President is satisfied that there exist emergency circumstances which render it necessary for immediate action. In fact, when this provision was being debated in the Constituent Assembly, Members did raise the same fears of misuse that Mr. Premachandran and I have done today, and Dr. Ambedkar replied assuaging the fears of the Members by saying that the Ordinance power can only be invoked when emergency situations, “suddenly and immediately arise” when the Parliament is not in Session.

Even one of the most important senior former Members of the previous Government, Shri Arun Jaitley, when he was the Leader of the Opposition, said, and I quote: “An Ordinance under article 123 is only issued when issues of extreme urgency arise and cannot await a forthcoming Parliament Session.” The matter must be of such urgency between the date of issuance of the Ordinance and the date of the Parliament Session that it is difficult to wait for that period. We need to ask ourselves as to whether we have met the constitutional standards required under article 123.

The Supreme Court had also clarified in the landmark R.C. Cooper case that while an Ordinance may be in the name of the President, it is really an action of the Executive. The court, however, cannot inquire into the nature of the advice given by the Council of Ministers to the Prime Minister or to the President, and therefore, it is our duty as MPs to ensure that the advice required or given to promulgate an Ordinance is a sound one. Dr. Ambedkar was optimistic in his hope that this Parliament will act as a robust check on the Executive. I am sorry

to say that we have failed to do so, especially due to the lack of respect this Government has and its predecessor Government has for this august House.

I am afraid the preamble to the Ordinance fails to mention any cogent reason for this urgent emergency action. The Minister must give an explanation of the exact nature of the emergency which arose between the date of the Ordinance, 2nd March, and the 17th June, 2019 when our Parliament Session commenced, for which an Ordinance was emergently necessary, the materials relied upon to show that the situation was urgent and how it reached the threshold that Dr. Ambedkar had asked us to follow in the Constitution.

The Minister must also list the steps taken in pursuance of this Ordinance during this period. If the Prime Minister truly believes in the idea that this Parliament is a temple of democracy, then he should explain the reasons before this House rather than treating this House as a mere rubber stamp for the Government's political agenda.

The Ordinance process as envisaged by our founding fathers and mothers was intended to enhance the constitutional process. I regret to note that instead the Government is using these powers to bypass and subvert the constitutional process. Last week, all of us just took an oath, to serve, to protect, to defend the Constitution of India. If we fail to insist on these constitutionally mandated procedures, then we would be failing in our oath to protect the Constitution.

Mr. Chairman, I would now like to turn my attention to the Bill itself since you are combining both. The hon. Minister gave us a lengthy history of the idea of SEZs coming up during the Vajpayee era but he failed to mention that Special

Economic Zones received statutory recognition only with the passing of SEZ Act in 2005. ...(*Interruptions*)

SHRI PIYUSH GOYAL: I mentioned it.

DR. SHASHI THAROOR: You mentioned when it was started. ...(*Interruptions*)

But, if you have mentioned that it was due to the economic vision of the former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, I somehow missed that...(*Interruptions*)

But let me just say that new India should start giving credit to old India also once in a while. He realized the need to have special zones with tax incentives ...(*Interruptions*)

SHRI PIYUSH GOYAL: The hon. Member was reading some text, otherwise I think he would have heard what I had said. ...(*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR: Okay, I genuinely missed that. ...(*Interruptions*) I did not hear the word 'Dr. Manmohan Singh'. But if you said it, I am very pleased. ...(*Interruptions*)

SHRI PIYUSH GOYAL: I think the issue is not about who the Prime Minister was, I gave credit to all of them. But if they do not want the credit and only want Dr. Manmohan Singh to have it, I am happy to say that Congress had no role in it but Dr. Manmohan Singh. ...(*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR: Honestly, the hon. Minister should really say things worthy of his stature. ...(*Interruptions*)

But our Prime Minister just told us how important it is to recognize the names of leaders who deserve credit. The former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh had an economic vision and he said that the idea was to have

Special Economic Zones with tax incentives to boost manufacturing, exports and generate employment.

Unfortunately, we are yet to realize the vision of the SEZ Act of 2005 under the present Government. It is disappointing to note that we are far from the target of creating a hundred million new jobs. Unemployment has now reached the highest rate in nearly 45 years. During the UPA-II, even when the world was suffering from recession, our exports increased by 126 per cent under Dr. Manmohan Singh. But in the last 5 years, our exports have barely increased by 10 per cent.

In fact, in 2017 this Government notified Parliament that half the land notified for SEZ was lying vacant, that is, 45,711.64 hectares of land, which had been notified for SEZs was lying vacant. We have also been told by the Government in answers to Parliamentary questions that 150 SEZs are non-operational. I would appreciate the hon. Minister if he can provide the Parliament in his reply with the latest figures on how many SEZ units are lying vacant. The Minister could also inform the House as to whether a comprehensive review of SEZ has been conducted. If so, what are the structural reforms which this Government would undertake to ensure the maximum utilization of SEZs?

Hon. Minister, I am sorry, I was addressing the questions to you. Have you conducted a review and what structural reforms will you undertake? If a review has not been undertaken, will you undertake one in a time-bound manner so that we know on what basis this policy is advancing?

We also know that some SEZs are stuck due to litigations, cases stuck in court. We are all aware how long it takes our courts to dispose of cases pending

before them. The delay of justice is truly a denial of justice. But we cannot always blame the judges for the delays because they are extremely overburdened. Therefore, we need to boost funds allotted to the courts, set up additional facilities, undertake judicial reforms or create special courts in the SEZ before SEZs can truly become an effective tool for economic growth.

Now, the question of the land being a State Subject has been mentioned, but the Centre can easily take the initiative to coordinate with the States to frame uniform SEZ policy to set up single window for clearances and to facilitate the smooth inflow of investment and capital.

The ruling party cannot shy away from this responsibility, given their large mandate, and half the States of the country and the Union Territories are also directly under the Central Government. So, there is nothing preventing them from actually initiating SEZs there.

The Bill is empowering the Government to notify any entity as a person to be eligible for the benefits under the SEZ Act by amending clause (v) of Section 2 of the SEZ Act, 2005. It means that you want to include trusts for example under this definition in the Bill, but can the hon. Minister give us examples of such entities or trusts which may have availed of this provision under the Ordinance? Can he also give us other examples of the kinds of entities he has in mind which ought to be included in the definition of a person, apart from those specified? The Bill, by delegating large powers to the Government to notify who may qualify for benefits under the Act, can also increase the scope for misuse of the law to benefit select individuals, as Mr. Premachandran has alleged.

As I said, the road to hell is paved with good intentions. While I do not doubt the good intentions of the hon. Minister, I would appreciate if he can explain to us how and why the extant of legislative powers must be delegated to the Executive and how it will not be misused. We have already heard the accusations of land grab under the guise of SEZ activity. The SEZs do have the potential for being the driving engines of our economy. At a time when we are underperforming as an economy, it is time for us to fulfil their potential. I want to stress that, as I said, it is possible to disapprove of an Ordinance without disapproving the Bill that follows. My queries are raised in that spirit, Mr. Minister.

I wish to stress that we, in the Congress, are proud of India's economic growth and we will not stand in the way of anything that may help advance our country's economic growth, but I would urge the Government to do the right thing in the right way. In other words, they should stop resorting to Ordinances, and bring Bills for the consideration of and debate in this Parliament.

Jai Hind.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, while rising to take part in the debate on the Special Economic Zones (Amendment) Bill, 2019, I initiate my speech by saying that generally we oppose any type of Ordinance unless it was very urgently needed. What I find is that this Government is in the habit of projecting every small idea as a very big idea. Regarding the introduction of SEZs and when they were introduced, on the one side Shri Piyush Goyal and on the other side Dr. Shashi Tharoor have explained, but the fact is that SEZs could not rise to the occasion. The process of SEZ and the system of SEZ which was installed has proved to be a miserable failure. In a country like ours, SEZs

are located in India mainly at Santa Cruz in Maharashtra, Cochin in Kerala, Kandla and Surat in Gujarat, Chennai in Tamil Nadu, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Falta in our State of West Bengal, Noida in UP and Indore in Madhya Pradesh which is ready for operation.

The first SEZ was set up in Kandla in 1965 which Shri Rajiv Pratap Rudy has mentioned. Shri Premachandran explained elaborately why he is opposing the Ordinance preceding the Bill. I want to know a thing from the hon. Minister. It was a decision which was adopted in the Cabinet chaired by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi. The Special Economic Zones (Amendment) Bill, 2019 to replace the Special Economic Zones (Amendment) Ordinance, 2019 proposes an amendment of sub-section (v) of Section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005.

Sir, what I would like to draw the attention of the Government is towards making the SEZs more successful. In June, 2018, just one year before, Baba Kalyani, Chairman of Bharat Forge, from Pune, placed a 21-point report. I expected that the Hon. Minister will throw light on that. But it was kept under dark. I am interested to know as to how many observations this Government has accepted out of these 21 observations to implement the SEZ ideas and turn them into a better prospect.

Those who take part in the SEZ schemes receive so many facilities at zero tax. There is no taxation at any stage, neither from Central side, nor even from the State side. It also gets a coverage of the Customs because those items which are produced in the SEZ sectors are not for the sale in the Indian markets. Those will be directly exported. But what happens many times, the reason why

Trinamool Congress totally opposes the idea of implementation of SEZ projects, is that these items, in many stages, come out into the open market and are sold at their original prices.

So, this type of corruption takes place in the SEZ schemes and ideas. Tamil Nadu has gone far way so far as SEZ projects are concerned. They are at the peak. But in many cases, in case of other States, what we feel is that SEZ projects are not coming up in a manner which was expected to be so.

We also oppose it because there is a relation between SEZ and land acquisition. Land acquisition is made forcefully. In Karnataka, a few days back, the situation was like a war-race. We opposed from the very beginning any forceful occupancy of land. In China, SEZ projects are normally made on non-agricultural land. But in India, it is not like that. In India, agricultural lands are used for SEZ projects.

So, my question is, by forceful occupancy of land from the farmers, by not providing the actual price of the land, how and what for the Government is proceeding with these SEZ projects or make it a success?

Many facilities are allotted to the SEZ projects. While initiating the deliberation, Piyush Goyal ji can say many more things as to what the real ideas are to make India's products acceptable in the international market. But these small sectors of SEZ cannot give more strength to the Indian economy.

So, the way the SEZ idea is being introduced, the total theme and the impetus being given to this project is nothing but befooling the people.

This Government having the majority thinks of befooling people; they think that they can make anything to ensure success, and ensure everything in their favour. But as far as our Trinamool Congress Party is concerned, we totally oppose the idea of expansion of SEZ projects in India. Thank you.

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): *Vanakkam*, hon. Chairman, Sir. This is my maiden speech.

I represent the State, 'the pride of *Dravidam*', juxtaposed by *Valluvar Kottam* in the north to the 133 feet tall statue of the great Tamil poet, Thiruvalluvar in the south. The State that is nurtured by Periyar's ideologies, Perarignar Anna's principles, social reformer and visionary, the great leader, *Kalaignar* and our leader, *Thalapathi, Thiru Stalin*, who is the personification of the three leaders.

Change is the beauty of our India's democracy, and we salute and respect the people's mandate for the 17th Lok Sabha. I would also like to remind that the DMK coalition in Tamil Nadu and Puducherry has won 38 out of the 39 seats contested. Victory being credited to our coalition partners and the unmatched and unparalleled hard work of our leader, *Thalapathi Thiru Stalin*. I would also like to reiterate that all 23 Members of the DMK Party are rooted by its ideologies & principles.

It was during the NDA regime, the then Commerce Minister, late *Murasoli Maran*, who was actively involved in the concept of Special Economic Zones, along with the then Communication Minister, *Thiru Dayanidhi Maran*, that the renowned firms like Nokia, Foxconn were established in Chennai. Roots of development and socio-economic growth were thought, processed, implemented and developed by the Congress regime, in which the DMK was a part of. The present ruling party enjoys the fruits of our hard earned toil and labour.

Sir, I would like to know from the hon. Minister why the urgency in passing the Bill through an Ordinance, as the amendment doesn't seem to raise any urgency or of any grave importance. The insertion of the words "Trust or any

Entity notified by the Central Government" raises suspicion as in what manner will the new inserted terms of trust and entity bring about the desired changes in the SEZs Act where foreign firms are given special status, land and other requirements and facilities at concessional rates. Since Trusts are non-profitable organisations, a large chunk of Trusts run by Christian, Muslim & Minority organisations have been shut down. The purpose of inclusion of this term by an Amendment, and especially through an Ordinance raises many questions about the intent of the Amendment. There are many suspicious clouds to infer.

This Government has a hidden agenda to help known people by incorporating trust in the amendment Bill. I fear Mr. Speaker Sir that this amendment is being introduced to favour a selected few who enjoy close proximity to the Government. Many traders are interested in SEZ so that they can acquire land at cheap rates and create a land bank for themselves. Hence, the whole purpose and objective of the project should not be diluted by vested interests. Not all models of SEZ implemented had given successful results. Nanguneri SEZ in Tirunelveli constituency has not taken off and not yielded the desired benefits, and a lot more is to be done. Emphasis is to be given to promote demand driven approach instead of supply driven. An amendment to spare the agricultural land is what is the need of the hour.

Emphasis should be given on integration of MSMEs with Employment & Economic Enclaves. Co-operation between the State Government and the companies functioning in SEZ has to be cordial for the successful functioning of the Economic Zones. An apt example would be the closure of established firms

like Nokia and Foxconn due to the non-co-operation of the ADMK regime in Tamil Nadu. Lack of support from the State Government for an effective single window clearance system is a major challenge faced by SEZs. A State that was hailed as "Detroit of South" due to all major auto manufacturers setting up industries in Tamil Nadu during Kalaingar's regime has now lost the opportunity of bringing more major auto manufacturing companies and other industries, and now they are shifting to neighbouring States.

As the Ease of Doing Business with the present State Government has been proved futile, I would like to suggest to undo the procedural delays, infrastructural bottlenecks, uncertainty in government policies, especially tax for smooth and successful functioning of SEZs. Hence, I request the hon. Commerce Minister through the Chair to allay my fears on bringing about this Special Economic Zones (Amendment) Bill.

I would also like to bring the focus on the plight of labourers working in the SEZs. They are not covered under the labour laws that are applicable to the whole of India. While emphasis and concessions are given to the factories and firms, the labourers are denied their rights to form a trade union or enhance their bargaining capacity for the job they are entitled to.

Sir, I would also like to ask the hon. Commerce Minister through you to set up an SEZ in my constituency of Dharmapuri which is one of the most backward districts in my State. The educated youth have no source of employment in my district as there are absolutely no factories or companies. In my constituency, Dharmapuri, the percentage of students seeking admission in undergraduate colleges after schooling is the highest as compared to the State and national

percentage. The gross percentage of Dharmapuri is 98.4 whereas the average percentage of Tamil Nadu is 48.6 and all-India percentage is 25.8.

A majority of our rural students have been denied the opportunity of joining medical courses as they are not able to spend a huge amount for NEET coaching due to their economic status and the examination being based on CBSE while their mode of teaching has been equity education by the State. So, majority of the educated youth is seeking jobs outside the State.

I was astonished to find a majority of people from my constituency inside and outside Parliament in Delhi. Unemployment being a major issue, decline in agricultural yield due to acute water shortage and not releasing Cauvery water as per the Cauvery Tribunal's order has deprived my constituency of an active participation in the developmental growth. Around ten tribal villages in the hillocks of Sittling, Chitheri & Kalasapadu have been deprived of basic road facilities. They have access to their own village by paths of mud and rocks laid by themselves. Many lives have been lost as ambulance and other emergency services do not reach the village due to lack of roads. It is a pity that we have inaccessible villages even after seventy years of Independence.

I pray to you, Sir, that the Government should bring happiness to families and lighten the lives of lakhs of skilled and talented youth who would be grateful and thankful to the Government if they establish an SEZ in Dharmapuri. I would like to quote a couplet from Thirukkural under "Duty to Society".

"Payavmaram Ullurp Pazhathatral Selvam Nayanudaiyan Kanpadin"

"The wealth possessed by a man of virtue and benevolence is like a fruit bearing tree in the midst of a hamlet with fruits of benefits shared by all."

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on Special Economic Zones (Amendment) Bill in this august House.

First of all, this is my maiden speech in this august House. I take this opportunity to thank my YSR Congress Party Chief and hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y. S. Jaganmohan Reddy Garu. I also convey my thanks to Shri P. V. Midhun Reddy Garu.

Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the plight of suffering farmers in the Kakinada Special Economic Zone. In this august House, this is my first speech and I would like to speak in my Mother Tongue, Telugu.

* ... * In this context, I would like to bring to the notice of the Hon'ble Prime Minister and Hon'ble Minister, the distress that is being suffered by farmers in my constituency. This is a small amendment Bill, which has been already brought through ordinance. Before I welcome this amendment, I would like to highlight issues of farmers. Just now, hon. Member Rudy said that in India out of 45,000 acres earmarked for SEZs, industries couldn't be set up in even 5000 acres. Honourable Minister, Kakinada SEZ has 10,500 acres of land which was allotted in 2005, even after 14 years of approving SEZ, not even a single industry could be set up. Farmers are in tears like orphans. Land is visible but they cannot cultivate. Agricultural labourers can see vacant land but they don't have work. Farmers feed our country and are backbone of our economy.

* ... * English translation of this part of the Speech was originally delivered in Telugu.

150th birth anniversary celebrations of Mahatma Gandhi, will be celebrated soon, Gram Swarajya is something where Gandhiji believed that whole nation lives in villages. But unfortunately farmers and villages in our country are in severe distress. Sir, even after 14 years of approving SEZ, farmers are not getting livelihood. Farmers feed us, but there is no one to feed them. No one is taking care of their issues. For last 14 years, farmers are agitating. I am part of their agitation for the last ten years, but none are concerned about farmers interests. In last 5 years, I ensured that not a single case was filed against agitating farmers. But Sir, I am ashamed of the fact that some farmers were jailed in Central Jails in the last 5 years. It is unfortunate, that previous Government didn't hesitate to jail farmers.

When we call farmers as food providers, and back bone of our country, we should see that their back bone is not broken. Sir, as per law enacted in 2013, if SEZs cannot make use of land in stipulated time, the lands can be taken back. Whereever SEZs are not yet functional and whereever fertile lands were acquired for SEZs, those lands should be taken back and handed over to farmers. I request the honourable Minister to see that such actions are taken.

Honourable Chairman Sir, farmers approached courts and filed cases in this regard. Though some Land could be brought back, in remaining land, not even a single industry could be set up. I request Honourable Minister to take cognizance of this situation. When Government is extending so many incentives, why no industry have been set up? There are tax exemptions and land acquisitions, but still nothing has come up in these SEZs.

In 2005, these lands were acquired at the cost of Rs. 3 lakh per acre and now these are being sold at Rs. 50 lakh per acre. Who is benefitting from these initiatives? Minister Sir, farmers children are not getting matrimonial alliances. Their lands are in courts and they are in Police Stations and jails. In these 10,500 acres, there are villages. Temples were destroyed, Community halls and schools were demolished. In these ruins, farmers are leading their lives. This is a serious problem. As SEZs are not completely vacated, there are villages on these lands and people are facing so many problems. They don't have any roads or buses. They don't have basic facilities.

In this context, I am bringing these issues to the attention of the Honourable Minister. Sir, there is a need for inquiry on each and every Special Economic Zone. Honourable Minister referred to special initiatives to boost investments and development. What is development? Is it ruining farmers? Is it harassing farmers and their families? Who is gaining and who is losing? There is a need to understand these issues and resolve these problems. There is a need to look beyond land acquisition. How the people and farmers living on those lands are affected should also be looked into.

Sir, I represent Kakinada constituency where Kakinada SEZ is located. On behalf of victims of SEZ of my constituency, I will highlight their problems. I need to protect their interests and boost their confidence. I feel that I am fortunate to highlight farmers issues in my maiden speech.

Honourable Chairman Sir, I would like to highlight another issue of unemployment for youth. As per information I have there are 423 SEZs approved in our country which is subject to correction. Who is benefitting from these SEZs.

Please inquire about Kakinada SEZ where no job could be created till date. In the name of development and employment opportunities to youth through SEZs, lands are being acquired, which is not right.

Therefore, I request you to pay special attention to this issue. SEZs are important for our economy but at the same time interests of farmers and people living in those areas are also equally important. There should be ample employment opportunities from these SEZs. Problems of farmers of Kakinada SEZs should be dealt with properly. And after resolving these issues only there should be development in these SEZs. Farmers should be happy and satisfied. And we should address their problems appropriately. With these words, I conclude. Thank you.*

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक जो आया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वर्ष 2005 के बाद एक अत्यावश्यक भाव ऐसा है कि इसमें सुधार करने की जरूरत थी, संशोधन करने की जरूरत थी। आप संशोधन करके फिर एक बार बिल यहां लाए हैं।

महोदय, आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। भारी संख्या में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लोगों, युवा-जवानों के हाथों के लिए जो काम चाहिए, आज उसकी उपलब्धता नहीं है। मुंबई में एक बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। लाखों की संख्या में वर्कर्स वहां काम करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई और लाखों घरों के दुःख सामने आ गए। मुंबई में ऐसी कई बड़ी कंपनीज, जैसे प्रीमियर, कमानी वगैरह थीं। हमारे श्रीरंग बारणे जी जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, लेकिन हर वर्ष कोई न कोई कंपनी बंद हो जाती है। उसका व्यवहार बंद हो जाता है। हालांकि जैसे 4 महीने पहले जेट एयरवेज बंद हुई, तो 10 से 12 हजार वर्कर्स रास्ते पर आ गए। उनका भविष्य अंधेरे में छा गया। ऐसे वक्त में खास कर इस देश में रोजगार की निर्मिति कैसे हो सकती है। स्वयं रोजगार की तरफ चलें, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो भी ग्रेजुएट होते हैं, उनमें सारे के सारे लोगों को नौकरी मिलनी ही चाहिए, ऐसी उनकी अपेक्षा रहती है।

नौकरी की उपलब्धता कैसे करा सकते हैं, इसलिए ऐसे इकोनॉमिक जोन तैयार करके आने वाले जो उद्योग है, आने वाली जो इंडस्ट्री है, उन्हें संरक्षण देने की जरूरत है, उन्हें फैसिलिटी देने की जरूरत है। आज दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा उद्योग क्यों नहीं आते। पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र स्टेट में है। पानी का बिल महंगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल महंगा और बाकी के टैक्सेज भी सीमा पार करते हैं। कोई भी इंडस्ट्री को आने नहीं देते हैं, ये गुजरात या गोवा में जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार होता है तो उन्हें कई तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। जो भी उद्योग लगाने वाले लोग हैं, जो भी उद्योगपति हैं, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। शिव सेना हिन्दू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हमेशा बोलते थे कि जैसे वर्कर्स के साथ हम लोग रहते हैं, वैसे ही उद्योगपतियों को भी संरक्षण देने की जरूरत है। एक उद्योगपति के माध्यम से एक हजार लोगों को

रोजगार मिलता है और एक हजार परिवारों का संरक्षण होता है। आज मंत्री महोदय ने बिल लाकर इसमें एक सुलभता का निर्माण किया है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ।

मैं एक विनती करना चाहता हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का लोग विरोध क्यों करते हैं? जहाँ अच्छी खेती होती है, जहाँ फल का उत्पादन होता है, दुर्भाग्य से वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं होना चाहिए। वहाँ की भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ एसईजेड की जाती है तो लोग रास्ते पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं। उनके आंदोलन को देखकर इकोनॉमिक जोन का जो ऑर्डिनेंस है या गजेट है, उसे वापस लेना पड़ता है। जहाँ अन्न उत्पादक भूमि है, जहाँ बैरन लैंड है वहाँ आप ज्यादा से ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार करें। चाहे देशी उद्योगपति हों या परदेश से आने वाले उद्योगपति हों, उनका स्वागत इस देश में होना चाहिए।

माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के इस कार्यकाल में एफडीआई का जो कन्सेप्ट आया, उससे ऐसा हुआ कि अब ज्यादा से ज्यादा परदेशी उद्योगपतियों को लगता है कि अपने देश में एक अच्छा वातावरण तैयार हो रहा है। दुर्भाग्य से इंडस्ट्री बंद क्यों होती है? हमारे देश में यूनियनबाजी ज्यादा होती है। यूनियन के माध्यम से आंदोलन करें या डिमांड रखें, इंडस्ट्री बंद करे, एक ऐसा भी वक्त था। सौभाग्य से अब यह कम हो चुका है। हम सभी लोग चाहते हैं कि देश में उद्योग आएँ। हम सभी चाहते हैं कि सरकार को ऐसे उद्योगों को सहूलियतें देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। टैक्स एक्जम्पशन, जैसे सेल्स टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, प्रोफेशन टैक्स हो या वैट हो। टैक्सेशन में ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देकर देश में आने वाले उद्योगों का स्वागत करना चाहिए। यह संशोधन विधेयक भविष्य के लिए अच्छा होगा और भारत के उद्योग क्षेत्र में भी एक नया परिवर्तन होगा, ऐसी मेरी धारणा है। मैं एक बार फिर मंत्री महोदय का अभिनंदन करता हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, मैं (विशेष आर्थिक जोन) संशोधन विधेयक, 2019 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पिछली एनडीए सरकार इस संशोधन पर अध्यादेश ला चुकी है, अब इसे कानून बनाने पर चर्चा कर रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 की धारा दो की उप धारा एफ में संशोधन के बाद अधिसूचित ट्रस्ट या कोई कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी कोई इकाई स्थापित करने की हकदार हो जाएगी। इसके साथ ही केन्द्र सरकार को समय-समय पर अधिसूचना जारी कर अपने हिसाब से किसी भी इकाई को व्यक्ति के रूप में परिभाषित करने की सहूलियत भी हो जाएगी।

अभी जो नियमन है उसमें सेज (विशेष आर्थिक जोन) में ट्रस्ट को इकाई लगाने की अनुमति नहीं है। संशोधन के बाद सेज (विशेष आर्थिक जोन) में निवेश को बढ़ावा मिलेगा जैसा देखा गया है कि देश में अधिकांश औद्योगिक घराने किसी न किसी ट्रस्ट को स्थापित कर उसके द्वारा निवेश को प्राथमिकता देते हैं।

अतः सरकार द्वारा उठाया गया कदम काफी अच्छा है। इससे SEZ में उद्योगों की स्थापना में बढ़ोतरी होगी। अब विदेशी निवेशकों में भी आत्म-विश्वास जगेगा। रोजगार भी सृजन होगा। साथ ही साथ निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी।

महोदय, मैं बिहार से आता हूँ। बिहार पिछड़ा प्रदेश है। श्री रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार के पास है। बिहार में औद्योगिक क्रान्ति लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमारे नेता और बिहार के मुख्य मंत्री जी लगातार प्रयास करते रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सात SEZ हैं। राज्य और निजी क्षेत्र द्वारा 11 SEZ स्थापित है। 420 प्रस्तावों को हरी झण्डी दी गई है। वर्तमान में 355 अधिसूचित SEZs में से कुल 223 SEZs कार्य कर रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि छोटे-छोटे राज्यों में SEZ की स्थापना की अनुमति दी गई, फिर भी बिहार जो प्रगति के पथ पर है, पिछड़ा राज्य है, वहां उसकी अनदेखी की गई है।

सभापति महोदय, SEZ अधिनियम-2005 की मूल भावना से निर्यात संवर्धन एवं संबंधित बुनियादी ढाँचे के सृजन में राज्य सरकारों के लिए एक प्रमुख भूमिका की परिकल्पना की गई है, किन्तु मैं खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछली सभी सरकारों ने बिहार की SEZ की स्थापना में अनदेखी

की है। जिसका जीता-जागता उदाहरण है कि बिहार में एक भी SEZ के तहत उद्योगों की स्थापना के लिए मंजूरी नहीं दी गयी है। जबकि छोटे-छोटे राज्यों को भी इस कटेगरी में शामिल किया गया है। SEZ एक ऐसा अधिनियम है, जिसके द्वारा निवेशकों को छूट देकर इकाई लगाने के लिए आकर्षित किया जाता है। अगर बिहार के हित की बात केन्द्र सरकार को करनी है तो मेरी मांग है कि वहाँ भी SEZ के तहत इकाई लगाने की अनुमति केन्द्र सरकार को देनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि बिहार में SEZ की स्थापना करे जिससे कि वह बिहार के लोगों को भी उद्योग लगाने में आसानी हो, विदेशी निवेशक आए और बेरोजगारों को भी रोजगार मिले। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाईटेड की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, धन्यवाद

I stand here to deliberate on this amendment Bill of 2019 relating to Special Economic Zones. As the Minister has very rightly mentioned, the concept of Export Processing Zones was formulated in 1965 and it was first started in Kandla. Whenever a new Government comes, it wants to have a new scheme or rather an old scheme in a new name; and so, this concept of Special Economic Zones came into existence.

As far as I remember, when this Bill was being deliberated in this House and ultimately passed in 2005, at that time the whole Opposition was abstaining. We did not participate in the deliberations. The only Party which had raised certain objections to the Bill on SEZs had only one major objection: to allow trade unionism in SEZs. They were the Left Front Members. The commitment that was made on the floor of the House which had been accepted by the then Government and subsequently by the subsequent Government is for all of us to see.

Even now the hon. Member from Shiv Sena said that it should not be allowed. The basic purpose of the Special Economic Zone or Export Processing Zone is to enable India to be at par with other countries which are manufacturing their products or goods so that we could become competitive. It was mentioned by the hon. Minister in this House that Shri Murasoli Maran had made extensive study on the idea that if China could develop their commercial activities and capture the world market, what was the benefit they could provide to their entrepreneurs so that they could compete with other countries which have actually excelled to capture the world market.

If an Asian country, as they were called the Asian Tigers of South East Asia, could capture the world market – China ultimately surpassed them and captured the world market – why can we not do it? We have an enterprise earlier, which was established in Kandal in 1965, but subsequently not much work was done. I think that is the reason for the creation of Special Economic Zone and respective State Governments, because land belongs to the State, were also made partners in the decision-making process.

Subsequently, as the debate went on, in this House questions were posed as to why large acreage of land was being acquired in the name of SEZ and whether it is only to develop the real Estate; and if it is so; it should be discouraged. At that time, the then Minister of State for Commerce stood up in the front row and said that one building in Hyderabad has also been declared as a Special Economic Zone. One, three-storied building near Kolkata also is a Special Economic Zone. Land is not the criteria. He was so forceful in his point of view that a Special Economic Zone can also be established in Surat in one building. The person concerned was involved in the diamond industry.

The basic idea, the platform on which Special Economic Zone was built up was that the investment will come from outside, indigenous investment will also be made but the technology that can come from outside will be comparatively duty-free. It will be free from all the hassles of tax payment because that was one of the major problems which most of the investors were always mentioning. That is how Special Economic Zone came into existence.

My good friend Shri Rudy was mentioning about certain suggestions that were made in the National Executive meeting in Lucknow. I would like to know

from him why has he not passed it on to the Swadeshi Jagran Manch or has he collected all that information from Swadeshi Jagran Manch so that they can sit with the Minister and sort it out. In this way, we can make progress in a better way.

SHRI PIYUSH GOYAL: I have also been a very active member of the Swadeshi Jagran Manch and I am very proud to say that they have played an important role to protect the Indian industry, particularly the small industry, artisans and handicraft manufacturers. And, therefore, there is no need to try and attribute any such motives to Swadeshi Jagran Manch.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : 'Owner's pride is neighbour's envy' is an advertisement which perhaps emanated from Mumbai with the Onida Television. I do not know whether that exists or not but this clip is always in everybody's mind. Both pride and envy are not good things for human beings.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): लेकिन उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं उसका फाउण्डर मेंबर हूँ।
...(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, have Shri Nishikant Dubey and Shri Rajiv Pratap Rudy been deployed for disturbing the Members? They are senior Members, good orators and have enough scope to deliver.
...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

...(Interruptions)*

माननीय सभापति : महताब जी, आप अपनी बात कहिए।

* Not recorded.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : These are the points on which I have interacted with the Swadeshi Jagran Manch a number of times. It is in the interest of our country to protect our indigenous entrepreneurs. I will come to the aspect of FDI later on provided I am given time.

17.00 hrs

But taking an Ordinance route is something which should be avoided. That point has already been made by Shri N.K. Premachandran, Dr. Shashi Tharoor and also by Shri Sudip Bandyopadhyay. But I would only like to mention this here. The urgency enshrined in the Constitution does not suffice. The logic that has been put forth does not suffice. I will wait for the hon. Minister's reply that as to what was the urgency to bring it here.

17.01 hrs

(Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

The only thing which is mentioned in this Bill is that you are making an amendment to bring in two words, 'a trust' or 'any entity'. I have no objection to that to bring in 'a trust' or 'any entity'. It needs to be defined and can be defined subsequently in the rules, of course. But what I am objecting to is that it is to be notified by the Central Government. Here, my objection relates to a law on policy. It has to be non-discriminatory and without any discretion. The less discretionary power is given to the Government, the better it is. In the last ten years, what have we witnessed in our country? More discretionary powers are with the decision-making authority. More bungling has taken place. So, why are you bringing in this line – 'a trust' or 'any entity' to be notified by the Central Government? Why should it be notified by the Government? You are putting a bit of bottleneck or you

are creating a hindrance. It may not happen during your tenure, but once you are enshrining it into the law, it may happen subsequently.

The SEZ policy was launched in April, 2000. The SEZ Act came into existence in the year 2005. The rules were made in the year 2006. What are the salient features in it? I am not going to narrate the full of it – ‘a designated duty-free enclave to be treated as a territory’.

Madam, do you want me to stop?

HON. CHAIRPERSON : No, I just want you to conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : So, as far as I have understood, I should not be discussing this. I was not a member of the Business Advisory Committee. But, initially, two hours were allotted for this Bill to be discussed. We have another one hour.

HON. CHAIRPERSON: We have so many other parties and so many other participants. Instead of three minutes, ten minutes are already over. So, it is for this reason, you could just wind up and make your points shorter and concise.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I need five minutes and I will conclude by five minutes.

HON. CHAIRPERSON: Sir, please take two minutes.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : There is no point in two minutes. I would say this for the first time after 18 years, that the progress of SEZ is being deliberated in this House. This Bill gives us an occasion to review the functioning of SEZ in our country. What has happened? The commitment, which was made for the development of SEZ idea during different regimes or Governments, was trampled upon. MAT was imposed though certain commitments were made that it is not

going to be imposed. Income Tax was imposed though a commitment was made that it will not going to be imposed till such and such date. These are the things which need to be discussed and we need answers from the hon. Minister. If my deliberation gets curtailed, I would not be able to raise all these issues. These issues are not being repeated. It is not that somebody else has raised these issues.

Shri Sudip Bandyopadhyay mentioned about a report. That report was compiled within six months' time by Mr. Baba Kalyani. What does that report say? That report does not get reflected in this amendment. I am not going to go into the details of that report, though I have all the details and I also have that report with me but I would like to understand it from the Minister. In last December, when a question was posed in Rajya Sabha whether you are considering that report or not, the answer that was given was that it is under consideration. A number of points were mentioned and one point was that trade competitiveness was the idea of SEZ and now it is manufacturing competitiveness that is being brought in. Is trade competitiveness with world market and manufacturing competitiveness for indigenous market? What is actually being done for SEZ?

In Odisha, we have five SEZs. There are States where there are many. We have certain issues relating to SEZs but here I would just like to ask what is the position of the Government relating to the three Es that that Committee had mentioned. It stands for employment and economic enclaves. Are you changing the nomenclature of SEZ? What is the Government thinking? What part of the draft has been accepted or are you still seeking some more data as was stated

earlier in last December? Do you need more time till the US and China are indulged in trade war because of *sanrakshanwad* of the US? America for Americans. We heard India for India also. We can sleep over the dispute for sometime but here is an opportunity and the idea that is being touted is that because of WTO pressure, we need to reconsider and we need to re-visit SEZ provisioning. Why do you want to do it? Is China doing it or are other countries doing it? Whom does it actually help? I am of the opinion that the three Es will move away from the incentive linkages from exports and hence the condition of net foreign exchange will not be required for manufacturing SEZ.

The last point which I would like to mention here is relating to the Foreign Direct Investment. The idea was Foreign Direct Investment will come. I am not taking last five years flow of FDI into our country. Last year, the Foreign Direct Investment had come down in comparison to the previous year of 2017. Is this provision of adding trust and entities will bring in more FDI into our country? If that happens, it is a welcome step. If that has happened in-between these three months, it should be appreciated. But there is a gloom in world trade today. It is in decline in world market today. Are we expecting more investment in SEZ? Lot many things need to be done. Do not make some cosmetic changes. You have this report before you. The Ministry of Finance also has a full-fledged study. It is before the Ministry of Finance. I think you are also aware of it. You sit over it and sort it out.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam Chairperson, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. Many of the important points have already been mentioned. So I would not take much time of the House.

HON. CHAIRPERSON: Your mike is not on.

SHRI PIYUSH GOYAL: She is very soft spoken.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: We come from the same State and so he is saying nice things to me today.

I would not like to repeat many of the points but I stand here clearly in support of this Bill because SEZ is something which is in the interest of the nation for job creation. I would like to ask a few pointed questions to the hon. Minister and I would take a clue from what Shri Mahtab said. Are we moving from trade to manufacturing? I have absolutely no objection if we are moving to manufacturing because I think the Baba Kalyani Report which Shri Mahtab mentioned – most people have read this report today – it is a very important report because he is one of the largest business houses in the country and has done exceptionally well in contributing to India's indigenous growth. Incidentally he comes from the same district and State that I come from and so I take great pride that the State of Maharashtra is making such a huge contribution towards SEZ. But I would like to ask the hon. Minister a pointed question that in this entire Bill, how many recommendations have you taken which have come from him? I think, there is still a lot of hesitancy in the matter. He has brought in only the word 'trust'.

I appreciate the fact that it is a small Bill but as Mahtab ji said that every policy needs change and innovation with time. If you look at the history of SEZs,

they came probably 20 years ago when we first started. Several Governments came after that. The late Murasali Maran did it; then Shri Kamal Nath was the Commerce Minister under the leadership of Dr. Manmohan Singh. But I think, issues have changed. There was a time when there was growth and we were only into manufacturing of cars. SEZs were only for imports. Today, what is the new technology? Today everything has a chip and everything has a battery. Electronics is the only future. So, is the Government taking SEZs forward in electronics which needs a huge infrastructure? Today a lot of SEZs are not doing well.

The hon. Minister talked about 'plug and play'. I appreciate that. Is this really a reality? It is not about your Government *versus* our Government. You also had been in the game for five years now. So, you have lesser reasons now to pat your own back. Five years is a substantial amount of time. I would like to ask the hon. Minister, what are you doing for the infrastructure that is required? It is because whether it is power, transport or logistics, can we give more flexibility to the SEZs? A lot of companies are willing to invest in, say, a port and in an airport and share the cost of infrastructure when the SEZs becomes affordable for all. I would be happy if the hon. Minister could say something on this.

I was actually surprised by what was said by Shri Raut and I am grateful to him for the intervention that he made because in the Central Government and in the State Government, the Shiv Sena is a partner and he talked about how the State of Maharashtra was hurt today in the development story. He talked about the high prices of electricity and water. It just happens to be that the Industry Minister is also from the Shiv Sena and they are in both the Governments, at the

Centre as also in the State. So, I think, it was music to my ears when he said that electricity is expensive in the State of Maharashtra. It is Rs. 7/- and how will Maharashtra say that it is competitive?

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARVIND SAWANT) : He has placed the facts.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I am so glad that Shiv Sena is speaking the truth. Somebody is saying the truth.

SHRI ARVIND SAWANT: Shiv Sena always speaks truth.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I am glad that they do. I hope they continue with the tradition.

Madam Chairperson, it is Rs. 7/- in Andhra Pradesh and Rs. 9/- in Maharashtra. We cannot sustain this. So, will the Government step in to make sure that there is a level playing field and intervene so that Maharashtra grows? Maharashtra only grows with event of 'magnetic Maharashtra'. But nothing magnetic happened and I am not saying it, even Raut ji has said this. I am glad that Shri Sawant is here today and I remember in the last Lok Sabha he had mentioned about the situation of Nokia in the SEZ. When the Nokia plant in Tamil Nadu shut down, about 5000 people lost jobs. So, would the hon. Minister throw some light on this issue? Even Shri Mahtab mentioned about the rules that are involved in this. The companies will come and go; properties and land will stay with them. What happens to the poor people? This Government is very soft and, in every intervention, they say that they are a 'grounded Government'. So, the 'grounded Government' should first not worry about the rich and the famous. They should not talk of the owners but should talk about the bottom of the

pyramid which is the labour. So, I would like the hon. Minister to clarify his stand on the bottom of the pyramid where they claim that they are running this Government from.

I have two quick questions. I would not repeat but that was our stand. What was the urgency for promulgating an Ordinance? We all know what is an Ordinance. I am not going to repeat that. But again I stand with all my colleagues and ask why was an Ordinance promulgated and what was the urgency. From whatever little I have read and understood, I will be happy if the hon. Minister – I am a microbiologist by profession and the hon. Minister is an accountant and so he clearly knows a lot more about this than I do – clarifies this point.

But I would like to ask him one point. There is a newspaper report which I have not read. There was a CAG Report on Trusts which came up in this Government only and the reference is to the PAC during the tenure of NDA Government-I.

I would like to quote from the Committee Report:

“The Committee desires that Expert Group under Income Tax Department may be constituted to look into violations because there are tax evasions and misuse of either a Charitable Trust or a general Trust.”

Since you are a Chartered Accountant, you could kindly explain to the House and to me who is a novice to all these things. The PAC Report on the Trusts says one thing and you have incorporated only one word, namely, ‘Trust’. If you could kindly clarify what really is the line of the Government, I would be happy as this is a complete contrast to what the PAC of your Government says and what you want to do.

Madam, I am coming to my last point and I will not exploit my friendship with you. I have a quick question to ask the hon. Minister. The hon. Minister is adding these Trusts, but how many Trusts, after the Ordinance was promulgated, have got an opportunity to invest?(*Interruptions*) How many people have invested in SEZs from the 2nd of March, after the issuance of Ordinance, till now?

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam, I am not going to waste any time talking about the Ordinance and the Bill because all comments have already been made. But I would like to take some time to touch some issues relating to SEZs in this country and make some suggestions which I think will be valuable inputs.

Madam, the real objectives behind the SEZs are being diluted. SEZs have become land banks for people today. So, I strongly feel, while giving land for SEZs, there should be a commitment in terms of how many jobs at different scales and different educational levels are going to be created. That commitment must be taken upfront.

Along with job creation commitment, a requirement for industries to set up Skill Development Centres to train local people and to increase local employment should also be made mandatory.

We also have to look at the tax revenue which is going to be generated by these SEZs. There should be conditions for this also while giving land for SEZs. If all these commitments are fulfilled, then Government giving land at even minimum price, even for developers, is definitely worthwhile. I am saying this because employment opportunities created and revenue generated will stimulate the local economy and improve, as our hon. Prime Minister rightly said, the ease of living for everyone in this country.

Wealth so created will make up for the subsidized land. This is the theory behind SEZs and there are many shining examples of successful SEZs in this country but at the same time, there are even more failures where land is kept idle and not being put to productive use where the intent of the developers is suspect

as they sit on these land banks with ulterior motives. So, we have to see how we create a policy that encourages the former and discourages the latter.

One of the main points in setting up SEZs, as many Members have already mentioned, is land acquisition. Land owners whose land is acquired get less than the actual market price generally - not the official price - and the value of the land of the neighbours increases. The price of the land which has been left outside the border of the SEZs escalates. So, the original land owners feel a double whammy. Their land is being taken away at below market prices while their neighbour's land price is escalating upsetting the entire social equations in that area as well.

One idea which we can definitely consider here - to avoid this type of escalation and ill feelings among the people whose land is being acquired - is the idea of land pooling. Land pooling was something which we have done very effectively in Amaravati. We got more than 34,000 acres of land and I hope that YSRCP is keeping it in mind that it has come from more than 30,000 farmers who are now wondering as to what is their future in Amaravati. They have to definitely do something about it. But land pooling is an idea that definitely can be considered for SEZs.

Madam, even better, why not we consider the idea, whose time, I think, has come – the idea of Rural Economic Zone. Rather than Special Economic Zone, where there is a border, where there is a limited supply of land, the land prices go through the roof, the land prices become expensive for industry, and there is a lot of heart ache with land acquisition, why not we consider the idea of Rural Economic Zone? Rather than going to already developed areas, you take every

district where the Human Development Index is below a certain level and provide these incentives to all those areas so that jobs can be created where they are needed the most and where people are not having jobs today. Rural Economic Zone, I believe, is an idea for which the time has come.

Thank you.

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Madam, this Amendment Bill is just a cosmetic type of a Bill....(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Basheer, you just have three minutes to speak.

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER : Okay, Madam.

Actually, this Government could have brought a very effective legislation on this Special Economic Zones Act, 2005. Three very effective documents were there before the Government. One is C&AG Report on SEZ. Two, as correctly pointed out by the former speakers, we have Baba Kalyani Committee Report which went into the details of the functioning of this SEZ. Similarly, there is two and a half years of our own experience in running this SEZ. What the C & AG Report dated November 28, 2014 says is this, and I quote:

“Considering the significant shortfalls in achievement of the intended socio-economic objectives by all the sectors of SEZs, there is an urgent need for the government to review the factors hindering the growth of non-operational and under-performing zones.”

It is a very-very effective observation by the C&AG. The Government should at least have a look into that. Mahtabji was asking as to what actions you have taken about that. That document was there before them. The third one is our own experience. Since the last two and a half years, we have been running this. From that experience, I think, there are a lot of corrective measures to be taken for the effective functioning of this SEZ.

Madam, we all know that there are a lot of concessions and incentives given to this SEZ, like liberalised NOC for import, exemption from routine export and import procedure of customs and all such things. Similarly, the Income Tax

exemption and also the freedom of giving manufacturing process on sub contract are there.

I would like to remind the hon. Minister that we all are duty-bound to ensure that these liberalised concessions are not misused. Even if you see the parent Act, you will understand that there are no safeguards for that. This is a very important thing.

Coming to this Report, it is a very lengthy Report and I do not want to say much about that. They have suggested 'EEE system', that is, Economic Growth, Employment and Economic Enclaves. They have suggested so many effective recommendations such as formulation of separate rules and procedures for manufacturing and service SEZs, promotion of integrated industrial and urban development walk-to-work zones, promotion of MSME participation in 3Es and enable manufacturing enabling service players to locate in 3E, etc. Unfortunately, you have not given even a small consideration about these kinds of very effective recommendations. You could have done it. Law making process is a very important work. If you have added all these things, you could have made a very effective legislation.

I would like to say another important thing. This land is handed over to the developer....(*Interruptions*) I am concluding in one minute. It may be kindly examined whether the optimum utilisation is done or not.

Lastly, I want to make one more point. Converting agricultural land for setting up industrial units in SEZ should not be undertaken. This is very important. We are creating SEZ for a very good purpose. If you take agricultural land for SEZ, it is not correct because agriculture is the backbone of Indian economy. This

is not being done in China. In China, they have made a specific provision that agricultural land should not be used for this purpose. Unfortunately, the Government has not even applied its mind to this point. You could have done this.

With these words, I conclude.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): Hon. Chairperson, I thank you for allowing me to speak in support of the Special Economic Zones (Amendment) Bill, 2019 which seeks to amend the Special Economic Zones Act, 2005 and replace the Ordinance which was promulgated on 2nd March, 2019.

There is a small amendment which has been made in this Bill, that is, the words, 'trust or any other entity notified by the Central Government' have been included in the definition of 'person' and the need for this amendment was being felt for a very long time. So, this is being done today. What I would like to know from the hon. Minister is what are those trusts which have been allowed to establish, develop and manage the SEZs for the promotion of exports post 2nd March, 2019 when the Ordinance was promulgated?

Madam, we all understand that Special Economic Zones are being established and developed with the objective of giving a boost to economy, creating employment opportunities and developing infrastructure. If we take a look at the country as a whole, there are about 355 notified Special Economic Zones in India, out of which 223 are Special Economic Zones which are exporting SEZ. Among these, the States of Karnataka, Maharashtra, Telangana and Tamil Nadu have the maximum number of Special Economic Zones, followed by the States of Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Kerala. The amount of employment opportunities they have created up to the year 2017-18 is 19,77,216. But I feel this figure can grow much bigger and these opportunities can be extended to other States of India as well.

17.27 hrs(Hon. Speaker *in the Chair*)

Sir, I come from the State of Uttar Pradesh, which, in terms of population, is one of the largest States of the country and we have parts of the State like the eastern part of Uttar Pradesh, *Poorvanchal*, in which my constituency Mirzapur also falls and Bundelkhand from where there is a mass migration of labourers every year to the other parts of the country in search of employment opportunities. So, we can say that human resource is available in abundance in States like Uttar Pradesh, but somehow Uttar Pradesh has not really come up in the priority of the developers for establishing Special Economic Zones. I urge upon the hon. Minister to bring States like Uttar Pradesh on the priority list, because the developers have a natural tendency to move towards the more prosperous States which tend to prosper even more and the backward regions get no benefit at all. So, it is in your hand. If you want, you can bring these States on priority so that such States also get to benefit from the development of Special Economic Zones.

I think this is also time for us to review the progress of Special Economic Zones as to how far they have been successful in bringing transformation in the country and fulfilling the objectives for which they have come up in our country. There was a Committee which was set up in 2018 to evaluate the Special Economic Zone Policy of India and suggest measures to make the policy comparable to international standards. In its Report, the Committee have brought out several reasons which could potentially be attributed to the constraints faced by Special Economic Zones.

The Committee has also recommended several changes in the SEZ Policy. They are like, shift in the framework from export growth to broad-based employment and economic growth, formulation of separate rules and procedures for manufacturing and service the Special Economic Zones, creation of enabling framework for ease of doing business and sync with the Statewise ease of doing business initiatives, procedural relaxations for developers and tenants to improve the operation and exit issues and one integrated online portal for new investments, operational requirements and exit-related matters.

I want to understand from the hon. Minister as to how far these recommendations have been accepted and what the Ministry has done so far to make sure that we move on these lines and improve the performance of Special Economic Zones.

With these words, I conclude.

रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतने छोटे अमेंडमेंट पर इतनी ज्यादा रुचि माननीय सदस्यों ने दिखाई है। लगभग 13 माननीय सांसदों ने अपने सुझाव दिए हैं और प्रश्न भी पूछे हैं। समय के अभाव में मैं शायद विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं माननीय सदस्यों की चिंताओं पर अपने विचार रखने की पूरी कोशिश करूंगा। माननीय प्रेमचंद्रन जी, शशि थरूर जी, भर्तृहरि जी और सुदिमो जी को चिंता थी कि ऑर्डिनेंस लाने में जल्दबाजी क्यों की गयी। मैं समझता हूँ कि अगर सभी माननीय सदस्य अपने गिरेबान में देखें तो ध्यान में आएगा कि कितने सारे ऐसे कानून यह सरकार लाना चाहती थी, जिससे देश की आर्थिक प्रगति और विकास को और तेज गति मिलती, बल मिलता। लेकिन अलग-अलग प्रकार के डिसटर्बेंसिस के कारण कभी यह सदन, कभी दूसरा सदन और कभी तो दोनों सदन नहीं चलते थे। इसके कारण जनता के द्वारा पूर्ण बहुमत की सरकार का आदेश दिए जाने के बावजूद और इस सदन से पारित होने के बाद भी राज्य सभा के न चल पाने के कारण हम आगे बढ़ नहीं पाते थे। इन डिसटर्बेंसिस और डिलेज के कारण कई विषय रह गए, जिस कारण से ऑर्डिनेंस का रूट लेना पड़ा, खास तौर से देश में एफडीआई लाने के लिए।

जैसा कि भर्तृहरि जी ने बताया कि देश में इनवेस्टमेंट आए और देश की आर्थिक प्रगति में देरी न हो। स्टेटमेंट में भी लिखा गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सैंटर्स वगैरह इस देश में आए, निवेश आए, अलग-अलग प्रकार के जो मॉडर्न इनवेस्टमेंट के व्हीकल्स हैं, वे भी इस देश में आ सकें। इसमें विलम्ब होने से किसी को लाभ या हानि नहीं थी, जैसे ही ध्यान में आया और सेबी ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके तहत अल्टरनेट इनवेस्टमेंट फण्ड्स को अलाऊ किया गया कि वे भी इनवेस्ट करें। इसके बाद सरकार को लगा कि यह अच्छा रहेगा कि देश में अल्टरनेट इनवेस्टमेंट फण्ड्स के माध्यम से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो फाइनेंस के क्षेत्र में हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसिस सैंटर्स के रूप में काम करते हैं, उनको भी अलाऊ किया जाए। हमने लिखा भी है कि 26 नवम्बर, 2018 को जब सेबी ने अल्टरनेट इनवेस्टमेंट फण्ड्स को ट्रस्ट के माध्यम से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सैंटर्स में ऑपरेट करने के लिए अनुमति दी थी। साथ ही साथ रिज़र्व बैंक ने ट्रस्ट की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी है। किसी ने चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर सीएजी

रिपोर्ट के बारे में कहा, किसी ने कहा कि ट्रस्ट की डेफिनेशन नहीं दी गयी है। इसकी डेफिनेशन उसके रेगुलेटर्स देते हैं। पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल कौन है? लिमिटेड कम्पनी क्या है? पार्टनरशिप क्या है? यह सब हर कानून में नहीं दिया जाता है। यह मेन कानून में दिया जाता है और सेबी ने उसको ठीक तरीके से पूरा समझाया है। 26 नवम्बर को उसकी डेफिनेशन और अनुमति आयी। उसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बजट सेशन आने वाला था। यह छोटा सेशन था, क्योंकि इंटरिम बजट आना था। उस समय कई सारे इंटरप्शनस और डिस्टर्बेंसिस के कारण कोई नया कानून लाने की सम्भावना नहीं थी। चूंकि ऑपरेटिंग बॉडीज़ फाइनेंशियल सेक्टर में लाने के लिए ट्रस्ट एक कॉमन फोरम है, ऐसी परिस्थिति में इस ऑर्डिनेंस को पारित किया गया। मैं समझता हूं कि कांस्टीट्यूशन में भी राष्ट्रपति महोदय को यह जिम्मेदारी दी गई है कि ऑर्डिनेंस को लाने की जरूरत है या नहीं। यह सब देखकर ही वे ऑर्डिनेंस को पारित करते हैं। मैं एक लाइन वोट करना चाहूंगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था –

And I quote:

“India had a leadership position in information technology. Finance was being increasingly married to technology. It was becoming very clear to us that finance combined with technology, or FinTech as it is sometimes called, would be an important part of India’s future development.”

उनके मन में पूरे समय यह कल्पना रहती थी: “How to make India a thought leader in the field of finance?” आखिर कब तक भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा। कब भारत अपनी खुद की एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करे, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी हो। खासतौर से भारत की एक बहुत बढ़िया लोकेशन है। हम ईस्ट और वैस्ट के बीच में हैं। अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर को दिनभर चलाएं, तो एक प्रकार से जैपनीज़ मार्केट जब स्टार्ट होती हैं, तब से लेकर अमेरिकन मार्केट जब खत्म होती हैं, तब तक भारत के फाइनेंशियल सेक्टर को एक कान्फिडेंस दिलाएगा, एक अपार्चूनिटी दिलाएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर के रूप में। यह ट्रस्ट मॉडल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह एक प्रकार से स्टैब्लिस्ट मॉडल, विदेशों में बल देने के

लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत भी उसको अपने यहां लाना चाहता है। इसीलिए एआईएफएस वगैरह को ऑपरेट करने के लिए आरबीआई, सेबी द्वारा परवानगी मिलने के बाद ऐसा तय किया गया कि इसको पारित कर दिया जाए। यह बहुत साधारण था, इसके पीछे किसी छुपी हुई चैरिटेबल ट्रस्ट की डेफिनेशन और ये और वो में जाने की जरूरत नहीं है।

जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वास्तव में इसको भी उस ट्रस्ट के साथ देखा जाए। यह इतनी पारदर्शी सरकार है कि हम जो काम करते हैं, उसे बड़े खुले तरीके से और पूरी दुनिया में डिंबोरा पीटकर, सुनाकर, समझाकर करते हैं। इसमें कोई घुस जाएगा, कोई एन्टिटी घुस जाएगी, ट्रस्ट जो सेबी और आरबीआई अप्रूव करे। ऐसे ही कल कोई और एन्टिटी का मॉडल आए, तो उसके लिए परवानगी है सेन्ट्रल गवर्नमेंट, उस टाइप की एन्टिटीज़ को भी अलाउ करें। यह स्वाभाविक है कि अगर करेंगे, तो वह पार्लियामेंट के सामने पेश होगा। जब भी ऐसी किसी एन्टिटी को अलाउ किया जाता है, पार्लियामेन्ट्री रूल्स में इसके स्टैबिलाइज्ड प्रावधान हैं।

मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वैसे तो मैं इस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाह रहा था, लेकिन एसईजेड के सभी रूल्स, सभी प्रावधान जो 2005 के एसईजेड एक्ट में हैं, वह 2003 में रूल्स द्वारा पूरे तरीके से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आ गए थे। उल्टे जो 2005 के एक्ट का प्रिऐम्बल है, मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा-

“While the policy relating to the Special Economic Zones is contained in the Foreign Trade Policy, incentives and other facilities offered to the Special Economic Zone developer and units are implemented through various notifications and circulars issued by the concerned Ministries/Departments. The present system, therefore, does not lend enough confidence for investors to commit substantial funds for development of infrastructure and for setting up of the units in the Zones for export of goods and services. In order to give a long term and stable policy framework with minimum regulatory regime and to provide expeditious and single window clearance mechanism, a Central Act for Special Economic Zones has been found to be necessary in line with international practice.”

तब भी हमारे रूल्स को कानून में इसलिए परिवर्तित किया गया कि विश्व का भारत के ऊपर एक कान्फिडेंस बढ़े। साथ ही साथ इंटरनेशनल प्रैक्टिस को क्वोट किया गया है। हम भी इंटरनेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह ट्रस्ट को अलाउ करने के लिए यह अमेंडमेंट लाए हैं।

एक और बात कही गई कि यह एसईजेड सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। कुछ माननीय सांसदों ने यह भी जिक्र किया कि कुछ फिस्कल बेनिफिट्स, इनकम टैक्स वगैरह के बेनिफिट्स न होने के कारण ये एसईजेड सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। खासतौर से यह विषय माननीय शशि थरूर जी ने रेज किया जो कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं।... (व्यवधान) मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस की ही सरकार थी, यूपीए की सरकार की थी, जिसमें कांग्रेस लीड करती थी, जिसने 2011-12 में जो सभी कन्सेशन्स वाजपेयी जी की सरकार ने दिए थे, इनकम टैक्स कन्सेशन्स एसईजेड को प्रमोट करने के लिए, यह सब कांग्रेस ने वर्ष 2011-12 में विदड़ा किए। जो बेनिफिट्स एसईजेड डेवलेपर्स को मिलते थे, जो बेनिफिट्स यूनिट्स को मिलते थे, वे बेनिफिट्स 2011 से विदड़ा किए। डिविडेन्ड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 1 जून, 2011 से लेवी कर दिया, जो डिविडेन्ड एसईजेड डेवलेपर्स देते थे। फरवरी, 2011 में बजट प्रोजेक्ट्स में जितने बेनिफिट्स एसईजेड के थे, उन सबको विदड़ा करके, जो एडवर्स इम्पैक्ट एसईजेड ग्रोथ में आया, मैं सीधा उनको आंकड़ों से बता सकता हूँ।

सन् 2009-10 तक नए एसईजेड्स के प्रोजेक्ट्स आती हैं, अप्रूव हो रही थीं, कोई विड्रॉ नहीं करना चाह रहा था। सन् 2011 में इनके आने के बाद से डीनोटिफिकेशन ऑफ एसईजेड के लिए जिस तेजी से रिक्वेस्ट रिसीव हुए, तो यूपीए-2 में एसईजेड्स को डीनोटिफाई करने के लिए 67 रिक्वेस्ट्स आए। सिर्फ यूपीए-2 के पांच वर्ष के कार्यकाल में यह हुआ और इसका सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने इनकम टैक्स बेनिफिट्स विड्रॉ कर के इस पूरे एसईजेड लॉ की धज्जियां उड़ा दीं। मैं समझता हूँ कि साथ ही साथ जो लैण्ड के इश्युज हैं, लैण्ड के इश्युज में कई माननीय सांसदों ने विषय उठाया फार्मिंग लैण्ड वगैरह का, एसईजेड्स के संबंध में एक स्पष्ट प्रावधान है कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स कोई एसईजेड्स को अप्रूव नहीं करेगा। जहां राज्य सरकार ने या तो पहले, या प्रोजेक्ट करती है कंप्लेसरी एक्विजिशन ऑफ लैण्ड। साथ ही साथ राज्य सरकार को एडवाइज किया गया है कि लैण्ड

एक्विजिशन की पहली प्रायोरिटी वेस्ट एण्ड बैरन लैण्ड की होनी चाहिए। अगर लेनी भी पड़े तो सिंगल क्रॉप ली जाए और अगर बहुत जरूरी हो कि थोड़ी डबल क्रॉप लेनी पड़े, कंटिग्विटी बनाने के लिए तो वह दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती है। यह एसईजेड लैण्ड के लिए है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई ज़मीन अभी तक एसईजेड में पूरी तरीके से यूज़ नहीं हुई है तो उसके लिए भी कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। यूपीए के समर्थक दल तृणमूल कांग्रेस ने आज लैण्ड एक्विजिशन की बड़ी बात कही है। सन् 2005 में यह कानून पास हुआ, तब तो तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। तब क्यों नहीं उन्होंने अपोज़ किया कि एसईजेड के लिए लैण्ड एक्वायर होगा? यह आज आफ्टरथॉट कहां से आ गया? इसी प्रकार से माननीय बहन सुप्रिया सूले जी और कई माननीय सांसदों ने बाबा कल्याणी जी की रिपोर्ट का जिक्र किया है। मैं वास्तव में बाबा कल्याणी जी को धन्यवाद दूंगा। वे मेरे ही राज्य से ही आते हैं, जिधर से सुप्रिया जी आती हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एसईजेड पॉलिसी को स्टडी किया है। समय के अभाव में उसको मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं। लेकिन हमने एक-एक रिक्मेंडेशन को, कुछ रिक्मेंडेशंस को तो ऑलरेडी पूरी तरीके से लागू कर दिया है, ऐसी पांच रिक्मेंडेशंस हैं। तीन रिक्मेंडेशंस जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर से मैं कर सकता हूँ, 31 जुलाई तक अनुमानित है कि मैं कर लूंगा। एक रिक्मेंडेशन है, जिसमें रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे, उनको 15 सितंबर तक करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कुछ रिक्मेंडेशंस हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ़ रेवन्यू के साथ और बाकी मंत्रालय या राज्य सरकार के साथ प्रावधान और रूल्स बदलने पड़ेंगे। ऐसी छह रिक्मेंडेशंस हैं। हमारा अनुमानित समय 30 नवंबर तक का है। साथ ही साथ कुछ रिक्मेंडेशंस हैं, जिनमें एक बार फिर एसईजेड एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। उन अमेंडमेंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं। मैं बाकी विभागों के साथ चर्चा कर के एक बार पुनः इस सदन के सामने आऊंगा, तब आप और जितने चाहे सवाल पूछ सकते हैं। मैं उन सबका भी ज़रूर जवाब दूंगा। आज के लिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस अमेंडमेंट का समर्थन कर, हमने जो कोशिश की है कि जल्द से जल्द देश-दुनिया के लोग भारत में निवेश करें और उसको चुनाव की भागा-दौड़ी में विलंब न करें, उसका आप समर्थन करें।

धन्यवाद।

DR. SHASHI THAROOR : Sir, the hon. Minister has referred the Report of Baba Kalyani-led Committee which has not been shared with the House.

...(Interruptions) Can he place the Report before the House? ...(Interruptions)

SHRI PIYUSH GOYAL: I will certainly send it to you. I think, it is available on the website also but if it is not available, I will make it available to you....(Interruptions) It is already on the website. s

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Thank you very much Speaker, Sir. The Baba Kalyani Committee Report is already in the public domain. It is with me and it is in the Library also.

Sir, I have raised very serious questions. First question is this. What was the urgency in promulgating the Ordinance? Unfortunately, that has not been answered. ...*(Interruptions)* The Original Act was enacted in the year 2005. The Government had no intention to make an amendment to the Original Act upto 2019 by incorporating the word 'trust' or 'entity'.

My question still remains unanswered. What is the urgency in having an amendment through an Ordinance? That is the question which still remains unanswered.

The second point which I would like to highlight is this. Another question which we have raised before the hon. Minister is this. How many companies or how many entities or how many trusts were being recognised and notified so that they will get the benefit under the Special Economic Zones Act or as per the amended Ordinance? That is the second question that also remains unanswered.

SHRI PIYUSH GOYAL: Thank you very much. Speaker Sir, I will take one minute only.

First of all, I have just now explained, quoting the law of 2005, that the international world wants certainty. When SEBI allowed the Alternative Investment Funds in the form of trust in November 2018, we wanted that international investors get confidence. They can come in the AIF form. But you did not allow the Parliament to function, particularly the other House where we do

not have a majority. Hon. Prime Minister has again today appealed to the Opposition that we do not have a majority, but support us to implement the agenda which the people of India have voted us for.

Similarly, there was an urgency that we wanted the world to start investing in India. Sunset clause is coming in March, 2020. Therefore, we thought why should we delay it by six months while the process of elections was going on?

As regards the number of applications, we have received six applications so far under this amendment which, I think, is a very good achievement considering that the whole country was going through elections. Despite that, I think, investors had the confidence that a strong and stable Government will come in India. Therefore, six applications have come. One received approval only a day or two ago and five more are under process for approval. All of this is in the interest of encouraging more and more investments to come into India. I am sure this House wants this country to progress and the people of India to benefit from that progress.

माननीय अध्यक्ष : श्री भगवंत मान ।

SHRI BHAGWANT MANN (SANGRUR): Thank you very much, Sir.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट । श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Finally, the hon. Minister has cited regarding the definition of 'trust' here. I do accept the argument of the hon. Minister that if 'trust' is not defined in the original Act, the General Clauses Act will be applicable. But as far as the term 'entity' is concerned, there is no general clause definition.

SHRI PIYUSH GOYAL: You are such a seasoned Parliamentarian. Please read the words; it is entity as notified by the Government. Entity does not have any definition. Trust is also an entity. Proprietorship is an entity. Private limited company is an entity. We are a modern Government. If the world comes up with some new way of investing, that entity will be notified. How can we define an entity? We do not know what exists in the future.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: If the term 'entity' is not defined in the original Act, my strong objection is that, according to the whims and fancies of the Government, the Government can determine any entity or any people or any group which are entitled for SEZ benefit. That is the objection which we are raising. These are the points which I would like to highlight. I conclude, Sir.

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा ।

श्री भगवंत मान ।

श्री भगवंत मान : मिनिस्टर साहब का एसईजेड का जो प्रस्ताव है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाब के आस-पास जो स्टेट हैं, वह टैक्स हैवन स्टेट हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू है। हालांकि पंजाब में बहुत ही फर्टाइल जमीन है, लेकिन 533 किलोमीटर जो एरिया है, वह पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है। वहाँ पर कोई बड़ी फसल तो हो नहीं सकती, कुछ तो कंटीली तार में आती है। वहाँ के लोग या तो बेरोजगार हैं या फिर ड्रग्स में जाते हैं। क्या आप ऐसा कुछ प्रावधान कर सकते हैं कि पंजाब के लिए कुछ ऐसी इंडस्ट्री आए, क्योंकि हमारे पंजाब के नौजवान या तो IELTS करके बाहर जा रहे हैं या इधर-उधर भटक रहे हैं। मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह बिल है।

श्री भगवंत मान: मिनिस्टर साहब मेरा एक सजेशन है। जैसे पर्ल कम्पनी है, उसने करोड़ों रुपये की जमीन हड़प ली। क्या ऐसी चिट फंड कम्पनियों द्वारा हड़पी हुई जमीन को एक्वायर करके उनके पैसे वापस नहीं हो सकते? सर, मेरे एक-दो क्वेश्चन हैं।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम एस ई जेड का स्वागत करेंगे, लेकिन हमारे पंजाब की भी थोड़ी सलाह ले लीजिए।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, since the year 2005, the concept of SEZ has been in existence. You are simply inheriting the concept that was conceived by the UPA Government.

SHRI PIYUSH GOYAL: I had just mentioned the history of SEZ.

डॉ. निशिकांत दुबे: 2003 में रूल बन गया था।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: The first SEZ was started more than six decades ago. In 2005, the Act has come into existence. Do not try to belittle the concept of SEZ.

डॉ. निशिकांत दुबे: एस ई जेड रूल वर्ष 2003 में बना।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मंत्री जी जवाब दे देंगे। आप रहने दीजिए।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Why has the SEZ been a success story in China whereas we have failed to achieve the desired results? SEZ has become an engine of manufacturing in China. May I know how many SEZs which were proposed are still non-functional? What is the number of functional and non-functional SEZs and how many are lying vacant?

Furthermore, how many people are being employed in our SEZ infrastructure and what is their total turnover of SEZs? Do you have any comparative statement between 2014 and 2019? What is the growth of employment in the SEZ sector?

Do you think that the site selection of SEZ are creating problems? How is the selection of site determined? Why do four States of our country namely, Goa, Jharkhand, Manipur and Nagaland have no SEZs? What are the reasons? Jharkhand is a mineral rich State. Dubey ji has come from Jharkhand.

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): There is an urgent need to solve the farmers' problems in the SEZ area. The farmers have given their agricultural lands and are now facing many problems. There is no income for their livelihoods.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Hon. Speaker Sir, I had raised the question of suggestions that were made in Baba Kalyani's Report.

SHRI PIYUSH GOYAL: I had answered that question. You were not there in the House.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Okay.

श्री पीयूष गोयल : महोदय, मुझे जवाब देना है ।

माननीय अध्यक्ष : आपकी इच्छा हो तो जवाब दे दीजिए ।

श्री पीयूष गोयल : महोदय, वैसे तो जवाब देने को कुछ है नहीं। माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसे पंजाब राज्य को तय करना पड़ेगा कि लैंड एक्विजिशन, लैंड का क्या करना है, इसे वे तय करते हैं।

भर्तृहरि जी, मैंने बाबा कल्याणी रिपोर्ट का पूरा निचोड़ करके कि किस-किस में हमने काम कर लिया है, किस पर डेड लाइन के साथ काम आगे होने वाला है, सब डिटेल्स हमने दी हैं। किसानों के इश्यूज आपकी राज्य सरकार को ही हल करने पड़ेंगे। लैंड एक्विजिशन और फार्मर के साथ जो संबंध है, वे स्टेट के संबंध हैं। उसमें केन्द्र सरकार कुछ दखलंदाजी नहीं कर सकती है।

जहां तक लोक सभा में काँग्रेस पार्टी के नेता माननीय अधीर रंजन जी का प्रश्न है, पहली बात तो एस.ई.जेड. फेल नहीं हुआ है। एक तरफ तो आप एस.ई.जेड. की क्रेडिट ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि फेल हो गया।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैंने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स कहा है। डिज़ायर्ड रिजल्ट्स का मतलब फेल होना नहीं है।... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: अगर कुछ फेल्योर है, अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आया तो पूरे तरीके से शत प्रतिशत गुनाह काँग्रेस पार्टी ने किया। इन्कम टैक्स के सारे कंसेशंस विदड्रॉ किए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

... (व्यवधान)*

श्री पीयूष गोयल: जो अन्तर्राष्ट्रीय निवेशक हैं, वे एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल पॉलिसी चाहते हैं। अगर आप स्टेबल और प्रेडिक्टेबल पॉलिसी को बीच में चेंज करते रहेंगे तो कौन निवेशक आएगा? इसलिए आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए।

वर्ष 2014 में इम्प्लॉयमेंट साढ़े बारह लाख था, वह बढ़ कर आज लगभग साढ़े बीस लाख हो गया है। मेरे ख्याल से आठ लाख नए जॉब्स एस.ई.जेड्स. में आए हैं। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो वर्ष 2014 में पाँच लाख से कम था, वह आज सात लाख से अधिक है। सारी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में हैं। आप बेफिक्र रहिए, एस.ई.जेड. हमारी सरकार में सेफ है और देश हमारे ऊपर विश्वास करता है।... (व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्याक 12) का निरनुमोदन करती है।”

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Amendment of Section 2

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I have given notice for two amendments in Clause 2, that is about trust or entity. My only subjective clause is that the trust should be a registered public trust having a minimum of 20 years of functional experience so that some control can be made on the trust. Otherwise, nobody knows the ultimate beneficiary of the trust. I am moving Amendments No. 1 and 2 to Clause 2.

I beg to move:

Page 1, line 5,--

for “trust or any entity”

substitute “,registered public trust having a minimum of twenty years of functional experience”. (1)

Page 1, lines 7 and 8,--

for “trust or entity”

substitute “registered public trust having a minimum of twenty years of functional experience”. (2)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आपकी सहमति हो तो सदन का समय इस विधेयक के पास होने तक बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

माननीय अध्यक्ष : सदन का समय इस विधेयक के पास होने तक बढ़ाया जाता है।

माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRI PIYUSH GOYAL: I beg to move:

“That the Bill be passed”.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल गुरुवार, दिनांक 27 जून 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.00 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Thursday 27 June 2019/Ashadha 6, 1941(Saka)*
